वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

विषयसूची

प्राक्कथन ..... **vii**

प्रस्तावना ..... **ix**

संक्षिप्ति ..... **xi**

अध्याय 1 परिचय **1**

अध्याय 2 वार्षिक परिदृश्य : एक नज़र में **3**

2.1 मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु हस्तक्षेप 3

2.2 कोर ग्रुप की बैठकें 3

2.3 नीति परामर्श 3

2.4 सम्मेलन/ सेमिनार/ ओपन हाउस चर्चाएँ 4

2.5 मानव अधिकारों पर शोध/ अनुसंधान 4

2.6 मानव अधिकार साक्षरता को बढ़ावा देना 4

2.7 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ जुड़ाव 5

2.8 मानव अधिकार संरक्षकों के साथ जुड़ाव 5

2.9 स्थापना दिवस 6

2.10 मानव अधिकार दिवस 6

2.11 आरटीआई 6

अध्याय 3 संगठन और कार्य प्रणाली **7**

3.1 आयोग का गठन 7

3.2 रणनीतिक योजना और वार्षिक कार्य योजना 8

3.3 वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठकें 8

3.4 शिविर बैठकें 8

3.5 मानव अधिकार उल्लंघन के मामले 8

3.6 अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दौरे 9

3.7 शिकायतों का समाधान/ निपटान 9

3.8 हिरासत में हिंसा को रोकना 9

3.9 मौद्रिक राहत हेतु एनएचआरसी की सिफारिशें और उनका अनुपालन 10

3.10 अनुसंधान गतिविधियाँ 10

3.11 मीडिया एवं संचार 10

3.12 प्रशिक्षण 10

3.13 कोर ग्रुप 10

3.14 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर 11

अध्याय 4 शासन और आवंटित संसाधन 12

4.1 प्रभाग और जनशक्ति (मैनपॉवर) 12

4.2 राजभाषा का प्रचार-प्रसार. 14

4.3 बजट एवं व्यय. 14

अध्याय 5 ई-गवर्नेंस 16

5.1 मानव अधिकार आयोग नेटवर्क (एचआरसीनेट) पोर्टल. 16

5.2 ई-ऑफिस 16

5.3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचा 16

5.4 स्पैरो सॉफ्टवेयर 16

5.5 ई-एचआरएमएस सॉफ्टवेयर 16

5.6 दस्तावेज़ीकरण केंद्र (ई-लाइब्रेरी) 16

5.7 खरीद 17

अध्याय 6 मानव अधिकारों का समर्थन एवं जनसंपर्क. 18

6.1 सेमिनार और सम्मेलन. 18

6.2 राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ जुड़ाव 18

6.3 सूचना का प्रसार और पहुंच 18

6.4 प्रकाशन. 20

6.5 प्रशिक्षण और इंटर्नशिप कार्यक्रम 20

अध्याय 7 विषयगत क्षेत्र 22

7.1 आपराधिक न्याय प्रणाली का संरक्षण 22

7.2 स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार 37

7.3 महिलाओं के अधिकार 43

7.4 बाल अधिकार. 46

7.5 एलजीबीटीक्यूआई के अधिकार 47

7.6 वृद्धजनों के अधिकार 47

7.7 दिव्यांगजनों के अधिकार 49

7.8 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार 53

7.9 भोजन और पोषण का अधिकार. 56

7.10 शिक्षा का अधिकार 57

7.11 बंधुआ, बाल और अन्य श्रमिकों के अधिकार. 60

7.12 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला ढोने के मुद्दे. 61

7.13 खेल और मानव अधिकार 66

7.14 भारतीय नाविकों के मानव अधिकार. 66

7.15 संस्कृति और मानव अधिकार 67

7.16 व्यापार और मानव अधिकार. 67
7.17 मानव दुर्व्यापार 68
7.18 मानव अधिकार संरक्षक. 70

अध्याय 8 अंतरराष्ट्रीय सहयोग 72

अध्याय 9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों को अस्वीकार करना 75

अनुलग्नक

I: राज्यवार पंजीकृत मामलों की संख्या 81

II: निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या 83

III: आयोग द्वारा की गई घटनास्थल जांच. 85

IV: प्रक्रियाधीन शोध अध्ययन. 89

V: 2022-23 के दौरान बैठकों का विवरण. 93

VI: 2022-23 के दौरान आयोग द्वारा संसाधित मामलों का माहवार विवरण 94

VII: एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किए गए दौरों का विवरण 95

VIII: प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या 97

IX: उन मामलों का विवरण जहां आयोग ने मौद्रिक राहत की सिफारिश की 99

X: एनएचआरसी की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण. 101

XI: विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर 108

XII: एनएचआरसी द्वारा आयोजित विद्यार्थियों/ प्रशिक्षुओं के दौरों की सूची. 110

तालिकाओं की सूची

I: बजट व्यय एवं अव्ययित राशि का ब्यौरा (लाख में) 15

II: एनएचआरसी द्वारा की गई संस्तुतियाँ जिन्हें वर्ष 2022-23 में माननीय न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई है या अधिकारियों द्वारा उनके अनुपालन से इनकार कर दिया गया है। 75

प्राक्कथन

न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा
माननीय अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए अपनी तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए) 1993 के तहत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के अधिदेश के साथ एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। जब हम एनएचआरसी की स्थापना के बाद से उसकी यात्रा पर विचार करते हैं, तो हमें पूरे देश में मानव अधिकारों के संवर्धन एवं उनके संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद आती है। इन वर्षों में, आयोग ने अथक परिश्रम किया है और राज्य के दायित्वों और व्यक्तियों के अधिकारों के बीच एक सेतु स्थापित करने से लेकर मानव अधिकारों का दृढ़ता से संवर्धन करने एवं उनका संरक्षण करने तक, विविध गतिविधियों को अंजाम दिया है। आयोग ने मानव अधिकारों को कायम रखने, मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करने, मानव अधिकार कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सिफारिशें करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन तीन दशकों में, आयोग ने जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकार सहित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया है। आयोग विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों तक फैला हुआ है, जो भारतीय संविधान में दी गई गारंटी और अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में निहित सिद्धांतों के अनुरूप है। ये अधिकार न केवल आकांक्षी हैं, बल्कि भारत में अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य हैं, जो देश के कानूनी ढांचे के भीतर समानता और न्याय के आवश्यक स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं।

भारत 1.43 अरब लोगों का देश और समृद्ध सभ्यतागत लोकाचार एक गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति को दर्शाता है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों का प्रतीक है। सभी प्राणियों के लिए करुणा और सहानुभूति जीवन के लिए मौलिक हैं और भारतीय संस्कृति में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है जो पश्चिमी प्रभावों से भी पहले से मौजूद है। एनएचआरसी ने भारत भर में मानव अधिकारों के सावधानीपूर्वक संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, पीड़ित और कमजोर लोगों को सांत्वना प्रदान करने और मानव अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया है।

अपने शिकायत निवारण तंत्र के अलावा, आयोग न्यायपालिका, पुलिस कर्मियों, मीडिया, प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाजों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। आयोग युवाओं और जनता के बीच मानव अधिकारों की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण मानता है और इस संबंध में, सभी के मानव अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर छात्रों और पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने के लिए, आयोग ने कुछ फोकस क्षेत्रों की भी पहचान की है, जिनमें महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों, एलजीबीटीक्यूआई समुदाय, कैदियों, मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों, दिव्यांगों, बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिकों, पर्यावरण और मानव अधिकार, व्यवसाय और मानव अधिकार आदि के अधिकार शामिल हैं। इन विषयों पर व्यापक कोर ग्रुप चर्चाओं और शोध के माध्यम से, आयोग ने मानव अधिकारों के लिए उभरती चुनौतियों की पहचान की है और विशेषज्ञों से निवारण के लिए सुझाव मांगे हैं।

यह वार्षिक रिपोर्ट मानव अधिकारों को मजबूत करने और उनकी संरक्षण की यात्रा में आयोग द्वारा की गई पहलों का एक सिंहावलोकन प्रदान करती है। यह रिपोर्ट जारी की गई परामर्शियों, आयोजित कोर ग्रुप की बैठकों का विवरण देती है और निपटाए गए मामलों की विस्तृत श्रृंखला का सारांश प्रदान करती है।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और उनके पैरास्टैटल संगठनों, साथ ही एनएचआरसी के अन्य आयोगों और वैधानिक सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों, मेरे सहयोगियों, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुकरणीय सहयोग की सराहना करता हूं। सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता ने, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना संभव बना दिया है। मेरी प्रबल आशा है कि यह वार्षिक रिपोर्ट पाठकों को न केवल आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हमारे सामूहिक प्रयास में विभिन्न स्तरों पर सरकारों और नागरिक समाजों दोनों की सार्थक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी।

[न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा]

प्रस्तावना

भरत लाल
महासचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएचआरसी

मैं बहुत खुशी और जिम्मेदारी के साथ आपके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। जैसे ही हम पिछले वर्ष को देखते हैं, हमें सभी के लिए मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोग के सतत् समर्पण की याद आती है।

एनएचआरसी की स्थापना 1993 में सभी मनुष्यों के मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु की गई थी। तब से, आयोग बंधुआ और बाल श्रम, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, न्यायेतर हत्याएं, जेलों की स्थिति और महिलाओं, बच्चों, दिव्यांजनों, वरिष्ठ नागरिकों और एलजीबीटीक्यूआई सहित कमजोर समूहों की सुरक्षा के मुद्दों पर काम कर रहा है। इसके अलावा, आयोग का लक्ष्य हमेशा उन मामलों पर चर्चा शुरू करना रहा है जिन पर सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है।

कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन ने जीवन और आजीविका को अभूतपूर्व पैमाने पर प्रभावित करने के मद्देनजर, विशेष रूप से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए, एनएचआरसी भारत हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटा है। मानव अधिकारों के अत्यावश्यक महत्व को समुदायों की दृढ़ता, लोगों की बहादुरी तथा न्याय एवं समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक टीम वर्क द्वारा दोहराया और मजबूत किया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पूरे वर्ष कई समस्याओं को दूर करने में नेतृत्व किया है। हाशिये पर खड़े आबादी के अधिकारों के लिए खड़े होने से लेकर मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों पर गौर करने तक, हमने जरूरतमंद लोगों के लिए न्याय और आशा की किरण बनने का प्रयास किया है। हमारा काम चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के माध्यम से ही हमें अपनी ताकत मिलती है। मानव अधिकारों के प्रति श्रद्धा की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, हमने सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की है। इसके अलावा, हमने मानव अधिकारों की चिंताओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अथक परिश्रम किया है ताकि लोग अपने अधिकारों और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सशक्त महसूस करें।

2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट में 09 अध्याय हैं, जिनमें वर्ष के लिए आयोग की पहलों/कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन किया गया है। रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में एनएचआरसी की उपलब्धियों और उस अवधि के दौरान मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को कैसे संबोधित किया गया, इस पर भी ध्यान केंद्रित करती है। यह रिपोर्ट पाठकों को व्यक्तिगत शिकायतों, शोध अध्ययनों और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। आयोग द्वारा आयोजित

प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के अलावा, रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच और मानव अधिकार परिषद के साथ एनएचआरसी भारत की भागीदारी को भी शामिल किया गया है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वार्षिक रिपोर्ट पूरे आयोग के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हालाँकि, संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता सिन्हा की अध्यक्षता में एक वार्षिक रिपोर्ट टीम 2022-23, जिसमें श्री सुदेश कुमार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार, सुश्री आकांक्षा शर्मा शामिल थीं, ने इस दस्तावेज़ को सामने लाने के लिए अथक प्रयास किया। मैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनकी कड़ी मेहनत की ईमानदारी से सराहना करना चाहूंगा।

हम उस यात्रा के प्रति सचेत हैं जो हमारे सामने है, और सार्वभौमिक मानव अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में लंबे और कठिन रास्ते पर चलना सम्मान की बात है। न्याय, समानता और सभी के लिए सम्मान के सिद्धांतों का पालन करते हुए, हम अपने मिशन के प्रति समर्पण में दृढ़ हैं। साझा की गई कहानियाँ, प्रस्तुत किए गए डेटा और इस रिपोर्ट में दी गई अंतर्दृष्टि तकनीकी प्रगति, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और अन्याय सहित उभरती चुनौतियों के सामने निरंतर सतर्कता, समर्थन और कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करती है।

अंत में, मैं आपको हमारी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो हमारे प्रयासों, सफलताओं और चुनौतियों और एक मूल्यवान संसाधन का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। आइए ऐसे समाज के लिए काम करते रहें जिसमें हर किसी को वह गरिमा और सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं।

[भरत लाल]

संक्षिप्ति की सूची

क्र.सं.	संक्षेपाक्षर	फुल फॉर्म
1.	एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना
2.	एसीजेएम	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
3.	एएचटीयू	मानव तस्करी विरोधी इकाई
4.	एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
5.	एडीएम एवं एचओ	अतिरिक्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6.	एएमसी	चिकित्सा सलाहकारों का संघ
7.	एएनबी	आत्मनिर्भर भारत
8.	एएनएम	सहायक नर्स और दाई
9.	एपीएफ	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच
10.	एआटी	अनुच्छेद
11.	एआरटीएस	अनुच्छेदों
12.	एएसआई	सहायक उपनिरीक्षक
13.	एटीआई	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
14.	एटीआर	कार्रवाई रिपोर्ट
15.	बीएलएसएए	बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम
16.	बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
17.	बीपीआर एंड डी	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
18.	सीएए	नागरिकता संशोधन अधिनियम
19.	सीएपीएफ	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
20.	सीबी-सीआईडी/सीआईडी-सीबी	अपराध शाखा अपराध जांच विभाग
21.	सीबीआई	केंद्रीय जांच ब्यूरो
22.	सीसीआई	बाल देखभाल संस्थान
23.	सीसीटीवी	क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे
24.	सीईडीएडब्ल्यू	महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अनुबंध
25.	सीएफएनएचआरआई	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का राष्ट्रमंडल मंच
26.	सीआईएएफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
27.	सीएमओ	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

क्र.सं.	संक्षेपाक्षर	फुल फॉर्म
28.	सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29.	सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
30.	सीओ	सर्किल ऑफिसर
31.	सीआरपीसी	दंड प्रक्रिया संहिता
32.	सीआरसी	बाल अधिकारों पर कन्वेंशन
33.	सीआरसीसी	पुनर्वास आयोग परामर्शदाता प्रमाणन
34.	सीआरपीएफ	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
35.	सीसैम	बाल यौन शोषण सामग्री
36.	सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
37.	सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
38.	सीयूटीएन	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय
39.	डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
40.	डीसी	जिला कलेक्टर
41.	डीसीपी	पुलिस उपायुक्त
42.	डीसीआरजी	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी
43.	डीडी	दैनिक डायरी
44.	डीडीआरसी	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र
45.	डेलनेट	पुस्तकालय नेटवर्किंग का विकास
46.	डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
47.	डीजीपी	पुलिस महानिदेशक
48.	डीएम	जिला मजिस्ट्रेट
49.	डीपीओ	दिव्यांगजन के संगठन
50.	डीएसएलएसए	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
51.	डीएसपी	पुलिस उपाधीक्षक
52.	ईडी	प्रवर्तन निदेशालय
53.	ईडीएमसी	पूर्वी दिल्ली नगर निगम
54.	एफएसी	पहली संशोधित शिकायत
55.	एफआईआर	प्रथम सूचना रिपोर्ट
56.	एफएसएल	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

क्र.सं.	संक्षेपाक्षर	फुल फॉर्म
57.	एफवाई	वित्त वर्ष
58.	गनहरी	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन
59.	जीडी	सामान्य डायरी
60.	जीईएम	सरकारी ई-मार्केटप्लेस
61.	जीओआई	भारत सरकार
62.	जीपीएफ	ग्रेच्युटी भविष्य निधि
63.	जीआरपी	सरकारी रेलवे सुरक्षा
64.	एचसी	हेड कांस्टेबल
65.	एचआईवी	मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु
66.	एचक्यूएस/एचक्यू.	मुख्यालय
67.	एचआर	मानवाधिकार
68.	एचआरडी	मानवाधिकार संरक्षक
69.	आई एंड पीआरओ	सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी
70.	आईसीसी	मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति
71.	आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास योजना
72.	आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
73.	आईसीपीएस	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
74.	आईजी	महानिरीक्षक
75.	आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी
76.	आईएम-पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन
77.	आईएमए	भारतीय चिकित्सा संघ
78.	आईओ	जांच अधिकारी
79.	आईपीसी	भारतीय दंड संहिता
80.	आईपीओपी	वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
81.	आईपीएसआरसी	वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
82.	आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
83.	आईवीएफ	इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
84.	जेसीएल	कानूनों का उल्लंघन करने वाले किशोर
85.	जेआईएमएस	जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विद्यालय
86.	जेजे एक्ट/जेजेए	किशोर न्याय अधिनियम

क्र.सं.	संक्षेपाक्षर	फुल फॉर्म
87.	एलएफएस	लिंक की गई फ़ाइलें
88.	एलजीबीटीक्यूआई+	लेस्बियन, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स समुदाय
89.	एम/ओ	मंत्रालय
90.	मार्ग	मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप
91.	एमडीजी	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
92.	एमडीएमएस	मिड-डे मील योजना
93.	एमईआर	मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट
94.	एमजीएनआरईजीए (मनरेगा)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
95.	एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
96.	एमएचए	गृह मंत्रालय
97.	एमएचआई	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान
98.	एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
99.	एमएलसी	मेडिको लीगल मामले
100.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
101.	एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
102.	एनएएसी	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
103.	एनसीबी	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
104.	एनसीसी	राष्ट्रीय कैडेट कोर
105.	एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
106.	एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
107.	एनसीआरबी	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
108.	एनसीटी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
109.	एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
110.	एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
111.	एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
112.	एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
113.	एनएचआरसी	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
114.	एनएचआरआई	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान
115.	एनआरआईडीए	राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी
116.	एनआईए	राष्ट्रीय जांच एजेंसी

क्र.सं.	संक्षेपाक्षर	फुल फॉर्म
117.	एनआईओएच	राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान
118.	एनआईपीसीसीडी	राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान
119.	एनएलयू	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
120.	एनएमएचएस	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
121.	एनओके	निकटतम संबंधी
122.	एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
123.	एनएसकेएफडीसी	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम
124.	एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
125.	एनवाईकेएस	नेहरू युवा केंद्र संगठन
126.	ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
127.	ओएचसीएचआर	मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय
128.	ओपीएसी	ऑनलाइन सार्वजनिक पहुँच सूची
129.	ओएससी	वन स्टॉप सेंटर
130.	पीएस	पुलिस स्टेशन
131.	पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट	गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994
132.	पीसीआर	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम
133.	पीडी	शारीरिक अभ्यास
134.	पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
135.	पीईएमएसआरए	मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
136.	पीईएसए	पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
137.	पीएचआरए/पीएचआर एक्ट	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
138.	पीएम-केयर्स फंड	आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष
139.	पीएमजीकेएवाई	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
140.	पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
141.	पीएमजेएवाई	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
142.	पॉक्सो एक्ट	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
143.	पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
144.	पीपीएच	प्रसवोत्तर रक्तस्राव
145.	पीटीआई	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान
146.	पीटीआर	छात्र शिक्षक अनुपात

क्र.सं.	संक्षेपाक्षर	फुल फॉर्म
147.	पीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन
148.	आर/ओ	निवासी
149.	आर/डब्ल्यू	के साथ पढ़ें
150.	आरएसी	त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ
151.	आरओएफ़आर	वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) अधिनियम, 2006
152.	आरपीएफ	रेलवे सुरक्षा बल
153.	आरपीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
154.	आरटीई	शिक्षा का अधिकार
155.	एस/ओ	पुत्र
156.	एसएएम	गंभीर तीव्र कुपोषण
157.	एससी	अनुसूचित जाति
158.	एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
159.	एसडीएम	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट
160.	एसईडब्ल्यूए	स्व-रोजगार महिला संघ
161.	एसएचजी	स्व-सहायता समूह
162.	एसआईटी	विशेष जांच दल
163.	एसएमएस	संक्षिप्त संदेश सेवा
164.	एसएनपी	पोषण कार्यक्रम
165.	एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
166.	एसपी	पुलिस अधीक्षक
167.	एसएस	शिक्षा सहायक
168.	एसएसपी	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
169.	एसटी	अनुसूचित जनजाति
170.	एसटीएफ	विशेष कार्य बल
171.	टी.बी.	क्षय रोग
172.	टीपीडीएस	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक
173.	यू/एस	धारा के अंतर्गत
174.	यूएपी	बिना लाइसेंस वाले सहायक कार्मिक
175.	यूडीआईडी	अद्वितीय दिव्यांगता पहचान

क्र.सं.	संक्षेपाक्षर	फुल फॉर्म
176.	यूडीआईएसई	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
177.	यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
178.	यूएनसीआरसी	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
179.	यूएनसीआरपीडी	दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
180.	यूएनजीपी-बीएचआर	व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत
181.	यूएनएचआरसी	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
182.	यूएनडब्ल्यूजी-बीएचआर	व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह
183.	यूपीआर	सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा
184.	यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
185.	यूटीपी	विचाराधीन कैदी
186.	वीसी	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
187.	वीसीएस	पीड़ित मुआवजा योजना
188.	डब्ल्यूईएससीओ	ओडिशा की वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी
189.	डब्ल्यू/ओ	पत्नी
190.	डब्ल्यूएफपी	विश्व खाद्य कार्यक्रम
191.	डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
192.	ज़िपनेट	क्षेत्रीय एकीकृत पुलिस नेटवर्क

अध्याय 1

परिचय

1.1 एनएचआरसी भारत की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत की गई थी, जिसे सितम्बर 2006 और जुलाई 2019 में यथासंशोधित किया गया था, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पीएचआरए) के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य 'मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन' करना है। यह एक संस्था है जो न्यायपालिका के पूरक के रूप में कार्य करती है और देश में सभी लोगों के संवैधानिक रूप से प्रगणित मौलिक मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में लगी हुई है।

1.2 अधिनियम के अनुसार, *'मानव अधिकार'* का अर्थ है *'व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं।'* अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर), आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (आईसीईएससीआर), महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अनुबंध (सीईडीएडब्ल्यू), बाल अधिकारों पर अनुबंध (सीआरसी) और सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अनुबंध (सीईआरडी) शामिल हैं। भारत सरकार 1979 में आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर में शामिल हुई। सरकार ने 1993 में सीईडीएडब्ल्यू, 1991 में सीआरसी और 1968 में सीईआरडी को मंजूरी दी। आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर में उल्लिखित कई अधिकार जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध थे। ये अधिकार मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के व्यापक शीर्षक के तहत संविधान के भाग III और भाग IV में परिलक्षित होते हैं।

1.3 निस्संदेह, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की सबसे बड़ी ताकत आयोग को स्वतंत्रता, कार्यात्मक स्वायत्तता और व्यापक जनादेश प्रदान करना है, जो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) की संरचना तथा सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक हैं। एनएचआरसी-भारत मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु भारत की चिंता का प्रतीक है।

1.4 एनएचआरसी-भारत के अस्तित्व में आने के बाद से आयोग का अनुभव यह दर्शाता है कि आयोग की स्वतंत्रता और ताकत इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया और पूछताछ से संबंधित शक्तियों, कार्यों की विस्तृत श्रृंखला और विशेष प्रभागों और कर्मचारियों से संबंधित क़ानून की आवश्यकताओं से अच्छी तरह से गारंटीकृत है।

1.5 यह रिपोर्ट 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि को कवर करती है। यह आयोग की तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा की गई पहलों/गतिविधियों का व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है।

1.6 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा आयोग में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। श्रीमती ज्योतिका कालरा आयोग में सदस्य रही हैं एवं कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 04 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपना पद छोड़ दिया; न्यायमूर्ति श्री एम.एम. कुमार आयोग में सदस्य थे एवं कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 04 जनवरी 2023 को उन्होंने अपना पद छोड़ दिया; डॉ. डी. एम. मुले तथा श्री राजीव जैन आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे।

1.7 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह ने दिनांक 02 मई 2022 को एनएचआरसी के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री संतोष मेहरा, महानिदेशक (अन्वेषण) ने दिनांक 12 जुलाई 2022 को अपने मूल कैडर में स्थानांतरण पर कार्यालय छोड़ दिया तथा श्री मनोज यादव ने दिनांक 12 जुलाई 2022 को एनएचआरसी के महानिदेशक (अन्वेषण) के रूप में कार्यभार संभाला। श्रीमती अनिता सिन्हा आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहीं। श्री देवेन्द्र कुमार निम ने दिनांक 15 फरवरी 2023 को संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.8 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खंड (बी) से (जे) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन हेतु, जैसा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) की धारा 3(3) में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय बाल

अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त डॉ. कमलेश कुमार पांडे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान, तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा एनएचआरसी के पदेन सदस्य थे।

1.9 वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने पीएचआरए, 1993 की धारा 12 के तहत निर्धारित विभिन्न कार्यों के अनुसार गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के साथ-साथ कई मुद्दों को कवर करने वाली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई का *स्वत: संज्ञान* लिया, जैसे कि ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लोक सेवकों द्वारा लापरवाही के कारण कथित मानव अधिकार उल्लंघन, कथित हिरासत में मौतें, यातना, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की मनमानी, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए उल्लंघन, जेलों से संबंधित स्थितियां, महिलाओं और बच्चों पर किए गए अत्याचार और अन्य कमजोर वर्ग, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ और बाल श्रम, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करना, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आदि। इन सभी में, संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने और घटना सथल पर जांच करने के लिए अपनी टीमें भेजने जैसे कुछ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने के अलावा, आयोग ने उन पीड़ितों या उनके परिजनों, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, को मौद्रिक राहत के भुगतान की भी सिफारिश के साथ-साथ राज्य सरकारों को भुगतान के सबूत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

1.10 आयोग ने मानव अधिकारों की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एनएचआरसी और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के बीच सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों का भी पता लगाया। मानव अधिकारों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और मानव अधिकारों की प्रभावी संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एनएचआरसी तथा एसएचआरसी के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आयोग ने दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में सभी एसएचआरसी और वैधानिक पूर्ण आयोग (एसएफसी) के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया।

1.11 वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट पुलिस/न्यायिक हिरासत में मौत, अवैध हिरासत, पुलिस मुठभेड़ में मौत आदि सहित नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक अधिकारों, जैसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों सहित कमजोर समूहों के अधिकार, तथा बंधुआ एवं बाल श्रमिकों का बचाव, रिहाई और पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

इस रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में उपर्युक्त मुद्दों का विस्तार से वर्णन दिया गया है।

अध्याय 2

वार्षिक परिदृश्य : एक नज़र में

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत की चिंता का एक प्रहरी है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

2.1 मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु हस्तक्षेप

2.1.1 वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग में कुल 1,04,128 मामले दर्ज किये गये। आयोग ने 1,09,909 मामलों का निपटान किया, जिसमें पीएचआरए, 1993 की धारा 13(6) के तहत आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित 9,313 मामले शामिल थे। आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या में से, 64,622 मामलों को *'प्रथम दृष्टया'* ही खारिज कर दिया गया। आयोग ने उक्त अवधि में निपटाई गई कुल 1,09,909 शिकायतों में से 12,260 शिकायतों को बंद कर दिया। मामलों के पंजीकरण और निपटान का राज्यवार विवरण अनुलग्नक I और II में दिया गया है।

2.1.2 आयोग ने 301 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को मौद्रिक राहत/मुआवजा के भुगतान के रूप में 1448 लाख रुपये से अधिक की सिफारिश की।

2.1.3 आयोग ने कुल 81 मामलों में *स्वत: संज्ञान* लिया।

2.1.4 वर्ष के दौरान, पूर्ण आयोग ने 12 बैठकों में मानव अधिकार उल्लंघन के 410 मामले उठाए। इसके अलावा, दो खण्ड पीठों ने 14 बैठकों में 1,192 मामलों पर विचार किया।

2.1.5 आयोग को मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, चाहे वह अदालती कार्यवाही हो, जेल प्रशासन हो या सुधार या सुरक्षा के कार्यों का निर्वहन करने वाली कोई अन्य संस्था हो। यह सुनिश्चित करने के लिए, आयोग माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग के सदस्यों द्वारा शिविर बैठकें आयोजित करता है और आयोग द्वारा नामित जांच अधिकारियों की विशेष टीमों द्वारा घटना स्थल पर जांच भी करवाता है।

2.1.6 इस अवधि के दौरान, आयोग द्वारा दो शिविर बैठकें और 46 घटना स्थल जांच आयोजित की गई। इसका विवरण अध्याय-3 के अंतर्गत दिया गया है। आयोग द्वारा घटना स्थल पर की गई सभी जांचों की सूची भी अनुलग्नक III पर संलग्न है।

2.1.7 न्यायिक हिरासत में मौत के 2,391 मामले और पुलिस हिरासत में मौत के 363 मामलों पर आयोग द्वारा कार्रवाई/निपटान किया गया। अन्वेषण प्रभाग द्वारा मुठभेड़ में हुई मौतों के 259 से अधिक मामलों पर कार्रवाई/निपटान किया गया।

2.1.8 15 मामले रैपिड एक्शन सेल द्वारा निपटाए गए, जहां आयोग के तत्काल हस्तक्षेप से मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सका।

2.2 कोर ग्रुप की बैठकें

2.2.1 आयोग द्वारा कुछ प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर विशेषज्ञों के कोर ग्रुप गठित किए गए हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोग प्रत्येक विषयगत क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोर ग्रुप की बैठकें आयोजित करता है। विभिन्न विषयों पर 12 कोर ग्रुप हैं, जैसे स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप, भोजन और पोषण के अधिकार पर कोर ग्रुप, महिलाओं पर कोर ग्रुप आदि।

2.2.2 इस अवधि के दौरान, कोर ग्रुपों की तीन बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें दिनांक 28 फरवरी, 2023 को वृद्धजनों पर कोर ग्रुप की बैठक; तथा दिनांक 13 अप्रैल, 2022 और 26 जुलाई, 2022 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोर ग्रुप की दो बैठकें भी शामिल है। इनका विस्तृत विवरण अध्याय 7 में शामिल विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत दिया गया है।

2.3 नीति परामर्श

2.3.1 आयोग को भारत के संविधान, अन्य कानूनों और मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नीति परामर्शी जारी करने का अधिकार है। आयोग ने इस अवधि के दौरान कुल तीन परामर्शियां अर्थात्, दिनांक 09 मई 2022 को 'पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण के मानव अधिकारों पर प्रभावों को रोकने, कम करने तथा घटाने के लिए परामर्शी; दिनांक 27 जून 2022 को 'ट्रक ड्राइवरों के मानव अधिकारों

के संरक्षण के लिए परामर्शी तथा दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को 'नेत्र संबंधी आघात को रोकने, कम करने और न्यून करने के लिए परामर्शी जारी कीं। इनका विस्तृत विवरण अध्याय 7 में शामिल विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जा सकता है।

2.4 सम्मेलन/ सेमिनार/ ओपन हाउस चर्चाएँ

2.4.1 कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद, आयोग द्वारा पूरे वर्ष में छह सम्मेलन तथा वेबिनार आयोजित किए गए, जिनमें – दिनांक 30 जून - 01 जुलाई 2022 को भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानव अधिकार पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन; दिनांक 03 अगस्त 2022 को प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन; दिनांक 01 नवम्बर 2022 को खेल और मानव अधिकार पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन; दिनांक 04 नवम्बर 2022 को बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) पर चर्चा का आयोजन; दिनांक 24 नवम्बर 2022 को पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे की लगाने की स्थिति के संबंध में बैठक का आयोजन; दिनांक 22 फरवरी 2023 को भारतीय नाविकों के अधिकारों पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन; दिनांक 02-03 मार्च 2023 को बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन; तथा दिनांक 11 मार्च 2023 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के सहयोग से "जेंडर और कामुकता: कलंक, भेदभाव और बहिष्करण" पर सम्मेलन का आयोजन शामिल हैं।

2.5 मानव अधिकारों पर शोध/ अनुसंधान

2.5.1 आयोग को मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करने और बढ़ावा देने का भी दायित्व सौंपा गया है, जिसके लिए आयोग विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ताओं के लिए विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देता है और उनका पर्यवेक्षण करता है। इस अवधि के दौरान, आयोग के अंतर्गत 46 परियोजनाएं चल रही थीं। अनुसंधान परियोजनाओं का विस्तृत विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है।

2.6 मानव अधिकार साक्षरता को बढ़ावा देना

2.6.1 आयोग का एक प्रमुख कार्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करना तथा प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। मानव अधिकार साक्षरता फैलाने के लिए आयोग द्वारा की गई सभी

चित्र 2.1: 30वें स्थापना दिवस समारोह की डायस से

चित्र 2.2: भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मानव अधिकार दिवस पर दीप प्रज्वलित करते हुए

प्रमुख गतिविधियों का विस्तृत विवरण अध्याय - 7 में दिया गया है। साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के दौरे, इंटर्नशिप कार्यक्रम और फंड, मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है। इनका विवरण अध्याय-6 के अंतर्गत दिया गया है। आयोग के अधिकारी विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने और मानव अधिकार साक्षरता फैलाने और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य मंचों पर व्याख्यान भी देते हैं। अधिकारी एनएचआरसी के अल्पकालिक और दीर्घकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रमों से जुड़े छात्रों को व्याख्यान भी देते हैं।

2.7 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ जुड़ाव

2.7.1 आयोग मानव अधिकार साक्षरता के प्रसार, इसके लिए धन जारी करने तथा विभिन्न क्षेत्रों के ज्वलंत मुद्दों पर उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने हेतु नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के साथ सहयोग करके मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। अध्याय – 6 में मानव अधिकार साक्षरता कार्यक्रमों के तहत गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सहयोग पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

2.8 मानव अधिकार संरक्षकों के साथ जुड़ाव

2.8.1 मानव अधिकार संरक्षकों (एचआरडी) को आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मिलकर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने या उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। मानव अधिकार संबंधी चिंताओं, जैसे मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत, भेदभाव, जबरन बेदखली, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आदि को संबोधित करने में मानव अधिकार संरक्षकों ने सक्रिय रूप से योगदान दिया है। उनका उद्देश्य बुनियादी मानव अधिकारों का संरक्षण करना भी है, जैसे जीवन, भोजन और पानी, स्वास्थ्य, पर्याप्त आवास, शिक्षा, आंदोलन की स्वतंत्रता और भेदभाव के खिलाफ अधिकार। वे

यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कमजोर वर्गों, जैसे महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय, भाषाई या लैंगिक के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके।

2.8.2 आयोग को मानव अधिकार संरक्षकों के कथित उत्पीड़न से संबंधित 99 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग के निर्देश पर मानव अधिकार संरक्षकों से संबंधित तीन मामले अंततः बंद कर दिए गए। मानव अधिकार संरक्षकों से संबंधित पांच मामलों को निर्देश के साथ निपटान किया गया।

2.9 स्थापना दिवस

2.9.1 आयोग ने दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को भीम ऑडिटोरियम, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में एनएचआरसी अध्यक्ष, सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, एसएचआरसी के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी तथा एनएचआरसी के पदेन सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर, उच्चतम न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, नागरिक समाज संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

2.10 मानव अधिकार दिवस

2.10.1 आयोग ने दिनांक 10 दिसम्बर 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मानव अधिकार दिवस मनाया। भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित रहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में आयोग द्वारा हर वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।

2.11 आरटीआई

2.11.1 वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग को 2264 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, और सभी का 30 दिनों के भीतर निपटान किया गया। 64 आरटीआई आवेदन अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को स्थानांतरित कर दिए गए।

2.11.2 अपीलीय प्राधिकारी द्वारा एक माह के भीतर कुल 235 अपीलें प्राप्त हुईं और उनका निपटान किया गया। सी.आई.सी. से 19 नोटिस प्राप्त हुए और उन सभी की सुनवाई में सी.पी.आई.ओ/ अपीलीय प्राधिकारी ने भाग लिया। इसके अलावा, 19 सुनवाइयां हुईं जिनके संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सी.आई.सी. को सौंपी गई।

अध्याय 3

संगठन और कार्य प्रणाली

3.1 आयोग का गठन

3.1.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2019 में यथासंशोधित) एक आयोग के गठन का प्रावधान करती है जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो; एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो; तीन सदस्यों को, जिनमें से कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है, मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा।

3.1.2 इस संशोधन के साथ, आयोग के पदेन सदस्यों की संख्या पांच से बढ़कर सात कर दी गई है। पीएचआरए, (यथासंशोधित, 2019) के अनुसार, आयोग के सात पदेन सदस्य,- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष; राष्ट्रीय महिला आयोग; राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग; और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त हैं।

3.1.3 एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री (अध्यक्ष के रूप में), लोकसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार में गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, तथा राज्यसभा के उपाध्यक्ष वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है।।

3.1.4 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय महासचिव के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है।

3.1.5 एनएचआरसी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक मुकदमे की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत की शक्तियां सौंपी गई हैं, जिसमें विशेष रूप से गवाहों को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और शपथ पर उनकी जांच करने के संबंध में; किसी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुतीकरण; शपथपत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना; किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना; गवाहों या दस्तावेजों की जांच तथा कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है, के लिए समन जारी करना। उल्लंघन के मामले में, आयोग संबंधित सरकार से उपचारात्मक उपाय करने तथा पीड़ित या उनके परिजनों को मुआवजा देने और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों की याद दिलाने का निर्देश देता है। मामले के आधार पर, आयोग संबंधित व्यक्ति(व्यक्तियों) के खिलाफ अभियोजन या किसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है जो आयोग उचित समझे। आयोग को अखबार और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर गंभीर मामलों का *स्वत: संज्ञान* लेने का जनादेश भी है।

3.1.6 पीएचआरए की धारा 12 में निर्धारित आयोग के कार्यों में शामिल हैं:

- जांच करना, स्वत: संज्ञान लेना या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर या किसी अदालत के निर्देश या आदेश पर (i.i) मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके दुष्प्रेरण की शिकायत की जांच करना; या (i.ii) किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही।

- किसी अदालत के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में, ऐसी अदालत की अनुमति से हस्तक्षेप करना।

- तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी जेल या अन्य संस्थान का दौरा करना, जहां व्यक्तियों को इलाज, सुधार या सुरक्षा के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है। वहां के कैदियों की जीवन स्थितियों का अध्ययन करना और उस पर सरकार को सिफारिशें करना।

- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।

- आतंकवाद के कृत्यों सहित उन कारकों की समीक्षा करना जो मानव अधिकारों के निर्बाध उपभोग को बाधित करते हैं और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

- मानव अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना हैं।

3.2 रणनीतिक योजना और वार्षिक कार्य योजना

3.2.1 एनएचआरसी भारत ने आयोग के काम को अधिक प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना (2022-23) और 2021-24 के लिए तीन साल की रणनीतिक योजना के व्यापक संस्थागत तंत्र विकसित किए हैं। इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के साथ आयोग की भागीदारी को और अधिक मजबूत करना तथा मौजूदा तंत्र को इसके कार्यक्षेत्र के भीतर और भी मजबूत बनाना है। फोकस वाले कुछ क्षेत्रों में बंधुआ और बाल श्रम के मुद्दे, समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा, जेल सुधार, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों के अधिकार, एलजीबीटीआई समुदाय के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार शिक्षा, सुशासन, व्यवसाय और मानव अधिकार आदि शामिल हैं। आयोग मानव अधिकारों के संवर्धन एवं उनके संरक्षण हेतु कानूनों और योजनाओं में सुधार के लिए जागरूकता फैलाने और विभिन्न हितधारकों के साथ काम करने को भी प्रोत्साहित करता है। आयोग इन योजनाओं की नियमित समीक्षा करता है।

3.3 वैधानिक पूर्ण आयोग

3.3.1 एनएचआरसी के वैधानिक पूर्ण आयोग (एसएफसी) में अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं, जिनमें पदेन सदस्य भी शामिल हैं। जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए एसएफसी की बैठकें नियमित रूप से बुलाई जाती हैं और एसएफसी आयोग के सम्मेलन/सेमिनार में भी भाग लेता है। एसएफसी बैठक का मूल उद्देश्य व्यापक रूप से महत्वपूर्ण मानव अधिकार चिंताओं की पहचान करना है, जिस पर सभी आयोग सहयोग कर सकते हैं, अच्छी प्रथाओं को साझा कर सकते हैं, साथ ही इन आयोगों के विभिन्न कार्यों को और मजबूत करने के साधनों की पहचान कर सकते हैं, जिसमें देश के भीतर मानव अधिकार संरक्षण को और मजबूत करने के उद्देश्य से जांच, अनुसंधान और मानव अधिकार जागरूकता शामिल है।

3.3.2 वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 06 सितम्बर 2022 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में वर्चुअली आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने की तथा न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, सदस्य, एनएचआरसी; श्री राजीव जैन, सदस्य, एनएचआरसी; श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, महासचिव, एनएचआरसी; सुश्री रूपाली, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; श्री अशोली चालाई, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग; श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग; श्री किशोर बाबूराव सुरवाडे, डीडीजी, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय; और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

3.3.3 एसएफसी बैठक से निकले कुछ कार्रवाई योग्य बिंदुओं में शामिल हैं: (i) मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर एनएचआरसी और डीम्ड आयोगों का सहयोग और डेटा और मामले का विवरण, यदि कोई हो, साझा करना; (ii) मानव अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना; (iii) अस्पृश्यता, बाल विवाह और स्कूली बच्चों में एकाग्रता की कमी और अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम विकसित/संवेदनशील बनाना; (iv) सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और सहयोगात्मक उपायों के सामान्य क्षेत्रों का पता लगाना; (v) महिलाओं के लिए उनके अधिकारों के बारे में संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना; और (vi) खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनके मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना। ये सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी गई।

3.4 शिविर बैठकें

3.4.1 जनवरी 2023 में मुंबई, महाराष्ट्र में शिविर बैठकें आयोजित की गईं जहां 324 मामलों पर विचार किया गया। आयोग की बैठक का विवरण अनुलग्नक V में दिया गया है।

3.5 मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

3.5.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 3308 थी; न्यायिक हिरासत में मौत के मामले 2391 थे; पुलिस हिरासत में मौतें 363 थीं; और तथ्यान्वेषी मामले 554 थे। आयोग द्वारा संसाधित मामलों का माहवार विवरण अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध है।

3.5.2 जुलाई 2022 के महीने के दौरान, आयोग ने कैदियों की रहने की स्थिति, उपचार, सुधार या सुरक्षा तक पहुंच का जायजा लेने हेतु सेंट्रल जेल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश तथा सरकारी सुरक्षा गृह और मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश का दौरा किया।

3.5.3 आयोग के निर्देशों पर, सदस्य श्री राजीव जैन की देखरेख में दिसम्बर 2022 में बिहार राज्य के जहरीली शराब त्रासदी प्रभावित जिलों में प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए उपचार की स्थिति और उन्हें प्रदान की गई अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच का जायजा लेने हेतु एक घटना स्थल तथ्यान्वेषण जांच आयोजित की गई थी। घटना स्थल तथ्यान्वेषण जांच पर विचार करने पर, आयोग ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार को अपर्याप्त स्वास्थ्य तैयारियों, तथ्यों को दबाने, राहत/मुआवजा की अनुपस्थिति आदि पर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

3.6 अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दौरे

3.6.1 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर कुल 21 दौरे किए गए, जिनमें सेंट्रल जेल, छपरा, बिहार; एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), गोविंदपुरी, ग्वालियर; महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर; नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय; आदि शामिल थे। दौरों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक VII पर संलग्न है।

3.7 शिकायतों का समाधान/ निपटान

3.7.1 आयोग के निर्णय/आदेश/निर्देश, दिशानिर्देश, परामर्शियों, सिफारिशों ने आयोग को शिकायतों की निपटान में विलंब को कम करने में सक्षम बनाया है तथा आयोग को मिलने वाली शिकायतों की संख्या में भी कमी आई है।

- वर्ष 2022-23 के दौरान 1,04,128 मामले दर्ज किए गए और 1,09,909 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें पीएचआरए, 1993 की धारा 13(6) के तहत राज्य मानव अधिकार आयोगों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटान हेतु स्थानांतरित किए गए 9,313 मामले भी शामिल थे। इसमें पिछले वर्षों में दर्ज मामले भी शामिल थे, जो निपटान के लिए लंबित थे। आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या में से, 6,46,22 को 'प्रथम दृष्टया में ही' खारिज कर दिया गया। आयोग ने 2022-23 के दौरान उपचारात्मक उपायों के लिए उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश देकर **23,910** मामलों का निपटान किया।

- 01 अप्रैल 2022- 30 जून 2022 तिमाही के दौरान 28,099 मामले दर्ज किये गये और 29,578 मामलों का निपटान किया गया।

- 01 जुलाई 2022- 30 सितम्बर 2022 तिमाही के दौरान 37,133 मामले दर्ज किये गये और 41,353 मामलों का निपटान किया गया।

- 01 अक्टूबर 2022- 31 दिसम्बर 2022 तिमाही के दौरान 20,386 मामले दर्ज किए गए और 25,631 मामलों का निपटान किया गया।

- 01 जनवरी 2023- 31 मार्च 2023 तिमाही के दौरान 18,510 मामले दर्ज किये गये और 22,070 मामलों का निपटान किया गया।

3.7.2 2022-23 के दौरान आयोग द्वारा पंजीकृत 1,04,128 मामलों में से (अनुलग्नक-I), उत्तर प्रदेश राज्य से 37,415 मामले; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 6,876 मामले; बिहार से 6,187 मामले; तथा पश्चिम बंगाल से 5,168 मामले और 5,479 मामले पूरे भारत या एक से अधिक राज्यों से थे।

3.7.3 इनमें से कई मामलों के निपटारे से पीड़ितों को आर्थिक मुआवजें के रूप में राहत मिलती है, दोषी लोक सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन, बंधुआ मजदूरों की रिहाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का पंजीकरण, पेंशन का भुगतान, आदि होता है।

3.7.4 31 मार्च 2023 तक, आयोग के पास लंबित मामलों की कुल संख्या 12,237 थी, जिसमें प्रारंभिक विचार की प्रतीक्षा में 905 मामले और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट के लिए लंबित या आयोग द्वारा विचार के लिए लंबित प्राप्त रिपोर्टों के 11,332 मामले शामिल हैं (अनुलग्नक VIII)।

3.8 हिरासत में हिंसा को रोकना

3.8.1 एनएचआरसी को रिपोर्ट अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित 2,356 सूचनाएं, पुलिस हिरासत में मौत की 168 सूचनाएं और अर्धसैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में मौत की 01 सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासत में मौत के 2,393 मामलों का निपटान किया। इन 2,393 मामलों में से 2,252 मामले न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित हैं, 138 मामले पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार के और 01 मामला अर्ध-सैन्य बलों की हिरासत में मौत से संबंधित है। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

3.9 मौद्रिक राहत हेतु एनएचआरसी की सिफारिशें और उनका अनुपालन

3.9.1 इस अवधि के दौरान, आयोग ने 301 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के रिश्तेदारों को मौद्रिक राहत/मुआवजा के भुगतान के रूप में 1448 लाख रुपये से अधिक की सिफारिश की। इन 301 मामलों में से 134 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पीड़ितों/मृतक के परिजनों को कुल 626 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक IX पर संलग्न है।

3.9.2 31 मार्च 2023 तक 167 मामलों में मुआवजा/मौद्रिक राहत देने के लिए आयोग की सिफारिश से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। इन मामलों का विवरण अनुलग्नक X पर संलग्न है।

3.10 अनुसंधान गतिविधियाँ

3.10.1 आयोग, यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि मानव अधिकारों को उनकी पृष्ठभूमि या श्रेणियों के बावजूद, सभी द्वारा बरकरार रखा जाए और उनका निर्बाध आनंद उठाया जाए, ने कुछ फोकस क्षेत्रों और विभाजन मुद्दों को पहचाना है जिन पर इसकी रणनीतिक योजना में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब किसी विषयगत क्षेत्र को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, तो अनुसंधान प्रभाग उस विषयगत क्षेत्र से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें या परामर्शी जारी करने के लिए सम्मेलन, सेमिनार, ओपन हाउस चर्चा, बैठकें या कार्यशालाएं आयोजित करता है। इस रिपोर्ट के अध्याय-7 में प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के लिए की गई ऐसी गतिविधियों को उल्लेखित किया गया है। इनके अलावा, आयोग मानव अधिकारों पर अनुसंधान भी करता है और उसे बढ़ावा देता है, जिसे अनुलग्नक III के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लागू नीतियों, कानूनों, संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों की समीक्षा करता है और केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों को इनपुट प्रदान करता है।

3.11 मीडिया एवं संचार

3.11.1 मीडिया डेस्क विभिन्न माध्यमों जैसे ट्विटर हैंडल, प्रेस विज्ञप्ति, समाचार पत्र, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार आदि के माध्यम से आयोग द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित जानकारी के प्रसार में सहयोग किया है। मीडिया डेस्क समाचार कतरनों पर भी नज़र रखता है जिसके आधार पर एनएचआरसी हस्तक्षेप करता है या स्वत: संज्ञान लेता है। प्रभाग द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण अध्याय 6 के अंतर्गत दिया गया है।

3.12 प्रशिक्षण

3.12.1 प्रशिक्षण प्रभाग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार जागरूकता और साक्षरता फैलाने में प्रयासरत है। यह प्रभाग राज्य और इसकी एजेंसियों के विभिन्न सरकारी अधिकारियों और पदाधिकारियों, गैर-सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और छात्रों को विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और संवेदनशील बनाता है। प्रभाग द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण अध्याय 6 के अंतर्गत दिया गया है।

3.13 कोर ग्रुप

3.13.1 कोर ग्रुप में स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांगता, या बंधुआ मजदूरी आदि जैसे दिए गए क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति या विषय विशेषज्ञ या सरकारी या तकनीकी संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये कोर ग्रुप विशेषज्ञ आयोग को सलाह देते हैं। कोर ग्रुप की बैठकें समय-समय पर नियमित अंतराल पर या जब आवश्यक समझी जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान 12 कोर ग्रुप थे, जिनमें शामिल हैं :-

i.) स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप

ii.) वृद्धजनों पर कोर ग्रुप

iii.) दिव्यांगजनों पर कोर ग्रुप

iv.) एनजीओ और मानव अधिकार संरक्षकों पर कोर ग्रुप

v.) पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार पर कोर सलाहकार ग्रुप

vi.) भोजन के अधिकार पर कोर ग्रुप

vii.) व्यवसाय और मानव अधिकार पर कोर ग्रुप

viii.) बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप

ix.) महिलाओं पर कोर ग्रुप

x.) बच्चों पर कोर ग्रुप

xi.) एलजीबीटीआई मुद्दों पर कोर ग्रुप

xii.) आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार पर कोर ग्रुप

3.14 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

3.14.1 आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर मानव अधिकार विशेषज्ञ हैं जिन्हें विशेष रूप से विषयगत या राज्य-विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से मानव अधिकार संबंधी चिंताओं पर रिपोर्ट करने और सलाह देने के निर्देश के साथ नियुक्त किया जाता है। विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर की प्रणाली एनएचआरसी मशीनरी का एक केंद्रीय तत्व है और सभी मानव अधिकारों जैसे, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को कवर करता है। इसके अलावा, वे बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, दिव्यांगता संबंधी चिंताओं आदि जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं और अपने या दूसरों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में एनएचआरसी से निवारण की मांग करने के दृष्टिकोण से पीएचआरए में निहित प्रावधानों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का दायित्व भी निभाते हैं। विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों की स्थिति अनुलग्नक XI में दी गई है।

अध्याय 4

शासन और आवंटित संसाधन

4.1 प्रभाग और जनशक्ति (मैनपॉवर)

31 मार्च 2023 तक, विभिन्न रैंकों को मिलाकर कुल स्वीकृत संख्या 358 की जगह पर 264 कर्मचारी कार्यरत थे। पिछले कुछ वर्षों में, एनएचआरसी ने अपने स्वयं के कैडर को नियमित एवं साकार रूप देने हेतु कर्मियों के चयन के संबंध में विभिन्न उपायों का सहारा लिया है। इन तरीकों में सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, संविदा नियुक्ति और आउटसोर्सिंग शामिल हैं।

आयोग में निम्नलिखित पाँच प्रभाग हैं:

i.) विधि प्रभाग

ii.) अन्वेषण प्रभाग

iii.) नीति अनुसंधान, परियोजनाएँ और कार्यक्रम प्रभाग

iv.) प्रशिक्षण प्रभाग

v.) प्रशासन प्रभाग

4.1.1 विधि प्रभाग: विधि प्रभाग का नेतृत्व एक रजिस्ट्रार (विधि) करता है, जिनकी सहायता कई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, कई उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी और अन्य सचिवीय कर्मचारी करते हैं। विधि प्रभाग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ए) के तहत आयोग द्वारा महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक दायित्व के निर्वहन की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना। यह आयोग की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। यह पीड़ितों या पीड़ितों की ओर से अन्य लोगों से हिरासत में होने वाली मौतों, हिरासत में बलात्कार, मुठभेड़ों में मौतों या पुलिस/अर्धसैनिक बलों या रक्षा बलों की कार्रवाई में मौतों और न्यायालयों से संदर्भों के बारे में अधिकारियों से सूचनाएं प्राप्त करता है, उनकी जांच करता है और उन्हें पंजीकृत करता है। यह इन शिकायतों/ मामलों को आदेशों/कार्यवाही हेतु आयोग के समक्ष रखकर उन पर कार्रवाई करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के आदेशों के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। यह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोग की शिविर बैठकें और जन सुनवाई भी आयोजित करता है ताकि आयोग पीड़ितों को उनके दरवाजे पर न्याय प्रदान करने में सक्षम हो सके। विधि प्रभाग आयोग को संदर्भित मसौदा विधानों, ओएचसीएचआर और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त प्रश्नावली पर टिप्पणियाँ और सलाह भी प्रदान करता है तथा आयोग को अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप करने, या मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग में दायर मामलों का जवाब देने में सहायता प्रदान करता है। यह आयोग को स्वत: संज्ञान लेने में भी सुविधा प्रदान करता है। विधि प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष लगभग एक लाख मामले पंजीकृत और निपटाए जाते हैं। इनमें से कई मामलों के निपटान से पीड़ितों को आर्थिक राहत, दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन, बंधुआ मजदूरों की रिहाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का पंजीकरण, पेंशन का भुगतान आदि के रूप में राहत मिलती है।

मानव अधिकारों के बारे में आयोग की जागरूकता सृजन गतिविधियों और सामान्य सेवा केंद्रों सहित शिकायतें दर्ज करने की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आयोग तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान की गई। एचआरसी.नेट पोर्टल के उपयोग से लोगों को सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से देश में कहीं से भी शिकायत करने की सुविधा मिल गई, जिससे शिकायतों को तत्काल प्रस्तुत करना और डाक में देरी या पारगमन में खोने के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित हुई। एचआरसी.नेट पोर्टल के उपयोग से शिकायतकर्ताओं को एसएमएस या ई-मेल संदेश के माध्यम से रसीद की पावती, शिकायत पर आयोग द्वारा पारित निर्देशों पर अलर्ट और शिकायत पर स्थिति/कार्रवाई से संबंधित जानकारी तक पहुंच से लाभ हुआ। पोर्टल, जिसका शिकायत प्रबंधन और सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) एक हिस्सा है, डेटा के भंडारण और पुनर्प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है, अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और त्वरित निर्णय लेने तथा शिकायतों के निपटान में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। मानव अधिकार संरक्षकों के मानव अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए एनएचआरसी के फोकल प्वॉइंट (मोबाइल नंबर 9999393570) ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत की।

4.1.2 अन्वेषण प्रभाग: अन्वेषण प्रभाग का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक स्तर का एक अधिकारी करता है, जिसकी सहायता के लिए एक उप महानिरीक्षक और चार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं। प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांच अधिकारियों के एक समूह का नेतृत्व करता है (जिसमें पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक शामिल होते हैं)। अन्वेषण

प्रभाग की कार्यप्रणाली विश्लेषणात्मक और बहुआयामी है और यह निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित करती है:

i.) अन्वेषण प्रभाग घटना स्थल पर जांच करता है और मानव अधिकारों के उल्लंघन का खुलासा करने वाले मामलों में उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। आयोग लोक अधिकारियों द्वारा मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित कई मामलों में जैसे - पुलिस द्वारा अवैध हिरासत, गैर-न्यायिक हत्याएं आदि से लेकर अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण अप्राकृतिक मौतें या बंधुआ मजदूरी के मामलों घटना स्थल जांच का आदेश देता है। घटना स्थल पर की गई जांच/पूछताछ से आम जनता का भी विश्वास बढ़ता है और मानव अधिकारों की सुरक्षा में एनएचआरसी की भूमिका के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। अन्वेषण प्रभाग सलाह/विश्लेषण के मामलों में मांगे जाने पर अपनी टिप्पणी/टिप्पणियाँ भी देता है, साथ ही जब भी संदर्भित किया जाता है तो मामलों की निगरानी भी करता है।

ii.) आयोग द्वारा राज्य अधिकारियों को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, हिरासत में (चाहे पुलिस या न्यायिक हिरासत में) होने वाली किसी भी मौत के मामले में राज्य अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर आयोग को सूचित करना होता है। प्रभाग, ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर, यह पता लगाने के लिए रिपोर्टों का विश्लेषण करता है कि क्या इसमें कोई मानव अधिकार उल्लंघन शामिल था। विश्लेषण को अधिक पेशेवर और सटीक बनाने के लिए एनएचआरसी के पैनल में शामिल फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉक्टरों की राय भी मांगी जाती है।

iii.) आयोग ने ऐसे मामलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनमें पुलिस कार्रवाई में, जैसे गोलीबारी के दौरान लोग/चरमपंथी, मारे जाते हैं। मामले को अनिवार्य रूप से 48 घंटों के भीतर आयोग को सूचित किया जाना चाहिए, इसके बाद आयोग को विस्तृत रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की स्थिति, बैलिस्टिक रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आदि भेजी जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और ऐसे मामलों में भ्रांतियों/विसंगतियों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

iv.) प्रभाग आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न प्राधिकारियों से "तथ्यान्वेषण" मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश देता है। प्रभाग इन रिपोर्टों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है ताकि आयोग को यह निर्णय लेने में सहायता मिल सके कि क्या मानव अधिकारों का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। ऐसे मामलों में जहां प्राप्त रिपोर्ट भ्रामक या तथ्यात्मक नहीं हैं, आयोग घटना स्थल जांच का भी आदेश देता है।

v.) वर्ष 2007 से, प्रभाग ने आयोग में एक रैपिड एक्शन सेल (आरएसी) को क्रियाशील बनाने की पहल की है। आरएसी मामलों के तहत, प्रभाग उन मामलों से निपटता है जो बहुत जरूरी प्रकृति के होते हैं, उदाहरण के लिए, आरोप बाल विवाह के संबंध में हो सकता है जो अगले ही दिन होने की संभावना है, या शिकायतकर्ता को डर है कि पुलिस द्वारा उठाया गया कोई रिश्तेदार या दोस्त झूठी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। तथ्यों का पता लगाने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पर बात करने, संदर्भ के लिए विभिन्न अधिकारियों को शिकायत फैक्स करने और उन्हें शीघ्रता से अपने उत्तर भेजने के लिए कहने की आवश्यकता होती है।

vi.) जेलों, आश्रय गृहों और अन्य संस्थानों में रहने की स्थिति से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है। अधिकारी आयोग द्वारा निर्देशित होने पर विभिन्न राज्यों में जेलों, आश्रय गृहों और अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं और उनके मानव अधिकारों के संबंध में विशिष्ट आरोपों या कैदियों की सामान्य स्थिति के तथ्य प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

vii.) अधिकारी विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने और मानव अधिकार साक्षरता फैलाने और मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य मंचों पर व्याख्यान भी देते हैं। अधिकारी एनएचआरसी में अल्पकालिक और दीर्घकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम करने वाले प्रशिक्षुओं और छात्रों को व्याख्यान भी देते हैं।

4.1.3 नीति अनुसंधान, परियोजनाएँ और कार्यक्रम प्रभाग (पीआरपी&पी): प्रभाग मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है तथा महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करता है। जब भी आयोग, अपनी सुनवाई, विचार-विमर्श या अन्यथा के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो इसे पीआरपी&पी प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अलावा,

यह मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लागू नीतियों, कानूनों, संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों की समीक्षा करता है। यह केंद्रीय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा एनएचआरसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण प्रभाग को मानव अधिकार साक्षरता फैलाने और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। प्रभाग का कार्य दो संयुक्त सचिवों, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एसआरओ), अनुसंधान अधिकारियों (आरओ), अनुभाग अधिकारी (एसओ), वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार (जेआरसी) और अन्य सचिवीय कर्मचारी द्वारा संभाला जाता है।

4.1.4 प्रशिक्षण प्रभाग: यह प्रभाग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रचार-प्रसार के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार, यह विभिन्न सरकारी अधिकारियों और राज्य और इसकी एजेंसियों के पदाधिकारियों, गैर-सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और छात्रों को विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाता है। इस उद्देश्य के लिए, यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के साथ सहयोग करता है। इसके अलावा, यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित करता है। प्रभाग का नेतृत्व एक संयुक्त सचिव करता है, जिसे एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशिक्षण), एक सहायक, कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार और अन्य सचिवीय कर्मचारी द्वारा समर्थित किया जाता है।

4.1.5 प्रशासन प्रभाग: पूरे वर्ष के दौरान, प्रशासन प्रभाग ने आयोग के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रभाग स्थापना, कार्मिक प्रबंधन, खातों और आधिकारिक उपयोग के लिए वस्तुओं/सामान की खरीद से संबंधित विभिन्न आवश्यक प्रशासनिक कार्यों का प्रमुखता से निवर्हन करता है। प्रभाग का नेतृत्व एक संयुक्त सचिव करता है, जिसे एक उप सचिव, एसओ, सहायक और अन्य सचिवीय कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होता है।

4.1.6 31 मार्च 2023 तक, अन्वेषण प्रभाग में कार्मिकों की कुल संख्या 54; विधि प्रभाग में कार्मिकों की कुल संख्या 134; प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रभाग में कार्मिकों की संख्या 42; तथा प्रशासन प्रभाग में कार्मिकों की कुल संख्या 107 थी। इस तरह आयोग की कुल स्वीकृत संख्या 358 के स्थान पर कुल वास्तविक संख्या 337 है।

4.2 राजभाषा का प्रचार-प्रसार

4.2.1 राष्ट्रीय सेमिनार: जनता के बीच मानव अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयासों में, आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में मानव अधिकार से संबंधित विषयों पर हिंदी में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करता रहा है। 2022-23 में, आयोग ने 8-9 सितम्बर 2022 को महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर के सहयोग से 'मानव अधिकारों की अमृत उपलब्धियां' विषय पर; तथा 31 मार्च -1 अप्रैल 2023 को पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (नेहू), शिलांग, मेघालय के सहयोग से 'साहित्य और समाज में मानव अधिकारों के विविध परिप्रेक्ष्य' विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

4.2.2 वार्षिक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन: रचनात्मक लेखन के माध्यम से मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एनएचआरसी ने 2004 से हिंदी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस वर्ष एनएचआरसी ने अपना 19वां खंड प्रकाशित किया और मानव अधिकार दिवस, अर्थात् 10 दिसम्बर 2022 को इसका लोकापर्ण किया गया।

4.2.3 मार्ग पुस्तिकाएं: आयोग ने दिल्ली स्थित संगठन मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (मार्ग) के सहयोग से मानव अधिकार मुद्दों पर विभिन्न पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। आयोग द्वारा उक्त पुस्तिकाओं के हिंदी अनुवाद का पुनरीक्षण कार्य किया गया।

4.2.3 क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद: आयोग सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें स्वीकार करता है। हिंदी अनुभाग क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद की निगरानी कार्य देखता है। अनुवादकों के अनुमोदित पैनल द्वारा वर्ष के दौरान 16,000 से अधिक शिकायतों का अनुवाद किया गया।

4.2.4 हिन्दी पखवाड़ा: अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक हिंदी पखवाड़ा 14 से 28 सितम्बर 2022 तक आयोजित किया गया। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों, जैसे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सामान्य हिंदी, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टाइपिंग और हिंदी सुलेख प्रतियोगिता आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए।

4.3 बजट एवं व्यय

वर्ष 2022-23 के लिए एनएचआरसी का बजट आवंटन 5,870.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष की 488.18 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि सहित) था, जिसमें से आयोग ने 5,385.29 लाख रुपये वर्ष के दौरान खर्च किए, जबकि 485.46 लाख रुपये शेष रहे।

तालिका I: बजट व्यय एवं अव्ययित राशि का ब्यौरा (लाख में)

	लेखा मद	आवंटन 2022-23	व्यय	अव्ययित शेष
ए	वेतन एवं भत्ते	4450.15	4071.25	378.90
बी1	प्रशासन एवं अन्य व्यय	1105.10	1055.35	49.75
बी2	शोध और प्रशिक्षण	176.00	167.03	8.97
सी	पूंजीगत व्यय	135.50	87.66	47.84
डी	ऋण और अग्रिम	4.00	4.00	0.00
	कुल	**5,870.75**	**5385.29**	**485.46**

अध्याय 5

ई-गवर्नेंस

5.1 मानव अधिकार आयोग नेटवर्क (एचआरसीनेट) पोर्टल

5.1.1 एनएचआरसी ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की तकनीकी सहायता से मानव अधिकार आयोग नेटवर्क (एचआरसीनेट) पोर्टल (https://www.hrcnet.nic.in) विकसित किया है। इस पोर्टल का उपयोग देश के सभी मानव अधिकार आयोगों द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने/ट्रैकिंग प्रणाली और ऑफ़लाइन, यानी हाथ से, डाक आदि से प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए किया जा सकता है। एचआरसीनेट कई वर्षों से शिकायतों के कुशल प्रबंधन में एनएचआरसी को सक्षम बना रहा है। यह सॉफ्टवेयर हर स्तर पर शिकायतों के प्रसंस्करण में उपयोगी है, जैसे शिकायतों की डायरी करना, मामलों का पंजीकरण; आयोग की कार्यवाही की प्रविष्टि, आदि। यह सॉफ्टवेयर आयोग को शिकायतों को कुशलतापूर्वक और समय पर निपटाने में भी सहायता करता है।

5.1.2 एचआरसीनेट पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

- यह राज्य मानव अधिकार आयोगों के लिए सॉफ्टवेयर की बिना कोई वित्तीय लागत के, शिकायतें दर्ज करने और शिकायत की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है।
- एसएचआरसी इस पोर्टल का उपयोग इंटरनेट सुविधायुक्त कुछ कंप्यूटरों, प्रिंटर और स्कैनर के साथ शुरू कर सकते हैं। पोर्टल के संचालन के लिए एसएचआरसी को स्थानीय सर्वरों की खरीद/रखरखाव की कोई आवश्यकता नहीं है।
- इसमें एनआईसी क्लाउड का प्रयोग कर शिकायतकर्ता को चरण-वार मामले/शिकायत की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस और ईमेल एकीकरण का अतिरिक्त लाभ है।
- सॉफ्टवेयर में एक ही घटना पर स्वचालित रूप से एनएचआरसी और एसएचआरसी डेटाबेस में शिकायतों के दोहराव को रोकने, एनएचआरसी द्वारा एसएचआरसी को शिकायतों के ऑनलाइन हस्तांतरण, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से शिकायत पंजीकरण का समन्वय तथा केंद्र/ राज्य सरकार के अधिकारियों को मानव अधिकार आयोग के आदेश भेजने और अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

5.2 ई-ऑफिस (https://nhrc.eoffice.gov.in):

आयोग में ई-ऑफिस को संस्करण 7.2.1 में अपग्रेड किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी)/ई-साइन तथा किसी भी समय, कहीं से भी सॉफ़्टवेयर तक पहुँचने के लिए वेब वीपीएन शामिल है।

5.3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचा:

आयोग ने दक्षता में सुधार, उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपदा वसूली तंत्र को कॉन्फ़िगर करने के लिए एनएचआरसी सॉफ्टवेयर के माइग्रेशन के लिए एनआईसी क्लाउड पर अतिरिक्त वर्चुअल मशीन (वीएम) प्राप्त करने के लिए काम शुरू कर दिया है।

5.4 स्पैरो सॉफ्टवेयर:

एनएचआरसी ने आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पैरो सॉफ्टवेयर लागू किया है।

5.5 ई-एचआरएमएस सॉफ्टवेयर:

आयोग में ई-एचआरएमएस सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन शुरू किया गया।

5.6 दस्तावेज़ीकरण केंद्र (ई-लाइब्रेरी):

आयोग की लाइब्रेरी को एनएचआरसी दस्तावेज़ीकरण केंद्र (ई-लाइब्रेरी) में अपग्रेड किया गया है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाओं से अच्छी तरह सुसज्जित है। पाठकों के व्यापक उपयोग हेतु पुस्तकों/दस्तावेजों और लेखों का एक डेटाबेस इंटरनेट पर उपलब्ध है। लाइब्रेरी एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज (ई-ग्रांथालय) के साथ दो ऑनलाइन डेटाबेस अर्थात् एससीसी ऑनलाइन और मनुपत्र ऑनलाइन से भी लैस है। पुस्तकालय को अत्याधुनिक कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी (क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा) से आधुनिक बनाया गया है। पुस्तकालय में किसी भी पुस्तक या दस्तावेज़ की उपलब्धता और स्थान का शीघ्रता से पता लगाने के लिए विशेष रूप से एक ऑनलाइन ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग (ओपीएसी) विकसित किया गया है। एनएचआरसी लाइब्रेरी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग (DELNET), नई दिल्ली का एक संस्थागत सदस्य है, जो पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझाकरण को बढ़ावा देता है। अंतरपुस्तकालय ऋण/उधार सुविधाओं के माध्यम से

एनएचआरसी पुस्तकालय पुस्तकों, दस्तावेजों और पत्रिकाओं तक पहुँचने और उधार लेने हेतु अन्य पुस्तकालयों के साथ घनिष्ठ संपर्क भी बनाए रखता है।

5.7 खरीद: आयोग सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए आधिकारिक उपयोग के लिए वस्तुओं/सामान की खरीद का प्रबंधन करता है। आयोग के उपयोगकर्ताओं को खरीदी गई वस्तुओं को जारी करने की सुविधा के लिए ई-स्टोर सॉफ़्टवेयर का उपयोग, एक सुव्यवस्थित और संगठित वितरण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। GeM और वितरण सॉफ्टवेयर का लाभ उठाकर, आयोग खरीद और वस्तु वितरण में दक्षता बढ़ाते हुए पारदर्शिता और सरकारी नियमों का पालन बनाए रखता है।

अध्याय 6

मानव अधिकारों का समर्थन एवं जनसंपर्क

6.1 सेमिनार और सम्मेलन: आयोग द्वारा वर्षभर विभिन्न सम्मेलन और वेबिनार आयोजित किए गए। विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत सभी बैठकों का विवरण अध्याय 7 में वर्णित किया गया है।

6.2 राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ जुड़ाव

6.2.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन का प्रावधान करता है। आयोग उन राज्य सरकारों से आग्रह कर रहा है, जहां कोई राज्य मानव अधिकार आयोग गठित नहीं किया गया है, कि वे पीएचआरए और 'पेरिस सिद्धांतों' के अनुसार लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए कार्रवाई शुरू करें। आयोग आपसी सहयोग और साझेदारी के क्षेत्रों का पता लगाने तथा उन्हें और मजबूत करने के लिए एसएचआरसी के साथ नियमित बातचीत करता है। आयोग ने संबंधित राज्य सरकार के साथ एसएचआरसी की बुनियादी संरचना, मानव संसाधन और वित्तीय आवश्यकता को विकसित करने के मुद्दों को उठाया है ताकि उन्हें पीएचआरए के तहत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाया जा सके तथा एसएचआरसी द्वारा शिकायत निपटान को सुव्यवस्थित किया जा सके। जवाब में, भारत सरकार ने प्रत्येक एसएचआरसी द्वारा पंजीकृत, निस्तारित और लंबित शिकायतों का विवरण, प्रभागवार मौजूदा जनशक्ति, वित्तीय आवंटन, अनुभव की जा रही कमियों का विवरण तथा अतिरिक्त राशि प्रदान करने का औचित्य आदि भेजने का अनुरोध किया है। एसएचआरसी से प्राप्त विवरण भारत सरकार को भेजा गया था।

6.2.2 आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एनएचआरसी और एसएचआरसी के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को एनएचआरसी-एसएचआरसी बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्घाटन एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने किया तथा इसमें सदस्य, महासचिव, एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी और सभी एसएचआरसी के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव शामिल हुए। बैठक में चर्चा से निकली प्रमुख सिफारिशों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी एसएचआरसी को भेज दिया गया।

6.3 सूचना का प्रसार और पहुंच

6.3.1 एनएचआरसी, अपने मीडिया और संचार विंग के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाचार पत्र और अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार सहित विभिन्न माध्यमों से एनएचआरसी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। यह विंग *स्वत: संज्ञान* लेने हेतु मीडिया में रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार उल्लघंन के मुद्दों के बारे में आयोग को फीडबैक भी प्रदान करता है।

6.3.2 आयोग के विभिन्न हस्तक्षेपों और गतिविधियों के बारे में 115 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियाँ तैयार और जारी की गईं। *स्वत: संज्ञान* पर विचार के लिए कई समाचार कतरनों को आयोग के संज्ञान में लाया गया। एनएचआरसी की भूमिका और हस्तक्षेप के बारे में मीडिया में रिपोर्ट किए गए मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए, आयोग की वेबसाइट पर दैनिक समाचार कतरनें अपलोड की गईं। इसके अलावा, लोगों की भागीदारी के माध्यम से पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मीडिया प्लेटफार्मों का पता लगाने का प्रयास किया गया।

6.3.3 एनएचआरसी के न्यूजलेटर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित होते हैं, तथा मानव अधिकारों और एनएचआरसी के हस्तक्षेपों और सिफारिशों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडियाकर्मियों, गणमान्य व्यक्तियों आदि के बीच प्रसारित किए जाते हैं। हार्ड कॉपी प्राप्तकर्ताओं की सूची में अन्य लोगों के अलावा, राष्ट्रीय आयोगों और एनएचआरसी के पदेन सदस्यों, एसएचआरसी, शिक्षा संस्थानों, न्यायिक, पुलिस और प्रशासनिक संस्थानों, पुस्तकालयों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और दूतावासों को शामिल करने के लिए और अधिक समावेशी बनाया गया था। मई 2022 से हर महीने हार्ड कॉपी में लगभग 7,428 न्यूज़लेटर डाक द्वारा भेजे गए हैं। न्यूज़लेटर्स एनएचआरसी वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए थे और लगभग 5,000 सॉफ्ट कॉपी ईमेल की गई थीं। मानव अधिकार भवन के स्वागत क्षेत्र में आगंतुकों के लिए समाचार पत्रों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं।

6.3.4 मानव अधिकार दिवस 2022 के संबंध में एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के 15 साक्षात्कारों की रिकॉर्डिंग की गई तथा दूरदर्शन (डीडी), संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष ने एपीएन न्यूज चैनल, संसद टीवी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) और टाइम्स नाउ सहित विभिन्न समाचार चैनलों और रेडियो में 09 साक्षात्कार दिए। न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, डॉ. ज्ञानेश्वर एम. मुले और श्री राजीव जैन ने भी डीडी पंजाबी, डीडी उर्दू, डीडी सह्याद्रि, आकाशवाणी आदि सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर साक्षात्कार दिए।

6.3.5 आयोग ने 'मानव अधिकार मुद्दों पर साप्ताहिक समाचार डाइजेस्ट' तथा एनएचआरसी और विश्लेषण पर मीडिया रिपोर्टों का एक मासिक संग्रह भी तैयार किया। एनएचआरसी वेबसाइट पर एनएचआरसी-विशिष्ट समाचार कतरनें अपलोड करने के अलावा आयोग के आंतरिक पदाधिकारियों और आगंतुकों की जागरूकता और जानकारी के लिए नियमित रूप से 'एनएचआरसी इन न्यूज' के तहत ऐसी क्लिपिंग आयोग के सभी मंजिलों के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाकर प्रदर्शित की जाती है।

6.3.6 आयोग ने अपनी लघु फिल्म पुरस्कार योजना-2022 को 8वें वर्ष में भी जारी रखा। इस योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और स्वीकार करना है। लोगों को मानव अधिकार जागरूकता के लिए स्क्रीनिंग और देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत फिल्में एनएचआरसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। आयोग ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्मों को क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपये के तीन नकद पुरस्कारों के अलावा, साथ ही 'सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल मेंशन' से सम्मानित तीन फिल्मों को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया। आयोग को देश के विभिन्न हिस्सों से अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 137 प्रविष्टियों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। उनमें से 123 प्रविष्टियों को पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में शामिल करने योग्य पाई गई।

- श्री नीलेश अंबेडकर की लघु फिल्म 'चिरभोग' को 2 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म एक लड़के की कहानी और उसके अपमानजनक संघर्षों के माध्यम से समाज में जाति और व्यवसाय आधारित निरंतर भेदभाव को उजागर करती है, जब तक कि वह लड़का स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांत और व्यवहार में विरोधाभासों को उजागर करने के लिए खड़े होने का फैसला नहीं करता है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ मराठी में है।

- श्रीमती भवानी डोले ताहू की 'इनेबल्ड' को 1.5 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। फिल्म, एक अलग तरह से असक्षम बच्चे की कहानी के माध्यम से, दिव्यांगजनों के बारे में मानसिकता बदलने और माता-पिता द्वारा उनके पालन-पोषण में उनके जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों के प्रति भेदभाव को कम करने पर जोर देती है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ असमिया में है।

- श्री टी. कुमार की 'अचम थावीर' को 1 लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म एक छात्रा की कहानी के माध्यम से स्कूल में किसी भी तरह के अनुचित स्पर्श और यौन उत्पीड़न के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने की कोशिश करती है तथा शिक्षकों के साथ-साथ स्कूल प्रशासन को इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके सम्मान और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन न हो। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ तमिल में है।

'सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल मेंशन' और प्रत्येक को 50,000/- रुपये के नकद पुरस्कार के लिए चुनी गई फिल्में इस प्रकार हैं:

- श्री राजदत्त रेवंकर की 'लॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस' दर्शाती है कि कैसे माता-पिता की अपने बच्चों से उन्हें हरफनमौला बनाने की अत्यधिक अपेक्षाएं अनुचित दबाव पैदा कर रही हैं और उन्हें प्राकृतिक विकास से वंचित कर रही हैं। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ हिंदी में है।

- इंजीनियर अब्दुल रशीद भट की 'डोन्ट बर्न लीव्स' एक वृत्तचित्र है जो सूखी पत्तियों को जलाने के कारण वायु प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण को प्रभावित किए बिना इनका निपटान करने की वैज्ञानिक विधि पर प्रकाश डालता है। यह फिल्म अंग्रेजी में है।

- श्री हरिल शुक्ला की 'यू-टर्न' महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की समस्याओं से निपटने में समाज के दोहरे मानदंड को दर्शाती है। यह फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ हिंदी में है।

6.3.7 एनएचआरसी ट्विटर हैंडल से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 750 से अधिक ट्वीट किए गए और एक महीने में 1,500 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स की औसत वृद्धि के साथ 31 मार्च 2023 को फॉलोअर्स की कुल संख्या लगभग 48,000 तक पहुंच गई।

6.3.8 आयोग ने मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वैकल्पिक मीडिया प्लेटफार्मों की खोज जारी रखी। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, वर्ष 2022-23 में, आयोग ने नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के साथ युवा स्वयंसेवकों और अधिकारियों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मानव अधिकार कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बातचीत जारी रखी।

6.4 प्रकाशन: पीएचआरए की धारा 12 (एच) के तहत, आयोग ने छात्रों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, नीति निर्माताओं और बड़े पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों के लिए सूचनात्मक सामग्री युक्त साहित्य प्रकाशित किया है। शिक्षा जगत और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित प्रकाशन मुद्रित और प्रसारित किए गए हैं:

- हिंदी पत्रिका, 'मानव अधिकार: नई दिशाएँ', खंड 19, वर्ष 2022
- इंग्लिश जर्नल, मानव अधिकार: खंड 21, वर्ष 2022
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (नया) (अंग्रेजी में)
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (नया) (हिन्दी में)
- वार्षिक रिपोर्ट: 2021-2022 (अंग्रेजी)
- वार्षिक रिपोर्ट: 2021-2022 (हिन्दी)
- महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले में संग्रह और वैज्ञानिक/फोरेंसिक साक्ष्य पर एसओपी
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (अंग्रेजी में)
- एनएचआरसी मासिक न्यूजलेटर

6.5 प्रशिक्षण और इंटर्नशिप कार्यक्रम

6.5.1 एनएचआरसी का प्रशिक्षण प्रभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (पीटीआई), न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज, और नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता फैलाता है। इनके अलावा, देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों के लिए आयोग द्वारा अपने परिसर में पूरे वर्ष में दो बार, अर्थात् गर्मियों और सर्दियों में एक महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए पंद्रह दिनों का अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 52 सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहयोग दिया, जिन्हें मानव अधिकार जागरूकता के लिए पूरे भारत में विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पीटीआई, एटीआई, गैर सरकारी संगठनों द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित/संचालित किए गए थे तथा इसमें लगभग 5500 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.5.2 कोविड-19 महामारी के कारण आयोग में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम-2022-23 का आयोजन कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा सका। हालाँकि, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2022-23 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 से 09 जनवरी 2023 तक फिजिकल मोड में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के 54 छात्रों ने भाग लिया था। एनएचआरसी ने अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 के महीनों में 15 दिनों की अवधि के लिए 05 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिसमें क्रमशः, 71, 80, 66, 69 और 71 छात्र प्रशिक्षुओं ने भाग लिया तथा कुल मिलाकर, 357 छात्रों ने आयोग के साथ अपनी ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी की। आयोग ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों के अधिकारियों, एसएचआरसी के अध्यक्षों और सदस्यों, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय सेना/वायु सेना/भारतीय नौसेना के अधिकारियों, सीएपीएफ के प्रमुखों, विशेष प्रतिवेदकों, विशेष मॉनिटरों, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, चिकित्सा डॉक्टरों आदि को ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम में भारत वीसी प्लेटफार्मों के माध्यम से छात्र प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन संबोधित करने और बातचीत करने के लिए के आमंत्रित किया।

6.5.3 वर्ष 2022-23 के दौरान जलवायु परिवर्तन, व्यवसाय और मानव अधिकार; शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के मानव अधिकार; एसडीजी-2- भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे विषयों पर प्रशिक्षुओं द्वारा ग्रुप अनुसंधान परियोजनाएं की गईं, जिनका मूल्यांकन आयोग द्वारा किया गया था। इंटर्नशिप में पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिता, प्रासंगिक मानव अधिकार विषय पर ग्रुप अनुसंधान परियोजना जैसी गतिविधियां भी शामिल थीं, जिनका मूल्यांकन किया गया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 15,000/- रुपये, 10,000/- रुपये और 5000/- रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। समापन के दिन एक भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें

10 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और शीर्ष तीन विजेताओं को पुस्तकों से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा, प्रत्येक प्रशिक्षु छात्र को इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, इंटरनेट, पेन ड्राइव आदि जैसे विविध खर्चों को कवर करने के लिए 2000/- रुपये का वजीफा मिलता था। इंटर्नशिप कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव देने के दृष्टिकोण से, छात्रों को तिहाड़ जेल, पुलिस स्टेशनों और गैर सरकारी संगठनों के वर्चुअल दौरे पर भी ले जाया गया।

6.5.4 आयोग 2013 से भारत भर के विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सहयोग से मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसके लिए आयोग वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2022-23 में, छह संस्थानों, अर्थात्, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू), शिमला (28-30 अक्टूबर 2022); जेवियर विधि विद्यालय, XIM यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा (16-18, दिसम्बर 2022); धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर (10-12 फरवरी 2023); राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब (24-26 फरवरी 2023); तमिलनाडु राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु (03-05, मार्च 2023); तथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल), रांची (24-25, मार्च 2023) ने एनएचआरसी के सहयोग से मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित कीं।

6.5.5 आयोग में आंतरिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 सितम्बर 2022 और 29 दिसम्बर 2022 को दो बार आयोजित किया गया था।

6.5.6 11 स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों का एक बैच 5 से 19 अगस्त 2022 तक आयोग के साथ जुड़ा रहा। छात्रों को विधि, अन्वेषण, समन्वय, अनुसंधान, मीडिया एवं संचार जैसे विभिन्न प्रभागों के साथ जुड़ाव और प्रत्येक में कई दिनों के प्रशिक्षण के माध्यम से आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया।

6.5.7 आयोग ने विभिन्न स्कूलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों और अधिकारियों के लिए 26 आधे दिन/एक दिवसीय दौरों का आयोजन किया। 2022-23 के दौरान एनएचआरसी द्वारा आयोजित छात्रों/प्रशिक्षुओं की यात्राओं की सूची अनुलग्नक XII पर संलग्न है।

6.5.8 एनएचआरसी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सहयोग से 23 नवम्बर 2022 को 27वीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाद-विवाद प्रतियोगिता के अंतिम दौर में कुल 16 प्रतिभागियों (हिन्दी के लिए 8 एवं अंग्रेजी के लिए 8) ने भाग लिया। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए गए और रोलिंग ट्रॉफी सीआईएसएफ ने जीती।

6.5.9 मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए, आयोग ने वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। अनुपालन में, 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात्, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, हरियाणा, असम, पंजाब, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने 2022-23 के दौरान मानव अधिकार मुद्दों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक संचालन किया।

चित्र 6.1 : 27वीं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता 2022

चित्र 6.2 : 27वीं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता 2022

अध्याय 7

विषयगत क्षेत्र

7.1 आपराधिक न्याय प्रणाली का संरक्षण

7.1.1 आयोग जेलों तथा अन्य हिरासतीय संस्थानों में सुविधाओं की दयनीय स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित है, जो कई मुद्दों, जैसे कि अत्यधिक भीड़भाड़, कर्मचारियों की कमी, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल की कमी, हिरासत में मौतों सहित कैदियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, आधारभूत संरचना की कमी, खराब प्रशासन और अपर्याप्त अंतर-एजेंसी संचार, मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की लंबी हिरासतीय अवधि, तथा कैदियों के लिए अपने परिवारों के साथ संवाद करने के अपर्याप्त अवसर आदि से ग्रस्त हैं।

7.1.2 हिरासत में क्रूरता और यातना लोक कर्मियों द्वारा कानून प्रवर्तन का उल्लंघन है। आयोग के अनुसार, बलात्कार, छेड़छाड़, यातना और पुलिस हिरासत में फर्जी मुठभेड़, सबसे कमजोर और बेबस/लाचार समूहों के पीड़ितों के मानव अधिकारों के संरक्षण में प्रणालीगत विफलता का सबूत हैं। परिणामस्वरूप, आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से समर्पित है कि ऐसी आपराधिक प्रथाएँ बंद हों और सभी परिस्थितियों में मानवीय गरिमा की रक्षा की जाए।

7.1.3 आयोग ने चिंता व्यक्त की कि सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पुलिस संगठन अभी भी प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 18 महीने की रिकॉर्डिंग के भंडारण के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग और नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। दिनांक 22 नवम्बर 2022 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें डेटा बैकअप के साथ पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई। यह बैठक आयोग द्वारा तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी द्वारा आत्महत्या के मामले की पृष्ठभूमि में, जिसने आयोग को दिल्ली-एनसीआर के पुलिस स्टेशनों में यादृच्छिक रूप से दौरा करके सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने के अनुरोध पर दिल्ली, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत जिलों, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों के 32 पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण के बाद आयोजित की गई थी।

7.1.4 एनएचआरसी के सदस्य ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मई 2022 में बिहार के बेउर केंद्रीय कारागार और छपरा जिला जेल की स्थितियों और कामकाज का आकलन करने के लिए दौरा किया। सिफारिशें संबंधित डीजी (जेल) को कार्यान्वयन हेतु भेज दी गई हैं। आयोग के विशेष प्रतिवेदकों ने निरीक्षण के लिए दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, रांची, जमशेदपुर, लुधियाना, जालंधर आदि में विभिन्न केंद्रीय और जिला जेलों का भी दौरा किया। विशेष प्रतिवेदकों द्वारा कुल 11 दौरे किए गए, जिनमें तिहाड़ जेल, दिल्ली, ट्रांसजेंडर जेल, झारपारा; केंद्रीय कारागार, हज़ारीबाग़; केंद्रीय कारागार, शिमला शामिल हैं।

7.1.5 आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार पर कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 10 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में चर्चा से निकली कुछ सिफ़ारिशें इस प्रकार थीं:

- जेल प्रशासन (विशेष रूप से जेल कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक) में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए;
- जेलों में कानूनी फोन कॉल की पर्याप्त सुविधाएं बढ़ाई जाएं;
- कैदियों में नशे की समस्या को सुरक्षा के मुद्दे के बजाय स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए;
- कैदियों की भावनात्मक भलाई के लिए उचित मनोवैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए;
- जेलों में मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रावधान किया जाना चाहिए;
- जेलों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के बीपीआरडी डाटा-संग्रह को बाद की देखभाल सेवाओं के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने हेतु अद्यतन किया जाना चाहिए;
- कौशल उन्नयन के लिए सुविधाएं, व्यावसायिक मार्गदर्शन और वित्तीय स्वतंत्रता के साधन तलाशे जाने चाहिए;

- बॉर्ड ऑफ विजिटर्स (बीओवी) की स्थापना में राज्यों द्वारा अनुपालन की निगरानी के लिए एक नोडल बिंदु स्थापित किया जा सकता है;

- एक नेट पोर्टल भी बनाया जा सकता है जहां जेल विभाग आगे के विचार-विमर्श और कार्रवाई के लिए बॉर्ड ऑफ विजिटर्स के निरीक्षण यात्रा रिपोर्ट अपलोड कर सके, और

- जेल में तैनात कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जो ई-प्रिज़न पोर्टल में सूचनाओं की प्रविष्टियाँ करते हैं।

7.1.6 दृष्टांत मामले

1.) बिहार के दरभंगा जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी की फांसी लगाने से मौत

(केस नंबर: 2050/4/10/2019-जेसीडी)

यह मामला दिनांक 18 जुलाई 2019 को एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत के संबंध में जिला जेल, दरभंगा, बिहार के अधीक्षक से आयोग को प्राप्त दिनांक 18 जुलाई 2019 की सूचना से संबंधित है। आयोग के निर्देशों के जवाब में, मामले में अपेक्षित रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की गई। यह देखा गया कि मृतक को दिनांक 24 जनवरी 2019 को जेल में भर्ती कराया गया था और रात को लगभग 01:30 बजे बैरक नंबर 5 में एक सूती तौलिया का उपयोग करके उसने आत्महत्या कर ली थी। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट और चिकित्सा उपचार रिकॉर्ड से पता चला कि विचाराधीन कैदी चिंता और अनिद्रा से पीड़ित था और उसी का इलाज करा रहा था। जांच रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की गर्दन पर चोट के निशानों के अलावा किसी बाहरी चोट का उल्लेख नहीं मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि मौत का कारण फांसी के कारण दम घुटना था।

किशोर न्याय बोर्ड, दरभंगा के प्रधान मजिस्ट्रेट, द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की गई। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट ने जेल अधिकारियों, जेल डॉक्टरों, शव परीक्षण डॉक्टर, जेल के कैदियों और मृतक के रिश्तेदारों से पूछताछ की। मृतक के रिश्तेदारों द्वारा लगाए गए बेईमानी और चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों के बावजूद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन कैदी ने जेल अधिकारियों को एकांत/अलगाव में रहने पर उसे होने वाली बेचैनी के बारे में बताया था। हालाँकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण अंततः उसे अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। जांच में आगे पता चला कि रोशनी की कमी, काम न करने वाले सीसीटीवी कैमरे और जेल अधिकारियों द्वारा सेल खोलने में देरी के कारण विचाराधीन कैदी की जान बचाने के अवसर कम हो गए। जांच से यह निष्कर्ष निकला कि व्यक्ति की मौत फांसी के कारण दम घुटने से हुई।

उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर, आयोग ने दिनांक 25 मार्च 2021 की अपनी कार्यवाही के तहत, मानव अधिकार संरक्षण की धारा 18 (ए) (i) के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव, बिहार को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा गया कि मृतक के निकटतम रिश्तेदार को दो लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, महानिरीक्षक, गृह विभाग (जेल) ने दिनांक 22 फरवरी 2022 को एक पत्र द्वारा बताया कि मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही, मामले में शामिल दोषी लोक सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए, मामला दिनांक 09 मई 2022 को बंद कर दिया गया।

2.) बालुरघाट केंद्रीय सुधार गृह, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में फांसी (आत्महत्या) से मौत

(केस नंबर: 1226/25/18/2020-जेसीडी)

यह मामला दिनांक 18 अगस्त 2020 को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के बालुरघाट केंद्रीय सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान एक विचाराधीन कैदी द्वारा फांसी लगाकर की गई आत्महत्या से संबंधित है। आयोग ने दिनांक 29 मार्च 2022 की अपनी कार्यवाही के तहत पाया कि जब कोई व्यक्ति जेल की हिरासत में होता है, तो उसकी हिफाजत और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। जेल अधिकारियों द्वारा इसे प्रदान करने में किसी भी लापरवाही या विफलता के मामले में, राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो जाता है।

आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, अपर सचिव, सुधार प्रशासन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 06 मई 2022 के पत्र के माध्यम से बताया कि विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत के मामले में सुधार गृह प्राधिकरण की ओर से कोई चूक या कोई लापरवाही नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया कि आत्महत्या सुबह 5:10 बजे एक बंद शयनगृह वार्ड के शौचालय में हुई तथा कैदी की गोपनीयता/गरिमा के कारण, किसी भी कैदी या किसी ड्यूटी वार्डर के लिए शौचालय के अंदर किसी व्यक्ति की गतिविधियों की निगरानी करना संभव नहीं है।

आयोग ने राज्य सरकार की दलील पर विचार किया, लेकिन आयोग इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था क्योंकि हालांकि आत्महत्या एक शौचालय के अंदर की गई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जेल अधिकारी सामान्य जोखिम कारकों तथा एक सामान्य प्रोफ़ाइल बनाएं जिसका उपयोग उन स्थितियों की पहचान करने के लिए किया जा सके जो सबसे अधिक जोखिम पेश करती हैं, का विश्लेषण करने में विफल रहे। जेल के कैदियों में संभावित आत्मघाती व्यवहार की पहचान मुख्यत: इंटेक स्क्रीनिंग/मूल्यांकन और कैद

की अन्य उच्च जोखिम वाली अवधि के दौरान पूछताछ के माध्यम से की जाती है। प्रारंभिक स्क्रीनिंग मूल्यांकन के आधार पर, उच्च जोखिम वाले समूहों और स्थितियों को लक्षित करने के लिए एक आत्महत्या प्रोफ़ाइल तैयार की जा सकती है। आयोग का मानना है कि मौजूदा मामले में ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है।

आयोग ने आगे कहा कि हरियाणा की जेलों में मृत कैदियों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामले पर विचार करते हुए, आयोग ने निर्णय लिया था कि हरियाणा सरकार (जेल विभाग) द्वारा बनाई गई मुआवजा नीति राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में दिए जाने वाले उचित मुआवजे के अनुरूप प्रतीत होती है। हरियाणा सरकार ने कैदियों के बीच झगड़े के कारण, जेल कर्मचारियों द्वारा यातना/पिटाई के कारण, जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही के कारण, तथा चिकित्सा अधिकारियों/ पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा लापरवाही के कारण किसी कैदी की मृत्यु होने पर स्वयं 7,50,000/- रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) देने का निर्णय लिया था। किसी कैदी द्वारा आत्महत्या के मामले में, 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त के आधार पर, आयोग ने मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 3,75,000/- रुपये (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) के भुगतान की अपनी सिफारिश की पुष्टि की। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, सुधारात्मक सेवा महानिरीक्षक, पश्चिम बंगाल द्वारा, दिनांक 20 सितम्बर 2022 के एक संचार के माध्यम से, मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 3,75,000/- रुपये (केवल तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये) के भुगतान के प्रमाण के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा उक्त मामला दिनांक 03 अक्टूबर 2022 को बंद कर दिया गया।

3.) जिला जेल, भोजपुर (आरा), बिहार में एक विचाराधीन कैदी की किसी अन्य कैदी द्वारा चोट मारने के कारण हिरासत में मौत

(केस नंबर: 3766/4/6/2014-जेसीडी)

आयोग को दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को जिला जेल भोजपुर (आरा), बिहार की हिरासत में रहने के दौरान एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु के संबंध में दिनांक 07 अक्टूबर 2014 को एक सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट सौंपने को कहा। उसी के अनुसरण में, केंद्रीय जेल बक्सर के अधीक्षक द्वारा एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें पता चला कि मृतक, जो जिला जेल आरा, भोजपुर में बंद था, दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को दवा के लिए जेल डिस्पेंसरी की ओपीडी में गया था। दूसरे कैदी ने हैंडपंप के हैंडल से उसके सिर पर वार कर दिया। मृतक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से, उसने उसी दिन पीएमसीएच, पटना में दम तोड़ दिया। इस घटना के संबंध में नगर थाना, आरा में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जांच रिपोर्ट से पता चला कि मृतक के सिर पर चोट लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत का कारण किसी कठोर और कुंद वस्तु से सिर पर लगी चोट और उसकी जटिलताएं थीं। इन चोटों को प्रकृति में मृत्यु पूर्व निर्धारित किया गया था।

इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आरा द्वारा की गयी थी। जांच के दौरान, मजिस्ट्रेट ने मृतक की पत्नी सहित संबंधित रिकॉर्ड और गवाहों की जांच की, जिन्होंने अपने पति के सिर पर चोट के निशान की उपस्थिति की पुष्टि की। जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक की मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण हुई। आयोग की राय है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि मृतक पर जेल परिसर के भीतर (विशेष रूप से, जेल डिस्पेंसरी की ओपीडी में) एक साथी कैदी द्वारा हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हैंडपंप के हैंडल से सिर में घातक चोट लगी। आयोग ने पाया कि मृतक ने बिहार राज्य की हिरासत में रहते हुए अपनी जान गंवाई। अगर जेल स्टाफ ने कैदियों की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी होती और कड़ी सतर्कता बरती होती तो मृतक की जान बचाई जा सकती थी। इन परिस्थितियों में आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि मृतक के परिजन को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की अनुशंसा क्यों नही की जानी चाहिए।

जवाब में, आयोग को आईजी जेल, बिहार से जवाब मिला, जिसमें कहा गया कि मामला दर्ज किया गया था तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा के समक्ष लंबित था। बिहार मानव अधिकार आयोग ने भी मामले की जांच की थी। यह उल्लेख किया गया था कि जेल अधीक्षक, बक्सर द्वारा एक जांच की गई थी, यह निर्धारित करने के लिए कि आरोपी को बोरवेल का हैंडल कैसे मिला, और प्रभारी उपाधीक्षक की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही थी। जांच करने के लिए तीन व्यक्तियों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया तथा समिति की सिफारिश के आधार पर लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारी ठहराया गया। नतीजतन, मृतक के निकटतम रिश्तेदार को मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उपरोक्त पर विचार करते हुए, आयोग ने पुष्टि की कि कैदियों सहित अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। वर्तमान मामले में, कैदियों की भलाई की रक्षा करना जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, जिसे वे पूरा करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, राज्य को अपने कर्मचारियों द्वारा की गई चूक के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया, और परिणामस्वरूप, आयोग ने मौद्रिक मुआवजे के लिए अपनी सिफारिश को बरकरार रखा। उपरोक्त के अनुसार, आयोग को भुगतान के साक्ष्य के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई। चूंकि आयोग को किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मामला दिनांक 19 जुलाई 2022 को बंद कर दिया गया।

4.) जयपुर, जिला-कोरापुट, ओडिशा में फिनाइल के सेवन से एक महिला विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत

(केस नंबर: 1454/18/8/2020-जेसीडी)

आयोग को दिनांक 18 मई 2020 को 38 वर्ष की विचाराधीन कैदी महिला की मृत्यु के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई। यह घटना दिनांक 09 मई 2020 को हुई जब उसने उप जेल जयपुर, जिला-कोरापुट, ओडिशा की हिरासत के दौरान फिनाइल पी लिया।

विश्लेषण के बाद आयोग ने पता लगाया कि दिनांक 09 मई 2020 को महिला कैदी वॉशरूम में फिनाइल पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गई। उसे तुरंत शहीद लक्ष्मण नाइक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरापुट में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसी दिन सुबह लगभग 09:40 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह मामला जयपुर के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई एक मजिस्ट्रेट जांच के अधीन था, जिसने जेल अधिकारियों, सह-कैदियों, इलाज करने वाले डॉक्टरों, शव-परीक्षा सर्जनों और मृतक की बेटी सहित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड और गवाहों की जांच की। जेल अधिकारियों ने संकेत दिया कि विचाराधीन कैदी की मौत फिनाइल के सेवन से हुई। कैदी ने महिला स्टाफ गार्ड के टॉयलेट से फिनाइल प्राप्त किया था, जो मौजूदा महिला कैदी वार्ड से लगभग 10 फीट की दूरी पर स्थित था। महिला वार्डन को लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना गया क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण विचाराधीन कैदी को फिनाइल प्राप्त करने और उसका उपभोग करने में मदद मिली। ऑटोप्सी सर्जनों ने रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अभाव में मृत्यु का सटीक कारण निर्धारित करने में असमर्थता का उल्लेख किया। फिर भी, अपनी विशेषज्ञता, पेट की जांच और पेट की सामग्री की गंध के आधार पर, उन्होंने माना कि मौत का संभावित कारण फेनोलिक जहरीला पदार्थ का अंतर्ग्रहण हो सकता है। मृतक की बेटी को अपनी मां की मौत में किसी साजिश का संदेह नहीं है। रिकॉर्ड और गवाही की समीक्षा के बाद, जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि महिला वार्डन अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही के कारण कथित घटना के लिए जिम्मेदार थी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की अप्राकृतिक मौत हुई।

प्रासंगिक रिपोर्टों के गहन विश्लेषण के बाद, आयोग ने पाया कि मृतक निर्विवाद रूप से राज्य की हिरासत में था। जेल प्रशासन द्वारा लापरवाह महिला वार्डन को निलंबित करने के बावजूद, तथ्य यह है कि राज्य प्राधिकरण जेल के भीतर कैदियों के जीवन और सुरक्षा की रक्षा करने में विफल रहा, जिससे एक युवा कैदी की अप्राकृतिक मौत हो गई। परिणामस्वरूप, जेल कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित लापरवाही के लिए राज्य को परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया।

आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि आयोग को मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 3,75,000/- रुपये (केवल तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये) के मौद्रिक मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। जवाब में, आयोग को ओडिशा राज्य के डीआइजी जेल (मुख्यालय) से एक रिपोर्ट मिली, जिसमें महिला वार्डन के निलंबन और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की बात दोहराई गई थी। कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आयोग ने पहले ही दोषी महिला जेल वार्डन की लापरवाही को स्थापित कर दिया था, जिससे राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो गया। इसलिए, आयोग द्वारा अपनी आर्थिक क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की पुष्टि की गई। आयोग के निर्देशों के बाद, ओएसडी सह विशेष सचिव, गृह विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि मृतक महिला के निकट रिश्तेदार को 3,75,000/- रुपये की राशि वितरित की गई थी। नतीजतन, मामला दिनांक 02 मई 2022 को बंद कर दिया गया।

5.) महाराष्ट्र के पुणे स्थित यरवदा सेंट्रल जेल में मनोविकृति से पीड़ित एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत

(केस नंबर: 848/13/23/2018-जेसीडी)

यह मामला यरवदा केंद्रीय कारागार, पुणे, महाराष्ट्र के अधीक्षक की हिरासत में दिनांक 25 अप्रैल 2018 को 30 साल की उम्र के एक विचाराधीन कैदी की मौत के संबंध में यरवदा पुलिस स्टेशन, पुणे, महाराष्ट्र के पुलिस निरीक्षक से दिनांक 01 मई 2018 को प्राप्त सूचना से संबंधित है।

आयोग ने आवश्यक रिपोर्टों की जांच की। चिकित्सा उपचार रिकॉर्ड और जेल अधीक्षक से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, यह पता चला कि मृतक का मनोविकृति के साथ तीव्र तनाव प्रतिक्रिया के लिए उपचार चल रहा था। दिनांक 25 अप्रैल 2018 को सुबह 08:15 बजे विचाराधीन कैदी एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगा दी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चोटों के संकेत मिले हैं, जिनमें चोट, फ्रैक्चर, हार्ड प्लेट फ्रैक्चर और मृतक के शरीर पर एक टांके वाला घाव शामिल है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट के आधार पर, मौत का कारण "कई चोटों के कारण मौत" निर्धारित किया गया था। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जांच की और जांच से जुड़े परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों ने मौत के बारे में कोई संदेह नहीं जताया। जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन कैदी जेल में एक पेड़ से कूद गया, घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद, आयोग ने पाया कि विचाराधीन कैदी मनोविकृति से पीड़ित एक मरीज था और पेड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली। आयोग ने कहा कि कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, और इस मामले में, राज्य अपनी हिरासत में विचाराधीन कैदी के जीवन की रक्षा करने में विफल रहा। मौजूदा मामले से साफ पता चलता है कि जेल अधिकारी इस कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहे। इसलिए, पीएचआरए की

धारा 18(ए)(i) के तहत मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि आयोग को राज्य की हिरासत में अपनी जान गंवाने वाले मृतक कैदी के निकटतम रिश्तेदार को 7.5 लाख रुपये (केवल सात लाख पचास हजार रुपये) का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग के आदेश के अनुपालन में, उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार से दिनांक 13 जून 2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि मृतक कैदी तीव्र तनाव मनोविकृति बीमारी से पीड़ित था। उसे तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई तथा उसे आगे के चिकित्सा उपचार के लिए तुरंत सासून जनरल अस्पताल, पुणे, महाराष्ट्र में रेफर किया गया। रिपोर्ट में आगे जोर दिया गया कि जेल प्राधिकरण की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई और मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया।

अपेक्षित रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि हिरासत में कैदी के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है, और जेल अधिकारी इस कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ। इसलिए, आयोग ने अपनी सिफारिश दोहराई और मौद्रिक मुआवजे की पुष्टि की। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के उप सचिव ने पुष्टि की कि भुगतान मृतक की मां को वितरित कर दिया गया है। चूंकि आयोग की सिफारिश का अनुपालन किया गया था, इसलिए मामला दिनांक 11 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया था।

6.) आदर्श केंद्रीय कारागार, बेउर, पटना, बिहार में एक विचाराधीन कैदी की रहस्यमय परिस्थितियों में हिरासत में मौत

(केस नंबर: 2220/4/26/2017-जेसीडी)

यह मामला दिनांक 3 अगस्त 2016 को आदर्श केंद्रीय कारागार, बेउर, पटना, बिहार की न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान 22 साल की उम्र के एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत के संबंध में आयोग को दिनांक 04 अगस्त 2017 को प्राप्त एक सूचना से संबंधित है।

यह देखा गया कि मृतक की जेल के शौचालय के अंदर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण, जैसा कि पोस्टमार्टम परीक्षण (पीएमई) रिपोर्ट में निर्धारित किया गया था, गला घोंटने के साथ गर्दन के संयुक्ताक्षर संपीड़न के परिणामस्वरूप श्वासावरोध था, मृत्यु से पहले बाहरी और आंतरिक श्वास मार्ग दोनों अवरुद्ध हो गए थे। रिपोर्ट ने यह भी उल्लेख किया गया कि पीएमई के निष्कर्षों और जांच रिपोर्ट में मौत का कारण मानव हत्या बताया गया। जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक की मृत्यु आत्महत्या के कारण नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी। जांच मजिस्ट्रेट के विशिष्ट निष्कर्षों पर विचार करते हुए, जिसने मौत का कारण गला घोंटना बताया, आयोग का विचार था कि राज्य, जिस पर उसकी हिरासत के तहत कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वह वर्तमान मामले में इस कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा। इसलिए, राज्य मृतक कैदी के निकटतम रिश्तेदार को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी था।

इन टिप्पणियों के आधार पर, आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पीएचआरए की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि आयोग को मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) के आर्थिक मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। आयोग ने बिहार के जेल महानिदेशक को मामले की जांच करने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, पटना और पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार को निर्देश जारी किया कि वे मेडिको-लीगल जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज करके मामले में व्यापक जांच शुरू करें। जिला मजिस्ट्रेट, पटना को विशेष रूप से मजिस्ट्रियल जांच करने वाले कार्यकारी मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि उन्होंने एनएचआरसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था।

आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, सहायक महानिरीक्षक (कारा), बिहार से दिनांक 19 जुलाई 2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें पुष्टि की गई कि वार्डन के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की गई है। हालाँकि, आयोग ने कहा कि अपराधी जेल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने से राज्य उस मृतक कैदी के निकटतम रिश्तेदार को मुआवजा प्रदान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता है, जिसकी जेल के भीतर हत्या कर दी गई थी। नीलाबती बेहरा मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि दोषी, कैदी या विचाराधीन कैदी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के हकदार हैं, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिरासत में मौजूद व्यक्तियों को उनके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए, पुलिस और जेल अधिकारी संबंधित जिम्मेदारी वहन करते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि राज्य का यह सुनिश्चित करने का परम कर्तव्य है कि अनुच्छेद 21 की गारंटी सभी व्यक्तियों के लिए कायम है और उसे गैरकानूनी तरीके से अपने जीवन से वंचित किए गए व्यक्ति के दुखी परिवार के सदस्यों को मुआवजा प्रदान करके जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। देखभाल का यह कर्तव्य पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। नतीजतन, आयोग ने अपनी सिफारिश की पुष्टि की और बिहार सरकार के मुख्य सचिव को मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का मौद्रिक मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया।

तदनुसार, भुगतान के प्रमाण के साथ, जिला मजिस्ट्रेट, पटना का 12 दिसम्बर 2022 का एक पत्र प्राप्त हुआ। इसलिए, मामला दिनांक 27 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया।

7.) सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में एचडीएफसी बैंक के परिसर में साइबर क्राइम पुलिस थाना, लखनऊ, यूपी की पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी और हिरासत

(केस नंबर: 16413/24/48/2019)

आयोग को दिनांक 20 जून 2019 को कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) के निदेशक से एक शिकायत मिली, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस थाना, लखनऊ, यूपी की पुलिस द्वारा सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में एचडीएफसी बैंक के परिसर में उनके भाई की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत का आरोप लगाया गया था।

यह शिकायत मिलने पर आयोग ने मानव अधिकार संरक्षक फोकल प्वाइंट के माध्यम से मामले को एसपी, साइबर क्राइम, लखनऊ को संदर्भित करके कार्रवाई की। आयोग की एक टीम ने घटना की मौके पर जांच की और बाद में समीक्षा के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, उस व्यक्ति को साइबर सेल, पुलिस थाना, लखनऊ की पुलिस टीम ने एस.टी.एफ. यूनिट, नोएडा की सहायता से दिनांक 13 जून 2019 को दोपहर 13:54 बजे सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली स्थित ओबीसी बैंक शाखा के परिसर से पकड़ लिया था। फिर उसे विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी औपचारिकता का पालन किए बिना लखनऊ ले जाया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड यह दर्शाते है कि उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने दिनांक 14 जून 2019 को रात 23:50 बजे लखनऊ, उत्तर प्रदेश के चारबाग रेलवे स्टेशन टेम्पो स्टैंड से की थी। यह गिरफ्तारी बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है।

गिरफ्तारी के बाद, पीड़ित को अगले दिन लखनऊ में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट कस्टम के सामने पेश किया गया और बाद में उसे लखनऊ स्थित जिला जेल भेज दिया गया। आयोग द्वारा की गई जांच में पुलिस द्वारा गैरकानूनी हिरासत के पर्याप्त सबूत मिले। यह निर्धारित किया गया था कि वह 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में था। हालाँकि, सबूतों की कमी के कारण पूछताछ में पुलिस हमले के आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी। जांच रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह उल्लंघन उसकी गैरकानूनी हिरासत के कारण हुआ, जो कानून के शासन का सीधा उल्लंघन था।

इस जांच के जवाब में, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से पीएचआरए की धारा 18 के तहत एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इस नोटिस में यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि पीड़ित को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुआवजे के रूप में 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए। साथ ही, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद, आयोग को समय पर कोई जवाब नहीं मिला था। कारण बताओ नोटिस का जवाब न मिलने पर आयोग ने मौद्रिक मुआवजे की अपनी सिफारिश की पुष्टि की। इस संस्तुति के प्रत्युत्तर में पुलिस अधीक्षक (मानव अधिकार), उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 06 जून 2022 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि आयोग के निर्देश के अनुपालन में पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान के लिए 50,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नतीजतन, मामला दिनांक 07 सितम्बर 2023 को बंद कर दिया गया।

8.) अंजाव, अरुणाचल प्रदेश में एक इंस्पेक्टर द्वारा चार व्यक्तियों की अवैध गिरफ्तारी और हमला

(केस नंबर: 35/2/15/2019)

आयोग को दिनांक 02 अगस्त 2019 को शिकायतकर्ता से एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 15 जुलाई 2019 को अंजाव, अरुणाचल प्रदेश में पुलिस ने उसके पति और तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर हमला किया गया और यातनाएं दी गई। आयोग के निर्देशों के जवाब में, डीआइजी पूर्वी रेंज नामसाई, अरुणाचल प्रदेश ने प्रस्तुत किया कि उक्त व्यक्ति को उसके तीन साथियों के साथ सुशी इंफ्रा एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने उपरोक्त कंपनी का जनरेटर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इन सभी को दिनांक 15 जुलाई 2019 को 23:30 बजे पुलिस थाने ले जाया गया। दिनांक 17 जुलाई 2019 को आरोपी की पत्नी ने पुलिस थाने, हायुलियांग के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। यह पता चला कि मामले की जांच चल रही थी और दोषी अधिकारी/निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई थी। हालाँकि, साक्ष्य के अभाव में शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। इंस्पेक्टर के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच अभी भी लंबित थी और कोविड-19 के कारण पूरी नहीं हो सकी थी। पूर्वी रेंज के डी.आई.जी. ने दिनांक 24 नवम्बर 2020 को एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच पूरी हो चुकी है। इंस्पेक्टर पर दो आरोप लगे जिनमें (1) पुलिस हिरासत में आरोपी को उसके तीन साथियों के साथ पीटना, और (2) पीड़ितों को हिरासत में लेने से पहले उनकी मेडिकल जांच कराने की उचित प्रक्रिया का पालन न करना। सबूतों के अभाव में पहला आरोप साबित नहीं हो सका। हालांकि, इंस्पेक्टर पर दूसरा आरोप साबित हो गया। इसलिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इंस्पेक्टर को एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी।

दिनांक 28 जनवरी 2021 की कार्यवाही के माध्यम से, आयोग ने पाया कि पुलिस अधिकारियों के आचरण ने पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था, जिसके लिए राज्य सरकार परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी। इन परिस्थितियों में, पीएचआरए की धारा 18 के तहत एक कारण बताओ नोटिस अरुणाचल प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से जारी कर यह पूछा गया कि आयोग पीड़ितों को उपयुक्त मुआवजे के रूप में 1,00,000/-

रुपये (केवल एक लाख रुपये) की राशि के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। हालाँकि, आयोग को कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला।

आयोग ने अनुमान लगाया कि संबंधित प्राधिकारी के पास इस मामले में आग्रह करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए, आयोग ने अपनी सिफारिश की पुष्टि की। जवाब में, आयोग को संयुक्त सचिव (गृह), अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर से संचार की एक प्रति प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि सभी चार पीड़ितों को 1,00,000/- रुपये वितरित किए गए हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामला दिनांक 03 जून 2022 को बंद कर दिया गया।

9.) महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस द्वारा छह आदिवासी महिलाओं को हिरासत में यातना देने का मामला

(केस नंबर: 2849/13/37/2021)

शिकायतकर्ता, इंडिजिनस लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ILAI) ने दिनांक 24 नवम्बर 2021 को आयोग से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई पुलिस स्टेशन में छह (06) आदिवासी महिलाओं को हिरासत में यातना दी गई थी। पीड़िताओं के मुताबिक, वे अपनी आजीविका कमाने के लिए वसई में मजदूरी कर रही थी। आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट सौंपने को कहा।

यह पता चला कि दिनांक 19 नवम्बर 2021 को, छह (06) आदिवासी महिलाओं को पुलिस ने वसई (पश्चिम) के पापड़ी-कोलीवाड में साप्ताहिक बाजार से चोर होने के संदेह में उठाया था, जब वे खरीदारी कर रही थीं। पुलिस पीड़ितों को वसई पुलिस स्टेशन ले गई, जहां तीन पुलिस कर्मियों ने उन सभी को उस अपराध को कबूल करने के लिए बेरहमी से पीटा, जो उन्होंने नहीं किया था। आरोपी पुलिस कर्मियों में से एक की पहचान सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) के रूप में हुई। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, डीसीपी, सर्कल- II, वसई, जिला पालघर, महाराष्ट्र के कार्यालय से दिनांक 20 दिसम्बर 2021 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें सुझाव दिया गया था कि एपीआई को छह आदिवासी महिलाओं पर हमला करने के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया था तथा सभी स्थानीय संगठनों के अधिकारियों और पीड़ित महिलाओं ने पिटाई के लिए एपीआई के निलंबन पर संतोष व्यक्त किया था।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और इसे पीड़ितों को मुआवजा देने का गंभीर मामला माना। इसलिए, पीएचआरए की धारा 18ए(i) के तहत एक नोटिस मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार को जारी किया गया था, जिसमें उन्हें कारण बताने का निर्देश दिया गया था कि आयोग को लोक सेवक द्वारा उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रत्येक पीड़ित को 5,000/- रुपये (केवल पांच हजार रुपये) के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा गया कि पीड़िताओं को मुआवजा देने से पुलिस कर्मियों के मनोबल पर असर पड़ सकता है। इसलिए, जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया गया। आयोग ने कारण बताओ नोटिस के जवाब और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्राप्त रिपोर्ट में आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों को खंडित करने के लिए कोई उचित आधार सामने नहीं रखा गया है। इसलिए, आयोग द्वारा अनुशंसित मौद्रिक मुआवजे की पुष्टि की गई। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को आयोग के निर्देशों के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान करने और भुगतान के प्रमाण के साथ इसकी अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इन निर्देशों के साथ, मामला दिनांक 14 नवम्बर 2022 को बंद कर दिया गया।

10.) पुलिस कदाचार: तिरूपति, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में अवैध हिरासत और अत्याचार

(केस नंबर: 608/1/3/2017)

आयोग को दिनांक 28 जून 2017 को एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस मामले में शिकायतकर्ता को पुलिस ने उठाया, घसीटा और ईस्ट पुलिस स्टेशन, तिरूपति, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में 18 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए, एसपी, तिरुपति, शहरी पुलिस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे पता चला कि शिकायतकर्ता पर बैगस्नैचिंग मामले में शामिल होने का संदेह था और वह मोटरसाइकिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में घटना स्थल पर घूमता पाया गया था। चूँकि चोर का हुलिया भी शिकायतकर्ता से मेल खाता था, इसलिए उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसकी पहचान स्पष्ट होने के बाद उसे जाने दिया गया। शिकायतकर्ता को राजनीतिक नेताओं का समर्थन प्राप्त था और उसने स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाया। यह कहा गया कि अखबार की रिपोर्ट के आधार पर, एक विभागीय जांच का आदेश दिया गया था और जांच रिपोर्ट के आधार पर, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को माइनर वी.आर. से दंडित किया गया।

आयोग ने पुलिस अधिकारियों को दी गई सजा के आधार पर मामले पर विचार करते हुए माना कि *प्रथम दृष्टया,* शिकायतकर्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तथा आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि आयोग को पीड़ित को 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख

रुपये) का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक, शहरी पुलिस जिला तिरूपति ने जवाब देते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 42 के तहत उचित थी और इसमें कोई गलत मकसद या मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं था। शिकायतकर्ता/पीड़ित की पहचान स्पष्ट करने में देरी के लिए पुलिस कर्मियों को दंडित किया गया और कारण बताओ नोटिस वापिस लेने का अनुरोध किया गया। इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता/पीड़ित को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे केवल 18 घंटे के लिए हिरासत में रखा गया था, और उसके शरीर पर यातना, उत्पीड़न या चोटों का कोई सबूत नहीं मिला। यह दावा किया गया कि पुलिस की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 42 के दायरे में थी, और पुलिस ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शिकायतकर्ता के किसी भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं किया था। हालाँकि, शिकायतकर्ता की पहचान स्पष्ट करने में देरी के कारण इसके लिए ज़िम्मेदार संबंधित कर्मचारी को पहले ही दंडित किया जा चुका था। उन्होंने कारण बताओ नोटिस पर आगे की कार्रवाई बंद करने और मामले को बंद करने का अनुरोध किया क्योंकि शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार का मुआवजा देने का कोई औचित्य या आधार नहीं था।

रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, आयोग ने पाया कि हालांकि पुलिस को अपराधों की जांच करने के अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में, किसी अपराध के संदेह वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह कानून के अनुसार और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया जाना चाहिए। उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पुलिस अपने विवेक से नागरिकों की स्वतंत्रता और आजादी को कम नहीं कर सकती है। इस मामले में माना गया कि पुलिस ने विभागीय कार्रवाई की है और एक इंस्पेक्टर को निंदा की सजा भी मिल चुकी है। इसलिए, आयोग कारण बताओ नोटिस के जवाब में मुख्य सचिव द्वारा दी गई दलीलों को खारिज करने के लिए बाध्य था, क्योंकि वे विचारणीय नहीं थी। शिकायतकर्ता/पीड़ित के मानव अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था, जिसके लिए राज्य उसे मुआवजा देने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। इसलिए, कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गई, और आंध्र प्रदेश राज्य को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से छह सप्ताह की अवधि के भीतर शिकायतकर्ता/पीड़ित स्टालिन को मुआवजे के रूप में 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) का भुगतान करने की सिफारिश की गई।

आयोग के निर्देश के अनुसरण में, आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा का भुगतान कर दिया गया। भुगतान का विवरण और भुगतान का प्रमाण रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया था। इन तथ्यों को देखते हुए, आयोग के किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, मामला दिनांक 02 अगस्त 2022 को बंद कर दिया गया।

11.) घायल सुअर की सूचना पुलिस को देने की घटना पर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में पुलिस अधिकारी ने दो युवकों की पिटाई की

(केस नंबर: 4831/30/7/2019)

आयोग ने 23 अक्टूबर 2019 को *टाइम्स ऑफ इंडिया* में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वत: *संज्ञान लिया,* जिसका शीर्षक था "एक सुअर को बचाने के लिए सौ नंबर डायल करने पर पुलिस वाले ने युवकों की पिटाई की।" समाचार रिपोर्ट के अनुसार, महिपालपुर पुलिस स्टेशन के एक पुलिसकर्मी ने दो तिब्बती युवकों की कथित तौर पर पिटाई कर दी, क्योंकि उन्होंने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के लेबर चौक के पास सड़क पर एक घायल अवस्था में पड़े सुअर के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया था।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, एसीपी (शिकायत), सतर्कता, दिल्ली ने दिनांक 18 मई 2020 को पत्र के माध्यम से, अपर पुलिस उपायुक्त, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति भेजी। रिपोर्ट से पता चला कि दिनांक 21 दिसम्बर 2019 को पुलिस थाने वसंत कुंज साउथ को दो घायल व्यक्तियों के सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में भर्ती होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने अस्पताल का दौरा किया, दोनों घायल व्यक्तियों की मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट एकत्र की और उनका बयान लिया। उनके बयानों के अनुसार, संबंधित दिन सुबह 02:00 बजे, खाने के लिए जाते समय, उन्होंने सड़क पर एक घायल सुअर देखा। उन्होंने सहायता के लिए एनिमल केयर सेंटर को फोन किया, जिसने उन्हें आपातकालीन नंबर 100 के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। पशु देखभाल केंद्र का प्रतिनिधि भी मौजूद था और एक वीडियो रिकॉर्डिंग में कांस्टेबल को पीड़ितों को परेशान करते हुए देखा गया था। कांस्टेबल क्रोधित हो गया और पीड़ित से अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को हटाने की मांग की, और दोनों पीड़ितों पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। एसीपी, वसंत कुंज के नेतृत्व में एक जांच में बयानों की पुष्टि हुई। नतीजतन, कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। पीड़ितों की एमएलसी रिपोर्ट में साधारण हल्की चोटों का जिक्र किया गया, जिसके कारण दिनांक 03 दिसम्बर 2019 को आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध दर्ज किया गया। आयोग ने तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध सामग्री की समीक्षा की। यह देखा गया कि गलती करने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दो पीड़ितों को इरादतन चोट पहुंचाने का दोषी था। आयोग ने यह भी देखा कि पुलिस से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, और जब कोई अधिकारी क्रूरता का सहारा लेता है, तो यह समाज में भय पैदा करता है और यह अस्वीकार्य है। राज्य को ऐसे कार्यों के लिए परोक्ष रूप से

उत्तरदायी माना गया था, और आयोग की राय में, पीड़ित अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे के पात्र थे। नतीजतन, आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 के तहत सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को एक नोटिस जारी किया और उनसे चार सप्ताह के भीतर यह बताने के लिए कहा गया कि आयोग को दोनों पीड़ितों, प्रत्येक को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि के भुगतान की अनुशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने दिनांक 28 सितम्बर 2021 को पत्र के माध्यम से, अपर डीसीपी, दक्षिण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली से दिनांक 15 सितम्बर 2021 की रिपोर्ट की प्रति भेजी। रिपोर्ट ने दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को *टाइम्स ऑफ इंडिया* में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की सामग्री की पुष्टि की। रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई कि पीड़ितों की एमएलसी के आधार पर आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। घटना के लिए जिम्मेदार कांस्टेबल को विभागीय कार्यवाही के तहत स्थानांतरित कर अनुशासित किया गया है।

आयोग ने कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किया और दोहराया कि मानव अधिकार उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे की सिफारिश की जाती है। इस मामले में, कांस्टेबल के कार्यों के लिए अनुशासनात्मक उपाय आवश्यक थे, लेकिन केवल सजा से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए, आयोग ने समीक्षा के अनुरोध को खारिज कर दिया और सिफारिश की कि पुलिस आयुक्त, दिल्ली, दोनों पीड़ितों, प्रत्येक को 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करें, और छह सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग की सिफ़ारिशों के अनुपालन में, दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को लिखे पत्र में, पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, दिल्ली की ओर से एसीपी/कॉपल्ट द्वारा सूचित किया गया कि दोनों पीड़ितों को 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) की राशि (प्रत्येक को 50,000/- रुपये) उनके संबंधित बैंक खातों में जमा करके वितरित कर दी गई थी। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट संलग्न की गई थी। जैसे ही सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और भुगतान का सबूत प्रस्तुत किए, मामला दिनांक 23 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया।

12.) पुलिस स्टेशन में बलात्कार: उत्तर प्रदेश के बदायूँ में अधिकारी द्वारा महिला पर हमला

(केस नंबर: 19166/24/7/2020-एआर)

आयोग को दिनांक 01 सितम्बर 2023 को एक शिकायत मिली, जिसमें 01 सितम्बर 2023 को पुलिस स्टेशन के भीतर एक पुलिस अधिकारी द्वारा उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा कई मौकों पर यौन और मानसिक शोषण किया गया। उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई।

आयोग के निर्देशों के जवाब में पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से दिनांक 26 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच के बाद आरोपी सब-इंस्पेक्टर को अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच अपराध शाखा, बदायूँ को स्थानांतरित कर दी गई। आरोपियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

इस मामले में, मुख्य सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को पीएचआरए की धारा 18ए(i) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता की गरिमा के अधिकार के उल्लंघन के लिए आयोग को पीड़िता को 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक (मानव अधिकार), उत्तर प्रदेश से दिनांक 07 जुलाई 2021 के पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि विभागीय कार्यवाही में आरोपी सब-इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया और उसे न्यूनतम वेतनमान पर तैनाती का दंड दिया गया। फिलहाल उसके खिलाफ दर्ज मामलों की सीबीसीआईडी जांच चल रही थी। इसलिए सीबीसीआईडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय होने के बाद शिकायतकर्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करना कानूनी रूप से उचित होगा।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि रिपोर्ट में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता की गरिमा के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में आयोग के निष्कर्षों का खंडन करने के लिए कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को उस पीड़ित को 1,00,000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) का मुआवजा देने की सिफारिश की, जिसके गरिमा के अधिकार का पुलिस द्वारा उल्लंघन किया गया था। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), नोडल अधिकारी, मानव अधिकार प्रकोष्ठ, बदायूँ, उ.प्र. का पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2022 प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि पीड़िता को एक लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। इसलिए, मामला दिनांक 14 नवम्बर 2023 को बंद कर दिया गया।

13.) उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दहेज के कारण बारहवीं कक्षा की छात्रा की लाश फांसी पर लटकी मिली

(केस नंबर: 14751/24/75/2021)

आयोग को दिनांक 22 अप्रैल 2021 को सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्ता की बहन की कथित तौर पर दिनांक 11 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दहेज संबंधी मुद्दों के कारण असामयिक मृत्यु हो गई।

आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई। पीड़िता ने वर्ष 2000 में बब्लू के साथ विवाह किया था। उन्हें दो बेटे और एक बेटी हुई। आरोप दहेज हत्या से संबंधित थे और दावा किया गया था कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इस मामले की परिस्थितियों की जानकारी दी गई है। सबसे पहले थाना रजबपुर प्रभारी को कथित निधन की जानकारी दी गई। उन्होंने शिकायतकर्ता, जो मृतका का मामा है, को पुलिस स्टेशन जाकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालाँकि, पुलिस को ऐसी कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई, इसलिए परिवार ने बिना पोस्टमॉर्टम कराए मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका बारहवीं कक्षा की छात्रा थी, और उसे अपने आवास में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था, फिर भी अधिकारियों द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चला कि स्थानीय पुलिस को मौत के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों के बारे में तुरंत सूचित किया गया था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत हुआ कि स्थानीय अधिकारियों ने औपचारिक लिखित शिकायत प्रस्तुत करने पर जोर दिया। इस आग्रह ने संदिग्ध परिस्थितियों की तीव्र प्रकृति पर त्वरित प्रतिक्रिया को बाधित किया, जिससे एक युवा महिला की मृत्यु में परिणत होने वाली संभावित संदिग्ध स्थितियों की गहन जांच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ।

आयोग ने पुलिस अधीक्षक, अमरोहा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नोट किया था कि लिखित शिकायत के अभाव के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह रहस्योद्घाटन संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। पीएचआरए की धारा 18 (ए) (i) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि आयोग को मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) की मुआवजा राशि के वितरण की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार के अवर सचिव से दिनांक 10 दिसम्बर 2021 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट से पता चला कि अमरोहा में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो उस समय लंबित था। इसलिए, जांच पूरी होने और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित होने पर मृतका के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये की आर्थिक सहायता के प्रावधान का प्रस्ताव करना उचित समझा गया।

आयोग ने उपरोक्त रिपोर्ट की गहन समीक्षा की। हालाँकि, इसमें पाया गया कि लोक सेवकों द्वारा प्रदर्शित कथित लापरवाही के संबंध में आयोग के सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में नदारद थे। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रदर्शित आचरण उल्लेखनीय रूप से उदासीन दिखाई दिया, इस प्रकार लापरवाही के आरोपों की पुष्टि रिपोर्ट से हुई। नतीजतन, यह मामला मानव अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन को रेखांकित करता है। नतीजतन, आयोग ने मौद्रिक मुआवजे की अपनी पिछली सिफारिशों की पुष्टि की। आयोग के निर्देशों के जवाब में, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस अधीक्षक की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि मुआवजे के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। अफसोस की बात है कि उक्त राशि का वितरण मृतका के निकटतम परिजनों का निर्णायक निर्धारण होने तक स्थगित कर दिया गया था। इससे पता चला कि एक बार अमरोहा में जिला मजिस्ट्रेट से प्रतीक्षित रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद, मुआवजा वितरित किया जाएगा, और इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों से पूरी मुआवजे की राशि वसूल की जाएगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामला दिनांक 03 फरवरी 2023 को बंद कर दिया गया था।

14.) छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुठभेड़ में तीन लोगों की मौत

(केस नंबर: 355/33/20/2019-ईडी)

आयोग को दिनांक 14 सितम्बर 2019 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंतागुफा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में तीन व्यक्तियों की मुठभेड़ में मौत के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सुकमा, छत्तीसगढ़ से सूचना प्राप्त हुई। मामले का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल मामले में अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। घटना के बारे में पुलिस की कहानी में बताया गया है कि उन्हें सुकमा जिले के पुलिस थाने चिंतागुफा के अधिकार क्षेत्र में दोरनापाल-जगरगुंडा रोड पर 120-150 नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। जवाब में, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की एक टीम को दिनांक 14 सितम्बर 2019 को तलाशी अभियान के लिए भेजा गया था। लगभग सुबह 05:30 बजे, जैसे ही जांच दल गडगडमेटा पहुंचा, उन्हें नक्सलियों के एक समूह से गोलीबारी का सामना करना पड़ा। आत्मरक्षा की कार्रवाई में, पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप तीन पुरुष नक्सली मारे गए। गोलीबारी के बीच, पुलिस को मृत व्यक्तियों के कब्जे से एक मैगजीन के साथ एक इंसास राइफल, तीन भरी हुई बंदूकें, ग्यारह तीर, लगभग 20-25 किलोग्राम वजन का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलीं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों के शरीर पर बंदूक की गोलियों के कई घावों का पता चला, जिसमें घावों के आसपास गोदने, जलने या काले पड़ने का कोई संकेत नहीं था। मौत का कारण बंदूक की गोलियों के कई घाव, बाहरी रक्तस्राव के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक और मस्तिष्क की चोटों के कारण न्यूरोजेनिक शॉक को बताया गया। बैलिस्टिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि जब्त की गई इंसास राइफल और भरी हुई बंदूकों में से एक परिचालन स्थिति में थी और जांच के लिए प्रस्तुत करने से पहले खाली कर दी गई थी। हालाँकि, भरी हुई बंदूकों में से दो गैर-परिचालन थीं, उन्हें प्रयोगशाला में प्रस्तुत करने से पहले ही फायरड कर दिया गया था। मृत व्यक्तियों में से एक के हाथ के स्वाब नमूनों पर फायरिंग के अवशेष पाए गए।

कोंटा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई जांच में मृतक के परिवार के सदस्यों, स्वतंत्र गवाहों और मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों के बयान शामिल थे। इन बयानों और अन्य सबूतों के गहन मूल्यांकन के बाद, जांच मजिस्ट्रेट को मुठभेड़ में कदाचार का कोई सबूत नहीं मिला।

मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के संदर्भ में, कोट्टागुडा के एक निवासी, जिनकी उम्र 48 वर्ष थी और उनके बेटे ने मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही दी। उन्होंने खुलासा किया कि जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी के दौरान उनकी पीठ में गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस दल ने उसे इलाज के लिए सुकमा पहुंचाया। आयोग के आकलन के अनुसार, वह किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं था और अनजाने में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी में फंस गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह उचित समझा गया कि उसे राज्य सरकार से आर्थिक मुआवजा दिया जाए। विशेष रूप से, पुलिस रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया कि क्या उसे कोई मुआवजा दिया गया था।

नतीजतन, पीएचआरए की धारा 18 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें पीड़ित को 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) की राशि वितरित करने की सिफारिश के संबंध में आठ सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार को उन्हें आर्थिक मुआवजा देने में कोई आपत्ति नहीं थी, जो पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी के दौरान घायल हो गए थे। तदनुसार, कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गई, और आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित को मुआवजा राशि वितरित करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, सरकार को भुगतान के साक्ष्य के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। परिणामस्वरूप, इन निर्देशों के मद्देनजर आयोग ने दिनांक 14 दिसम्बर 2022 को मामला बंद कर दिया।

15.) छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस फायरिंग के दौरान चार नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए

(केस नंबर: 172/33/5/2018)

आयोग को दिनांक 17 मार्च 2018 को सूचना मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाने के कारण चार व्यक्ति घायल हो गए। आयोग के निर्देशों के जवाब में, मामले पर आवश्यक रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से दिनांक 09 जनवरी 2019 को पत्र, जिसमें थाना प्रभारी, पीएस डौंडीलोहारा, बालोद की रिपोर्ट को अग्रेषित किया गया, से पता चला कि घटना की तारीख, यानी दिनांक 12 मार्च 2018 को रात में सीएएफ का मकसद हत्या करने का था, जो चार लोग घायल हुए थे। इसके बाद, उसने आत्महत्या कर ली। आईपीसी की धारा 460/307 सहपठित 25(27) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हालाँकि, चूँकि आरोपी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मामला बंद कर दिया गया। घायलों को मुआवजा राशि देने के लिए संभलपुर मुआवजा योजना 2011 के तहत आवेदन किया गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन था।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और लोक सेवक को आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध करने का दोषी पाया। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर इस अपराध को अंजाम दिया था। पीड़ितों को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। हालाँकि रिपोर्ट में पीड़ितों की चोटों का विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चोटों को जानबूझकर छुपाया गया था। किसी भी मामले में, पीड़ितों ने मानसिक और शारीरिक यातना और पीड़ा सहन की थी, और उन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा व्यय भी वहन करना पड़ा होगा। यह न केवल कर्तव्य की अवहेलना का मामला था, बल्कि एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कृत्य का मामला भी था। इस प्रकार, राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें पूछा गया कि पीएचआरए की धारा 18 के तहत प्रत्येक घायल व्यक्ति को 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपये) का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग ने दिनांक 26 जून 2019 को सूचित किया कि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, चार पीड़ितों के लिए 12,00,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, बालोद, छत्तीसगढ़ को पीड़ितों को भुगतान करने और भुगतान का प्रमाण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जवाब में, एसपी, बालोद और छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के अवर सचिव की रिपोर्ट के साथ डीएम, बालोद का पत्र प्राप्त हुआ। रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने प्रत्येक घायल व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 3,00,000/- रुपये का भुगतान किया था। भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया था। नतीजतन, चूंकि मामले में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए मामला दिनांक 06 मई 2022 को बंद कर दिया गया।

16.) पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ की गोलीबारी में ईंट भट्ठा मजदूर की मौत

(केस नंबर: 80/25/11/2018-पीएफ)

दिनांक 23 दिसम्बर 2017 को आयोग को एक सूचना मिली जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 17 दिसम्बर 2017 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 36वीं बटालियन के जवानों ने रात में गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के मालदा में बैष्णब नगर पुलिस स्टेशन सीमा क्षेत्र में एक ईंट भट्ठा मजदूर की मौत हो गई।।

आयोग ने इस मामले का विधिवत संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। जवाब में, मालदा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मालदा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट संलग्न थी। जांच रिपोर्ट से पता चला कि दिनांक 18 दिसम्बर 2017 को मौत के सिलसिले में सोवापुर में तैनात 36वीं बटालियन के बीएसएफ कर्मियों के खिलाफ एक विशेष मामला शुरू किया गया था। यह मामला पुलिस स्टेशन, बैष्णब नगर, जिला मालदा में दर्ज एक लिखित शिकायत पर आधारित था। आगे बताया गया कि दिनांक 17 दिसम्बर 2017 के लिए बीएसएफ कर्मियों का ड्यूटी रजिस्टर, उस दिन इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद के विवरण के साथ जब्त कर लिया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि पीड़ित की मौत बंदूक की गोली से हुई थी, और इसे एक हत्यात्मक कृत्य माना गया। जांच में मौत के लिए ज़िम्मेदार बीएसएफ की 36वीं बटालियन के कर्मियों की पहचान की गई।

रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, आयोग ने पाया कि एक बीएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और मामला अदालत में विचाराधीन था। आयोग ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। आयोग ने राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया कि वह न केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाए बल्कि अपने प्रतिनिधियों के गलत कृत्यों के लिए पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा भी दे। नतीजतन, आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें छह सप्ताह के भीतर मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपये) का मुआवजा देने की सिफारिश की गई।

आगे विचार करने पर, यह स्पष्ट हो गया कि बीएसएफ कर्मियों द्वारा गलती से की गई गोलीबारी में एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिससे पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। नतीजतन, राज्य मृतक के निकटतम रिश्तेदार को मुआवजा प्रदान करने का दायित्व वहन करें, जिन्होंने राज्य के अधिकारियों के गलत कृत्य के कारण परिवार के एक निर्दोष सदस्य को खो दिया था। सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा मुकदमे के नतीजे आने तक मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के फैसले की समीक्षा करने के लिए बीएसएफ की याचिका आयोग को स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए, आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 3,00,000/- रुपये का मुआवजा देने तथा आठ सप्ताह के भीतर भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

जवाब में, अवर सचिव, एचआर विंग/आईएस-II डिवीजन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने दिनांक 29 जून 2021 को डीआइजी (ओपीएस) बीएसएफ की एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि मालदा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने बीएसएफ सुरक्षा बल अदालत द्वारा सुनवाई के लिए मामले को बीएसएफ को स्थानांतरित कर दिया था। संबंधित क्षेत्रीय गठित प्राधिकरण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागरिक गवाहों के बयान दर्ज करके 30 दिनों के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया गया था। मामला प्रगति पर था, और आगे यह उल्लेख किया गया था कि कानूनी कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक मृतक के निकटतम रिश्तेदार को मुआवजे के मामले पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। आयोग ने इस रिपोर्ट पर विचार किया और दोहराया कि आयोग कानूनी कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक इंतजार नहीं कर सकता। संबंधित प्राधिकारी के पास मुआवजे की सिफारिश के लिए कारण बताओ नोटिस स्वीकार करने या इसे अस्वीकार करने का विकल्प था। इसलिए, आयोग ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, उप महानिरीक्षक (ऑपरेशन) सीमा, महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह के विस्तार का अनुरोध किया गया था।

आयोग ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया। वर्तमान मामले में, मालदा में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष बीएसएफ के कांस्टेबल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत दिनांक 30 सितम्बर 2018 को आरोप पत्र दायर किया गया था। दिनांक 19 नवम्बर 2020 को, आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 के तहत सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को 3,00,000/- रुपये के भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालाँकि, आयोग को यह सूचित किया गया कि सीजेएम, मालदा ने बीएसएफ सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए मामले को बीएसएफ को स्थानांतरित कर दिया था तथा इस कानूनी कार्यवाही के अंतिम नतीजे तक पहुंचे बिना मृतक के परिजनों को मुआवजे का मामला तय नहीं किया जाना चाहिए। इन तथ्यों को देखते हुए, आयोग द्वारा किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। शिकायतकर्ता को उचित अदालत के समक्ष शिकायत उठाने की सलाह दी गई। नतीजतन, मामला दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को बंद कर दिया गया।

17.) ओडिशा के नौरंगपुर में नीचे लटकते हाई-वोल्टेज तार के संपर्क में आने से करंट लगने से एक नाबालिग लड़की की मौत

(केस नंबर: 2161/18/10/2019)

आयोग को दिनांक 11 जून 2019 को सूचना मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि ओडिशा के नौरंगपुर जिले के नौरंगपुर शहर के बाहरी इलाके में माझीगुड़ा गांव में दीन दयाल उपाध्याय आवासीय विद्यालय में बिजली का करंट लगने से 11 वर्षीय लड़की की मौत हो गई।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, मामले में अपेक्षित रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की गई। ओडिशा सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने दिनांक 23 फरवरी 2021 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि संबंधित विद्युत केबल/तार को पास के बिजली के खंभे से अनाधिकृत रूप से बढ़ाया गया था और जो अज्ञात कारणों से टूट गया था। टूटी हुई केबल जमीन को छुए बिना परिसर की दीवार के पास कंटीले तारों की बाड़ के सहारे से लटकी हुई स्थिति में थी। जब पीड़िता पास में नृत्य कर रही थी, तो वह गलती से टूटे हुए करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आने से उसे बिजली का करंट लगा, जिसके परिणामस्वरूप घातक विद्युत दुर्घटना हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साउथको स्टाफ ने 2-3 दिनों के बाद साइट का दौरा किया और अनधिकृत केबल/तार एक्सटेंशन को हटा दिया। खुलासा हुआ कि हादसा केबल के अनाधिकृत विस्तार और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से हुआ। रिपोर्ट में ऐसी अनधिकृत गतिविधियों और चोरी की निगरानी और जाँच में साउथको यूटिलिटी की लापरवाही पर भी प्रकाश डाला गया, जिसके कारण दुर्घटना हुई। यह उल्लेख किया गया था कि स्थानीय सरपंच द्वारा पीड़िता के दादा को 2,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन साउथको अधिकारियों द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

उपरोक्त के आधार पर, आयोग ने मृतका के निकटतम रिश्तेदार को अंतरिम राहत के रूप में 5,00,000 रुपये (केवल पांच लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। ओडिशा के नबरंगपुर के पुलिस अधीक्षक को भी मामले में दर्ज आपराधिक मामले की स्थिति/नतीजे के साथ एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

जवाब में, ओडिशा सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने दिनांक 13 अगस्त 2021 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि दुर्घटना डीडीयू आश्रम स्कूल परिसर, माझीगुड़ा, नबरंगपुर के अंदर हुई। दुर्घटना वाले दिन से पहले, बारिश हो रही थी और ज़मीन गीली थी। एलटी पोल से एक अनाधिकृत लाइन ली गई थी, जो टूट गई थी और चारदीवारी पर लगी फेंसिंग के संपर्क में आ गई थी। हादसे वाले दिन ही एक बारात स्कूल के पीछे से गुजर रही थी। जब मृतका और उसके दोस्त शादी की पार्टी (स्कूल परिसर के अंदर) देखने आए, तो पीड़िता संतुलन नहीं रख सकी और उसने बाउंड्री पर लगे बाड़ के तार से सहारा लेने की कोशिश की, जिसमें करंट प्रवाहित था, और परिणामस्वरूप, वह करंट की चपेट में आ गई। इसलिए, यह कहा गया कि अधिकारी कथित विद्युत दुर्घटना के लिए न तो जिम्मेदार थे और न ही जवाबदेह थे। पुलिस अधीक्षक, नबरंगपुर, ओडिशा ने दिनांक 08 सितम्बर 2021 को पत्र के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि घटना के संबंध में नबरंगपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मुख्य विद्युत निरीक्षक की वैधानिक जांच रिपोर्ट में लोक सेवकों को घटना के लिए जिम्मेदार पाया गया। यह भी पाया गया कि साउथको यूटिलिटी, बिजली कंपनी, सतर्क नहीं थी और पर्यवेक्षण की कमी थी। यदि संबंधित अधिकारियों ने उचित तत्परता से कार्रवाई की होती तो दुर्घटना को टाला जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप लोक सेवकों की लापरवाही के कारण मृत मासूम बच्ची के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। यह कहा गया था कि कारण बताओ नोटिस का जवाब मेरिट पर आधारित नहीं था, और इसलिए राज्य नाबालिग लड़की की इस दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक मृत्यु के लिए मुआवजा देने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। इसलिए, आयोग ने मृतका के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की अपनी सिफारिश की पुष्टि की।

जवाब में, ओडिशा सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने भुगतान के प्रमाण के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मृतका के पिता को पांच लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। चूंकि आयोग की सिफारिश का अनुपालन किया गया था, इसलिए मामला दिनांक 26 जुलाई 2022 को बंद कर दिया गया था।

18.) ओडिशा की ब्राह्मणी नदी में बिजली का करंट लगने से मछुआरे की दुखद मौत

(केस नंबर: 2304/18/20/2021)

दिनांक 24 नवम्बर 2021 को आयोग ने दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के आधार पर जिला खुर्दा, ओडिशा से दायर एक शिकायत पर संज्ञान लिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ओडिशा में ब्राह्मणी नदी में मछली पकड़ने के दौरान एक मछुआरे की नीचे लटकती बिजली लाइन से करंट लगने से मौत हो गई।

आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, आयोग को दिनांक 15 मार्च 2022 को ओडिशा सरकार, ऊर्जा विभाग के उप सचिव से दिनांक 18 फरवरी 2022 की एक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट से पता चला कि घातक विद्युत दुर्घटना ओईआरसी, भुवनेश्वर के तहत एक वितरण लाइसेंसधारी, टीपीडब्ल्यूओडीएल, संबलपुर के अधिकृत क्षेत्र में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक पीड़ित 11 केवी लाइन के संपर्क में आया होगा और बेहोश होकर ब्राह्मणी नदी में गिर गया, जिसके फलस्वरूप डूबने से मौत हो गई। आगे यह नोट किया गया कि बाढ़ के स्तर में वृद्धि के कारण पोल जिस पर बिजली लाइन के तार खीचें हुए थे, पानी में डूब गया था, जिससे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ। जांच रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेजों को देखने पर, यह स्पष्ट हो गया कि 11 केवी बिजली लाइन की उचित ग्राउंड क्लीयरेंस सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण टीपीडब्ल्यूओडीएल/वितरण लाइसेंसधारी की ओर से लापरवाही के कारण घातक विद्युत दुर्घटना हुई। पीड़ित परिवार को तहसीलदार से 10,000 रुपये का मामूली मुआवजा मिला, और

टीपीडब्ल्यूओडीएल/वितरण लाइसेंसधारी द्वारा मृतक के निकटतम रिश्तेदार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यह मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है तथा इसके लिए राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया।

दिनांक 26 जुलाई 2022 को आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि आयोग को मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट, देवगढ़ को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि परिवार को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभ मिले। जवाब में, ओडिशा सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने दिनांक 05 अगस्त 2022 को एक जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि घातक दुर्घटना पीड़ित की लापरवाही के कारण हुई और दावा किया गया कि टीपीडब्ल्यूओडीएल अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार नहीं थे। इस प्रकार, मामले को खारिज करने का अनुरोध किया गया। हालाँकि, आयोग ने इस रुख को खारिज कर दिया और दुर्घटना के लिए टीपीडब्ल्यूओडीएल के दायित्व को बरकरार रखा। इसके अलावा, आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, दिनांक 15 सितम्बर 2022 को कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, देवगढ़ से एक जवाब प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि मृतक पीड़ित के परिवार को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभ मिला। जवाबों पर विचार करने और मामले के विवरण पर गौर करने के बाद, आयोग ने मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का मौद्रिक मुआवजा देने के अपने फैसले की पुष्टि की। एक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पुष्टि की गई कि मुआवजा राशि का भुगतान दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को मृतक के निकटतम परिजन को किया गया था। नतीजतन, आयोग ने दिनांक 18 जनवरी 2023 को मामला बंद कर दिया।

19.) कर्नाटक के बेंगलुरु में बिजली का करंट लगने से 12 साल के बच्चे की मौत

(केस नंबर: 1114/10/31/2022)

आयोग को लटकते हुए बिजली तार के संपर्क में आने से करंट लगने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत की सूचना मिली। घटना दिनांक 16 जुलाई 2022 को बेंगलुरु उत्तरी जिले के यशवंतपुर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, BESCOM, कर्नाटक के महाप्रबंधक (क्यू.एस एंड एस) ने दिनांक 09 फरवरी 2023 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दुर्घटना भारी बारिश और तेज़ हवाओं का परिणाम थी, जिसके कारण बीएमटीसी डिपो परिसर में एक पेड़ की शाखा बिजली की लाइनों से टकरा गई। इसके परिणामस्वरूप शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कंडक्टर दुर्घटनावश टूट गया, जो बच्चे पर उस समय गिर गया जब वह बिजली के तारों के नीचे एक संकरी गली से गुजर रहा था। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि वितरण कंपनी के कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई। BESCOM ने तुरंत मृतक बच्चे के परिवार को 5,00,000/- रुपये की राशि का मुआवजा दिया था, और भुगतान का प्रमाण रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया था। प्रस्तुत सामग्री पर गहन विचार करने पर, यह स्थापित हुआ कि दुर्घटना वास्तव में प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हुई थी, और BESCOM ने शोक संतप्त परिवार को 5,00,000/- रुपये की मौद्रिक राहत प्रदान करके त्वरित जिम्मेदारी ली थी। संतोषजनक समाधान और मुआवजे के आलोक में, आयोग ने आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा, और इस प्रकार, मामला दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया।

20.) गुजरात के महिसागर स्थित केनपुर सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान स्कूली छात्रों की बिजली का करंट लगने से मौत

(केस नंबर: 873/1/21/2019)

आयोग को दिनांक 20 अगस्त 2019 को एक सूचना मिली, जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गुजरात के महिसागर के केनपुर सरकारी स्कूल में दो स्कूली छात्रों की दुखद मौत का आरोप लगाया गया था। स्कूल प्रबंधन द्वारा आवश्यक एहतियाती उपाय लागू करने में विफलता के कारण छात्रों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, पुलिस अधीक्षक, जिला महीसागर, गुजरात ने दिनांक 20 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जांच के निष्कर्षों में छात्रों की मौत के लिए उनकी किशोरावस्था की प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया गया। यह नोट किया गया कि उनके माता-पिता या रिश्तेदारों की ओर से स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी। निर्णायक तथ्य से पता चला कि छात्रों की जान स्कूल की छत से गुजरने वाले बिजली के तार से करंट लगने के कारण हुई, जब वे ध्वजारोहण समारोह की तैयारी के लिए लोहे का खंभा उठाने में शामिल थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों को खंभा लाने का निर्देश नहीं दिया गया था, लेकिन वे स्वेच्छा से छत पर चले गए और किशोरावस्था के दौरान उनके आवेगी स्वभाव के कारण यह दुखद घटना घटी। दिनांक 02 नवम्बर 2021 की कार्यवाही के तहत, आयोग ने पाया कि पुलिस अधीक्षक, महिसागर की जांच रिपोर्ट में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज करने का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, मामले में कोई गड़बड़ी या लापरवाही सामने नहीं आई।

हालाँकि, आयोग जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों से सहमत नहीं था। ध्यान से देखने पर पता चला कि दोनों लड़के स्कूल के चपरासी के साथ छत पर गए थे, इस तरह वे उसकी निगरानी में और स्कूल के संरक्षण में थे। स्कूल प्रबंधन को छत

से होकर गुजरने वाले बिजली के तार की मौजूदगी का अंदाजा लगाना चाहिए था, जिससे सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को स्कूल की छत तक पहुँचने की अनुमति देकर, स्कूल ने लापरवाही बरती है और उन्हें अपनी लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह घटना मृतकों, दोनों की उम्र 15 वर्ष थी, के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। नतीजतन, आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से गुजरात सरकार को पीएचआरए की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि आयोग द्वारा दोनों मृतकों के निकट संबंधियों को 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपये) के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग के निर्देशों के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक पीड़ितों के परिवारों को कुल 5,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने "जनता अकस्मात बीमा योजना" योजना के माध्यम से प्रत्येक को दो लाख रुपये प्रदान किए, जबकि बिजली कंपनी एमजीवीसीएल ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को अतिरिक्त 50,000 रुपये का भुगतान किया। इसलिए, प्रत्येक प्रभावित परिवार को कुल 2.50 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। रिपोर्ट ने आगे पुष्टि की कि गहन जांच की गई और लापरवाह पक्षों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 22 अगस्त 2022 को मामला बंद कर दिया।

21.) पंजाब के लुधियाना में पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मानदंडों और श्रम कानूनों के उल्लंघन के कारण बिजली का करंट लगने से संविदा लाइनमैन की मौत

(केस नंबर: 592/19/10/2019)

आयोग को दिनांक 24 जून 2019 को एक संविदा लाइनमैन की दुखद मौत के संबंध में एक सूचना मिली, जिसकी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। शिकायत में इस घटना के लिए पावर कॉर्पोरेशन जेई और अन्य की गंभीर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए सुरक्षा मानदंडों और श्रम कानूनों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, संबंधित अधिकारियों से मामले पर अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई। कार्रवाई रिपोर्ट से पता चला कि मृतक को पीएसपीसीएल के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना जेई द्वारा नियुक्त किया गया था। पीएसपीसीएल ने इसके लिए जिम्मेदार लापरवाही पर विवाद करते हुए कहा कि मृतक की नियुक्ति उनकी अनुमति के बिना की गई थी, और परिवार द्वारा मुआवजे की कोई लिखित मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी। हालाँकि, आयोग ने पीएसपीसीएल के तर्क से असहमति जताई और निगम को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह देखा गया कि आरोपी जेई पीएसपीसीएल का कर्मचारी था और उसने मृतक को पीएसपीसीएल के 11 केवी फीडर पर काम पर लगाया था। मृतक की नियुक्ति के बारे में पीएसपीसीएल की जानकारी ने उनके खिलाफ लापरवाही के मामले को मजबूत किया। पीएसपीसीएल ने यह भी दावा किया कि मृतक के निकटतम रिश्तेदार और आरोपी जेई के बीच कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए आपसी समझौता हुआ था। हालाँकि, आयोग ने इस समझौते को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अमान्य करार दिया। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि लापरवाही की पुष्टि करते हुए आरोपी जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नतीजतन, आयोग ने पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि आयोग को मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। जवाब में, पीएसपीसीएल ने संबंधित जेई की ओर से लापरवाही स्वीकार की और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की। जवाब पर विचार करने पर, आयोग ने पीएसपीसीएल को लापरवाही के कारण हुई मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी पाया। आईपीसी की धारा 304 के तहत लंबित मुकदमे ने पीएसपीसीएल को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने से मुक्त नहीं किया। आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000 रुपये का मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया। उपरोक्त के अनुसरण में, पीएसपीसीएल ने सिफारिश का अनुपालन किया और मृतक की पत्नी को मुआवजे का भुगतान किया गया। चूंकि सिफारिश का अनुपालन किया गया था, मामला दिनांक 20 मार्च 2023 को बंद कर दिया गया था।

22.) असम के कोकराझार में पुलिस द्वारा गलत पहचान के कारण महिला को तीन साल तक गैरकानूनी हिरासत में रखा गया

(केस नंबर: 137/3/11/2019)

आयोग को दिनांक 29 जून 2019 को एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीड़ित को गलत पहचान के कारण 2016 में असम पुलिस की सीमा शाखा द्वारा गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था। उसे विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किया गया और असम के कोकराझार डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया।

आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से प्रासंगिक रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक की एक रिपोर्ट से पता चला कि गलत पहचान के एक मामले के कारण, उसे दिनांक 18 नवम्बर 2016 को असम पुलिस की सीमा शाखा द्वारा गलती से हिरासत में लिया गया था। सभी आवश्यक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बावजूद, सीमा शाखा के अधिकारी उसके दावों को स्वीकार करने या उसके भाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समीक्षा करने में विफल रहे। आयोग ने पाया कि राज्य के अधिकारियों द्वारा अवैध हिरासत की स्वीकारोक्ति ने पीड़िता के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन और तीन साल के लिए उसको उसके स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रखा।

आयोग ने कहा कि पीड़िता को हुए नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इस प्रकार, आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव के माध्यम से असम सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आयोग को पीड़िता के लिए 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

जवाब में, असम सरकार के दिसपुर के राजनीतिक (ए) विभाग के अवर सचिव ने एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें पता चला कि इंस्पेक्टर सहित कुल 13 पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए। दोषी पाए गए पांच अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और पुलिस अधीक्षक को शेष व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालाँकि, रिपोर्ट में पीएचआरए की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस को संबोधित नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि संबंधित प्राधिकारी को आयोग द्वारा जारी नोटिस पर कोई आपत्ति नहीं थी। परिणामस्वरूप, कारण बताओ नोटिस और अनुशंसा की पुष्टि की गई।

निर्देशों के अनुसरण में, आयोग को असम सरकार के राजनीतिक (ए) विभाग के अवर सचिव से एक संचार प्राप्त हुआ, जिसमें पीड़िता को मुआवजे के रूप में 2,00,000/- रुपये के भुगतान की पुष्टि की गई। इन घटनाक्रमों को देखते हुए, आयोग द्वारा कोई और हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा गया। नतीजतन, मामला दिनांक 16 नवम्बर 2022 को बंद कर दिया गया।

23.) केंद्रीय कारागार, बरेली, उत्तर प्रदेश में कैदी की रिहाई न होने का आरोप

(केस नंबर: 6969/24/14/2020)

आयोग को दिनांक 06 मार्च 2020 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश के एक निवासी से शिकायत मिली। शिकायत में उत्तर प्रदेश के बरेली में केंद्रीय कारागार की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि रिहाई के योग्य 95 दोषी कैदी अभी भी जेल में बंद हैं, जिससे जेलों में भीड़ बढ़ गई है और कैदियों में निराशा का भाव फैल रहा है।

आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए माना कि ऐसे मामले मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं। नतीजतन, आयोग ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं के अपर मुख्य सचिव, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार प्रशासन और सुधारात्मक सेवाओं के उप महानिरीक्षक ने अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की।

इन रिपोर्टों की समीक्षा करने पर, यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने दोषी कैदियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था, और समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी। दी गई जानकारी के अनुसार, शासनादेश (जीओ) दिनांक 01 अगस्त 2018 के क्रम में केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वारा गणतंत्र दिवस, 2019 पर 308 सजायाफ्ता कैदियों की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव किया गया था। दिनांक 26 जनवरी 2019 से 19 जून 2019 के बीच कुल 271 कैदियों को रिहा किया गया। इसके अतिरिक्त, अदालत के आदेश या दया याचिकाओं के निपटारे के बाद 18 कैदियों को रिहा कर दिया गया, जबकि 18 कैदियों की रिहाई के आदेश लंबित थे। दुर्भाग्यवश, बीमारी के कारण एक कैदी की मृत्यु हो गई।

रिपोर्टों के अनुसार, गणतंत्र दिवस, 2020 के लिए केन्द्रीय कारागार, बरेली से उपरोक्त 18 सहित 145 सजायाफ्ता कैदियों की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इनमें से 57 को पहले ही रिहा कर दिया गया था और एक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, संशोधित सरकारी आदेश में अब यह निर्धारित किया गया है कि दोषी कैदियों को पूरे वर्ष में सात मौकों पर समय से पहले रिहा किया जाएगा। आयोग ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों से दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए सरकारी आदेश जारी किए थे, और विभिन्न सुधार सुविधाओं के प्रस्तावों का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। याचिकाकर्ता के आरोपों के आलोक में, रिपोर्ट में केन्द्रीय कारागार, बरेली से संबंधित विशिष्ट आंकड़े शामिल थे, जो याचिकाकर्ता के दावों का खंडन करते थे। इसलिए, रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर टिप्पणियों के अनुरोध के साथ भेज दी गई थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामला दिनांक 13 अप्रैल 2022 को बंद कर दिया गया।

7.2 स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार

7.2.1 प्रत्येक मनुष्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनुकूल स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का उपभोग करने का हकदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, बल्कि न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह अधिकार अन्य मानव अधिकारों के प्रयोग के लिए अपरिहार्य है। सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सुरक्षा और संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। मानसिक स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है, वह क्षेत्र है जहां देश गंभीर संकट का सामना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य "कल्याण की एक स्थिति जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, वह

जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है, और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है" है।

7.2.2 जब से एनएचआरसी अस्तित्व में आया है तब से आयोग ने लगातार यह विचार किया है कि संविधान में निहित गरिमा के साथ जीवन के अधिकार के परिणामस्वरूप सभी लोगों को यह सुनिश्चित करने के उपायों को मजबूत किया जाना चाहिए तथा विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित लोगों को बेहतर, सस्ती, सुलभ और अधिक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हो।

7.2.3 एनएचआरसी, जिसने लंबे समय से देश के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की निगरानी की है, ने कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग का मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद से, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिसे जागरूकता बढ़ाकर और शीघ्र परामर्श और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रदान करके अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति श्री एम.एम. कुमार ने दिनांक 01 जून 2022 को महासचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 'मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्यशाला' पर ऐसे सत्रों की योजनाबद्ध पहली श्रृंखला का उद्घाटन किया। सुश्री मीमांसा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्टिस हेल्थकेयर गुरुग्राम ने सत्र का संचालन किया। उपस्थित लोगों में एनएचआरसी के अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग, आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जैसे नजदीकी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक भी शामिल थे।

7.2.4 माननीय उच्चतम न्यायालय ने राकेश चंद्र नारायण और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका (सी) संख्या 339/1986 में दिनांक 11 नवम्बर 1997 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिए:

"हमने आज उपेन्द्र बक्सी (डॉ.) बनाम यूपी राज्य मामले में एक आदेश दिया है, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आदेश में बताए गए तरीके से आगरा प्रोटेक्टिव होम के कामकाज की निगरानी में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। हमारी राय है कि आगरा, रांची और ग्वालियर आश्रमों की तरह इस मामले में भी इसी तरह का आदेश देने की जरूरत है। तदनुसार, हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से इस अभ्यास को उसी तरीके से करने लागू करने का अनुरोध करते हैं। डॉ. उपेन्द्र बक्सी के मामले में दिए गए हमारे आदेश में दिए गए सामान्य निर्देश वर्तमान मामले में भी समान रूप से लागू होंगे। इस आदेश की एक प्रति डॉ. उपेन्द्र बक्सी मामले में पारित आदेश की एक प्रति के साथ, तथा श्री मुरलीधर द्वारा उल्लेखित इस मामले के अन्य प्रासंगिक आदेश और कागजात, रजिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजे जाएं।"

जैसा कि देखा जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त आदेश में आगरा के जिला न्यायाधीश को आगरा मानसिक अस्पताल के मामलों की निगरानी जारी रखने और समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश देने का निर्देश दिया। जैसा कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ एनएचआरसी को आवधिक रिपोर्ट की एक प्रति भेजें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2004 में एक और आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि यह अभ्यास ग्वालियर और रांची मानसिक संस्थानों तक भी बढ़ाया जाएगा और आगरा प्रोटेक्टिव होम के आदेश में उल्लिखित अन्य सभी सामान्य निर्देश, इन दोनों राज्यों पर समान रूप से लागू होंगे।

7.2.5 ग्वालियर, आगरा और रांची के जिला न्यायाधीशों द्वारा आयोग को सौंपी गई दौरा रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर, सभी चारों मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (एमएचआई) अर्थात्, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला (जीएमए), ग्वालियर; मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान (आईएमएचएच), आगरा; रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकिएट्री एंड अलाइड साइंसेज (रिनपास), और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री (सीआईपी), रांची की चिंताजनक स्थिति सामने आई। इसके बाद एनएचआरसी ने तत्काल कार्रवाई की और संस्थानों की स्थिति और कामकाज की प्रत्यक्ष जानकारी लेने के लिए सभी चारों मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया और प्रमुख चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा करने और उनके कुशल कामकाज के लिए एक योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक संस्थान में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया। इन चार संस्थानों में एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल के दौरे ने देश में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की चुनौतियों और स्थिति को उजागर किया। इस प्रकार, आयोग ने तुरंत अपने विशेष प्रतिवेदकों को पूरे भारत में तैंतालीस सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करने और निरीक्षण करने तथा आयोग को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

7.2.6 वर्तमान स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से जायजा लेने तथा कुशल कामकाज के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने हेतु, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल, सदस्यों, महासचिव और संयुक्त सचिव के साथ दिनांक 12 जुलाई 2022 को ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला (जीएमए), ग्वालियर का दौरा किया। इस दौरे के बाद संस्थान के कुशल कामकाज के लिए एक योजना तैयार करने

के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 27 जुलाई 2022 को मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल संस्थान (आईएमएचएच), आगरा का दौरा किया। इस दौरे के बाद दिनांक 28 जुलाई 2022 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूक करना था। प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 17 अगस्त 2022 को रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकिएट्री एंड अलाइड साइंसेज (रिनपास), और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री (सीआईपी), रांची दौरा किया, इसके बाद दिनांक 18 अगस्त 2022 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

7.2.7 आयोग ने दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इसके कार्यान्वयन के लिए नेत्र संबंधी आघात को रोकने, न्यून एवं कम करने के लिए एक परामर्शी जारी की। परामर्शी में केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्रवाई के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें नेत्र आघात पर एक डेटाबेस तैयार करना, नेत्र आघात की रोकथाम और न्यूनतमकरण, नेत्र आघात का उपचार, एकीकृत नेत्र आघात इकाइयों का विकास और नेत्र आघात के पीड़ितों का पुनर्वास शामिल है। विस्तृत परामर्शी आयोग की वेबसाइट यानी www.nhrc.nic.in पर देखी जा सकती है।

7.2.8 दृष्टांत मामले

1.) तमिलनाडु के सेलम के अरोक्या अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की मौत

(केस नंबर: 686/22/31/2019)

आयोग को दिनांक 19 मार्च 2019 को एक शिकायत मिली, जिसमें तमिलनाडु के सलेम में अरोक्या अस्पताल में गर्भवती महिला के इलाज के दौरान चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया गया था। उसे अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए दिनांक 22 जनवरी 2019 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी डिलीवरी की संभावित तारीख दिनांक 7 फरवरी 2019 थी। हालाँकि, डॉक्टर ने दिनांक 22 जनवरी 2019 को उसे अस्पताल में भर्ती कराने पर जोर दिया। पीड़िता ने दिनांक 24 जनवरी 2019 को दोपहर 3:14 बजे 2.800 किलोग्राम वजन के एक बच्चे को जन्म दिया। लगातार रोने और मुंह से सांस लेने में कठिनाई जैसे चिंताजनक लक्षण प्रदर्शित होने से पहले शिशु लगभग छह घंटे तक उसके साथ प्रसव वार्ड में रहा। इसके बाद, बच्चे को नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में स्थानांतरित कर दिया गया और जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई।

आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट सौंपने को कहा। जवाब में, तमिलनाडु के सेलम में स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक ने दिनांक 19 जुलाई 2019 को पत्र के तहत जांच रिपोर्ट भेजी, जिसमें पुष्टि की गई कि शिशु की मौत चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई। इस रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता को उसकी टिप्पणियों के लिए साझा की गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नतीजतन, दिनांक 8 जनवरी 2020 को आयोग ने फाइल बंद कर दी। हालाँकि, आयोग ने दिनांक 18 मार्च 2019 की शिकायत में लगाए गए आरोपों और 19 जुलाई 2019 को सलेम में स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करते हुए मामले पर फिर से विचार किया। रिपोर्ट में सलेम के अरोकिया अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा घोर लापरवाही और चूक का खुलासा हुआ। इस लापरवाही से न केवल नवजात की अप्राकृतिक मौत हुई बल्कि महिला की जान भी खतरे में पड़ गई। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट चेन्नई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और चिकित्सा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं सहित उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि अरोकिया अस्पताल, सेलम और दोषी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई थी या नहीं। इसलिए, आयोग ने पीएचआरए की धारा 18(ए)(i) के तहत तमिलनाडु सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक नोटिस जारी कर पूछा कि आयोग को पीड़िता को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपये) का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को अस्पताल और पैरामेडिकल स्टाफ के संबंध में एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, महिला के बच्चे की क्षति हेतु 3,00,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की स्वीकृति के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। पीड़िता को मुआवजा दिए जाने के बाद आयोग ने दिनांक 12 मई 2022 को मामला बंद कर दिया।

2.) ओडिशा के क्योंझार जिले में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मौत

(केस नंबर: 4082/18/7/2017)

दिनांक 21 अगस्त 2017 को, आयोग को ओडिशा के क्योंझार जिले के एक निवासी से एक शिकायत मिली। उसने शिकायत में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण अपनी पत्नी की मौत का आरोप लगाया, जिसने दिनांक 10 जुलाई 2017 को डीएचएच, क्योंझार में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद, उसे कटक मेडिकल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर ने उसे आईसीयू सुविधाओं हेतु एक निजी नर्सिंग होम में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। नतीजतन, उसे दिनांक 11 जुलाई 2017 को भर्ती कराया गया लेकिन रात के दौरान उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही हुई।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, संबंधित अधिकारियों से मामले पर अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई। राज्य अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर और तथ्यों और परिस्थितियों की गहन समीक्षा के बाद, आयोग ने पाया कि पीड़िता के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया कि वेंटिलेटर की अनुपलब्धता के कारण, मरीज को उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली के बिना एम्बुलेंस में एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक रेफर किया गया था। इसके अलावा, चूंकि कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए मरीज को निजी नर्सिंग होम में रेफर कर दिया गया, जहां अंततः उसकी मौत हो गई। आयोग ने इस मामले को घोर लापरवाही का उदाहरण माना और आगामी कार्रवाई की। पीएचआरए की धारा 18 के तहत ओडिशा सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि आयोग को मृतक पीड़िता के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। हालाँकि, ओडिशा सरकार ने इस फैसले को माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका के प्रारंभिक सुनवाई में ही आयोग की सिफारिशों को बरकरार रखा। दिनांक 04 फरवरी 2022 के एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को शिकायतकर्ता को अनुशंसित मुआवजा राशि जारी करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव ने दिनांक 03 नवम्बर 2022 को एक संचार के माध्यम से मृतका के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000/- रुपये की मुआवजा राशि के वितरण की पुष्टि की। तदनुसार, मामला दिनांक 20 दिसम्बर 2022 को बंद कर दिया गया।

3.) पीतांबर अस्पताल, डाफी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर के लालच और लापरवाही के कारण मौत

(केस नंबर: 28273/24/72/2019)

आयोग को दिनांक 28 सितम्बर 2019 को शिकायतकर्ता के बेटे की मृत्यु के बारे में सूचना मिली, जिसे दिनांक 12 सितम्बर 2019 को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल, मिर्ज़ापुर में भर्ती कराया गया था। हालाँकि, जिला अस्पताल के एक डॉक्टर की सलाह के आधार पर, उनके बेटे को छुट्टी दे दी गई और बाद में उसी सरकारी डॉक्टर द्वारा संचालित एक निजी अस्पताल पीतांबरी नर्सिंग होम में ले जाया गया। दुख की बात है कि दिनांक 15 सितम्बर 2019 को उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ लेकिन वह बच नहीं पाया। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि लापरवाही और लालच के कारण उसके बेटे की किडनी निकाल ली गई, जिससे उसकी असामयिक मृत्यु हो गई।

आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। बाद में एक जांच समिति गठित की गई और उनकी जांच में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए। सबसे पहले, यह निर्धारित किया गया कि इलाज के लिए जिम्मेदार सरकारी डॉक्टरों ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासनात्मक और अपील) नियमावली, 1999 का उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त, यह भी पता चला कि दोषी डॉक्टर ने मरीजों पर अपने निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए दबाव डाला था। इसके अलावा, यह उजागर हुआ कि शिकायतकर्ता के बेटे ने वास्तव में दोषी सरकारी डॉक्टर द्वारा संचालित निजी अस्पताल में इलाज कराया था। दुखद बात यह है कि इलाज के दौरान ही बेटे की मृत्यु हो गई। इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को दोषी सरकारी डॉक्टर के कार्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था।

जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से पीएचआरए की धारा 18 के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि आयोग को शिकायतकर्ता, जो पीड़िता का पिता था, को 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख) के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को दोषी चिकित्सक के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अद्यतन विभागीय जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, दिनांक 17 अक्टूबर 2021 की एक रिपोर्ट में, अपर पुलिस उपायुक्त, सर्कल नोडल अधिकारी, आयुक्तालय वाराणसी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने शुरू में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की थी। नतीजतन, कोई स्थानीय पुलिस जांच नहीं की गई। मामले को निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, यूपी के समक्ष लंबित बताया गया, जिससे आगे की पुलिस कार्रवाई अनावश्यक हो गई।

आयोग ने इस रिपोर्ट पर विधिवत विचार किया। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, जो उनकी ओर से प्रतिक्रिया या कार्रवाई की कमी को दर्शाती है। इसलिए, आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख) के भुगतान की अपनी सिफारिश की पुष्टि की। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, विशेष सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया कि मृतक के परिजन को आर्थिक मुआवजे के रूप में 1,00,000/- रुपये का भुगतान किया गया है। दोषी लोक सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई, और निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, यूपी की अध्यक्षता में जांच समिति ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासनात्मक और अपील) नियम, 1999 के नियम 7 के तहत डॉक्टर के खिलाफ आरोपों को सही पाया। समिति ने बाद में अपनी सिफारिशें अनुमोदन के लिए यूपी/पीएससी, प्रयागराज को भेज दीं, जो लंबित थी। हस्तक्षेप के लिए कोई और आधार नहीं पाए जाने पर, आयोग ने आधिकारिक तौर पर दिनांक 11 जनवरी 2023 को मामला बंद कर दिया।

चित्र 7.1 : एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल दिनांक 12 जुलाई 2022 को ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला का निरीक्षण करते हुए

चित्र 7.2 : एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल दिनांक 27 जुलाई 2022 को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा का निरीक्षण करते हुए

4.) नोएडा में भाई-बहनों के मामले में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ

(केस नंबर: 26068/24/30/2022)

आयोग को दिनांक 25 अगस्त 2022 को सेक्टर-23, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (यूपी) के एक निवासी से एक शिकायत मिली, जिसमें एक भाई और बहन की दुर्दशा के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी, जिन्हें नोएडा के डॉक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने मानसिक रूप से अस्थिर और हिंसक घोषित कर दिया था। आरोप था कि सिटी मजिस्ट्रेट ने सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24 फरवरी 2022 को उन्हें मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बावजूद, शिकायतकर्ता और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने दावा किया कि अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। उन्होंने निवासियों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की, क्योंकि भाई-बहन खुद के लिए और समाज के अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा करते थे। हालाँकि, उनका यह भी मानना था कि देश के नागरिक होने के नाते भाई-बहन अपनी मानसिक बीमारी के लिए उचित इलाज के हकदार हैं।

मामले का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर, पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर और सीएमओ, गौतमबुद्धनगर को नोटिस जारी कर उन्हें एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। ऐसा करने में विफल रहने पर, इन अधिकारियों को आयोग के समक्ष उसके कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। आयोग के निर्देश के अनुसरण में, जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर ने दिनांक 02 सितम्बर 2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया गया कि सीएमओ, गौतमबुद्धनगर की सिफारिश के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम ने दिनांक 27 अगस्त 2022 को उनके आवास पर भाई-बहन की जांच की थी। विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि दोनों भाई-बहन गंभीर मानसिक बीमारियों से पीड़ित थे और उन्हें उत्तर प्रदेश के आगरा में मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई। आयोग को दिनांक 02 सितम्बर 2022 को पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर से कार्रवाई रिपोर्ट भी प्राप्त हुई, जिसमें एसीपी-द्वितीय, गौतमबुद्धनगर की रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि दोनों भाई-बहन को सरकारी एम्बुलेंस का उपयोग करके डॉक्टरों की एक टीम, एक वार्ड-बॉय और एक स्टाफ नर्स के साथ मानसिक अस्पताल, आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया था, जैसा कि दिनांक 02 सितम्बर 2022 को जीडी एंट्री में दर्शाया गया था।

आयोग ने इन रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और पाया कि अधिकारियों ने भाई-बहनों को मानसिक अस्पताल, आगरा में स्थानांतरित करके समन्वित और त्वरित तरीके से कार्य किया था। आयोग ने रिकॉर्ड की समीक्षा की और पाया कि शिकायतकर्ता, जिसे पुलिस रिपोर्ट पर टिप्पणी प्रदान करने का अवसर दिया गया था, ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी। नतीजतन, आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता के पास इस मामले में उठाने के लिए कोई और चिंता नहीं है। इन परिस्थितियों में, रिपोर्टें स्वीकार कर ली गईं और मामला आधिकारिक तौर पर दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को बंद कर दिया गया।

5.) राजस्थान के दौसा में पुलिस द्वारा कथित चिकित्सीय लापरवाही के कारण मरीज की मौत के कारण एफआईआर दर्ज होने पर एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली।

(केस नंबर: 1150/20/11/2022)

आयोग ने राजस्थान के दौसा में एक निजी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या से हुई मौत का संज्ञान लिया, उसके खिलाफ कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसके मरीज की मौत के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। वह दो नाबालिग बच्चों की मां थी। उसके

खिलाफ एफआईआर का पंजीकरण भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था, जो यह प्रावधान करता है कि किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित जांच के बिना किसी डॉक्टर पर आपराधिक लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

मामले में आयोग के निर्देशों के अनुसार प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि मृतका के खिलाफ पुलिस थाने लालसोट में आईपीसी धारा 302 के तहत एफआईआर संख्या 155/2022 दर्ज की गई थी। हालाँकि, मामले की जाँच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड ने मरीज के प्रति उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं पाई। उसे कथित तौर पर कुछ लोगों द्वारा परेशान किया गया था, जिन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। पति की शिकायत पर थाना लालसोट में आईपीसी की धारा 384/388/306 के तहत एफआईआर संख्या 157/2022 दर्ज की गई, जिसके आधार पर सभी नामित आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/149/306/384/388 के तहत दिनांक 29 मई 2022 को आरोप पत्र दाखिल किए गए।

रिपोर्ट पर गौर करने पर आयोग ने पाया कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आरोपी पुलिस अधिकारियों ने मृतका डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती थी तथा जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) 6 एससीसी 1 मामले में माननीय उच्च्तम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के दिनांक 05 अगस्त 2005 के निर्देशों का पालन नहीं किया। इस फैसले को दिनांक 12 नवम्बर 2013 को ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार (2014) 2 एससीसी 1 मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा भी बरकरार रखा गया है। अदालत ने कहा था कि पुलिस को किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा पूर्व जांच के बिना कथित चिकित्सीय लापरवाही के लिए किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए। पुलिस के इस लापरवाहीपूर्ण कृत्य से उसे पीड़ा और मृत्यु की आशंका हुई, जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए, आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 (सी) के तहत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि आयोग को मृतका पीड़ित के निकटतम रिश्तेदार को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

राजस्थान राज्य ने शुरू में इस आधार पर मुआवजा देने का विरोध किया कि, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मृतक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई थी। हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। आयोग ने राज्य द्वारा की गई दलीलों को सही नहीं पाया और मुआवजा देने की अपनी सिफारिश की पुष्टि की। आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने मृतका डॉक्टर के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये की मुआवजा राशि मंजूर की। आयोग ने राजस्थान के डीजीपी को डॉक्टरों द्वारा कथित आपराधिक लापरवाही से निपटने के लिए जैकब मैथ्यू मामले के फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का भी निर्देश दिया, ताकि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। आयोग ने अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से जैकब मैथ्यू मामले के फैसले के अनुपालन पर रिपोर्ट मांगने का भी निर्णय लिया।

6.) गुजरात, भारत में सिलिकोसिस मुआवजा विवाद

(केस नंबर: 1067/6/3/2020)

दिनांक 28 जुलाई 2020 को आयोग को पीड़िता की ओर से दायर शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसके पति 2012 में सिलिकोसिस से पीड़ित थे। उन्हें दिनांक 01 मई 2016 को गुजरात ग्रामीण श्रमिक कल्याण बोर्ड से केवल 1,00,000 रुपये मिले थे। हालाँकि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा केस संख्या 511/6/3/2010 में अनुशंसित 3,00,000 रुपये की शेष राशि उसे प्रदान नहीं की गई थी।

मामले का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को शिकायत को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया। यह निर्देश आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने हेतु जारी किया गया था। निर्देश में शिकायतकर्ता/पीड़ित को शामिल करने और उन्हें की गई कार्रवाई के बारे में सूचित रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया है।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, गांधीनगर स्थित गुजरात सरकार के कौशल विकास और रोजगार विभाग के अवर सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अकिक्स व्यवसाय में स्व-रोज़गार पेशेवरों की सिलिकोसिस से संबंधित मौतों के मामलों में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित एक सुरक्षा योजना का उल्लेख किया गया था। यह योजना, सरकारी संकल्प संख्या lws-142011/715751-M3, दिनांक 04 जनवरी 2014 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, 1 लाख रुपये के भुगतान हेतु अधिकृत करती है। यह भी कहा गया कि इस मामले में यह राशि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को पहले ही वितरित कर दी गई थी।

हालाँकि, आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में 3,00,000 रुपये के बकाया भुगतान का जिक्र नहीं है, जैसा कि पहले सिफारिश की गई थी। पहले के मामले में, आयोग ने 61 पुष्टिकृत सिलिकोसिस से संबंधित मौतों में से प्रत्येक के निकटतम रिश्तेदार के लिए 3,00,000 रुपये (केवल तीन लाख) की अतिरिक्त राशि की संस्तुति की थी। इस राशि में से रु. 1,00,000 नकद प्रदान किए जाने थे, और शेष 2,00,000 रुपये मृत व्यक्ति के निकट परिजन के नाम पर एक सावधि जमा खाते में जमा किए जाने थे, जिससे उस पर मिलने वाले ब्याज से उनके लिए

सम्मानजनक जीवन जीने में मददगार होगा। परिणामस्वरूप, आयोग ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को 3,00,000 रुपये की बकाया राशि के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसका भुगतान सिलिकोसिस पीड़ित मृतक के निकटतम रिश्तेदार को नहीं किया गया था। इस निर्देश का अनुपालन करने में विफलता आयोग को पीएचआरए की धारा 13 के तहत प्रावधानों को लागू करने पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

आयोग की आगे की पूछताछ के जवाब में, गुजरात सरकार के श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग के उप सचिव ने एक पत्र भेजा जिसमें उल्लेख किया गया कि मृतक के निकट परिजन के नाम पर 2 लाख रुपये की एफडी जमा कर दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के आलोक में, मामला आधिकारिक तौर पर दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को बंद कर दिया गया।

7.) राजस्थान के जोधपुर में सिलिकोसिस मुआवजा मामला: आयोग का फैसला

(केस नंबर: 1186/20/19/2020)

दिनांक 28 जुलाई 2020 को आयोग को सिलिकोसिस के कारण व्यक्तियों की दुखद मृत्यु के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मृतक के परिजनों को राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। मामले पर संज्ञान लेते हुए, आयोग ने राजस्थान के जोधपुर में आपदा प्रबंधन और सहायता के जिला मजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट की समीक्षा की। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि पीड़ितों को सिलिकोसिस के लिए पंजीकृत किया गया था, लेकिन तत्काल व्यवस्था के मुद्दे के कारण पीड़ितों या उनके आश्रितों को सिलिकोसिस प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, वर्तमान ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को देखते हुए मौजूदा पॉलिसी के तहत भुगतान संभव नहीं था। वर्तमान में सिलिकोसिस पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को विभागीय स्तर पर केन्द्रीकृत प्रक्रिया से भुगतान किया जा रहा था।

आयोग ने कहा कि सिलिकोसिस प्रमाणपत्र जारी नहीं करने का बहाना मुख्य रूप से एक प्रशासनिक चूक थी। नतीजतन, आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और जोधपुर के जिला मजिस्ट्रेट को चार सप्ताह के भीतर मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप दोनों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

इस निर्देश के प्रत्युत्तर में, राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सतर्कता आयुक्त ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया गया कि मृतक के परिजनों के पक्ष में 5,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि के लिए वित्तीय स्वीकृति जोधपुर के जिला कलेक्टर को जारी की गई थी। परिजनों को भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही थी और 15 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद थी। रिपोर्ट के साथ मंजूरी आदेश की एक प्रति संलग्न थी।

इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 20 जुलाई 2022 को मामले को बंद कर दिया, और राजस्थान के जोधपुर के जिला कलेक्टर को मृतक के परिजनों को स्वीकृत 5 लाख रुपये जल्द से जल्द वितरित करने का निर्देश दिया। भुगतान न होने की स्थिति में जिलाधिकारी को चार सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया।

मामला बंद होने के बाद, आयोग को जिला कलेक्टर, आपदा प्रबंधन और सहायता, जोधपुर, राजस्थान से एक पत्र मिला, जिसमें आयोग की पिछली सिफारिशों की समीक्षा करने हेतु अनुरोध किया गया था क्योंकि इससे एक गलत मिसाल कायम होने की चिंता जताई गई थी। हालाँकि, आयोग ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि एनएचआरसी की सिफारिश के अनुरूप 5 लाख रुपये के मुआवजे की मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है और राज्य सरकार इस बिंदु पर अपना रुख नहीं बदल सकती है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित की मृत्यु सिलिकोसिस के कारण हुई थी, और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में राज्य मशीनरी की विफलता के परिणामस्वरूप पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सबूतों की कमी हुई। आयोग का मानना था कि जब सिलिकोसिस के दस्तावेजी सबूत थे, तो श्रमिकों के स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करने में अपनी विफलता को देखते हुए, राज्य को पीड़ितों के परिवारों को सक्रिय रूप से मुआवजा देना चाहिए। 2010 के उच्चतम न्यायालय के मामले *(पीपुल्स राइट्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर (PRASAR) और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य)* का उल्लेख करते हुए, आयोग ने सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों की रक्षा करने और सिलिका धूल-प्रवण उद्योगों में काम करने की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय को पुष्टि किए गए सिलिकोसिस मामलों की पहचान करने और सिलिकोसिस से संबंधित मौतों के लिए चिकित्सा राहत और मुआवजे की सिफारिश करने में एनएचआरसी की सहायता करने का काम सौंपा गया था। आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए मृतक के परिजनों को 5,00,000 रुपये के भुगतान की अपनी सिफारिश दोहराई, भुगतान का प्रमाण चार सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करना होगा। इसलिए मामला बंद कर दिया गया।

7.3 महिलाओं के अधिकार

7.3.1 एनएचआरसी, महिलाओं के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, अपने काम और कार्यप्रणाली में इस विषयगत क्षेत्र को उचित महत्व देते हुए, अपनी स्थापना से ही उनके अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध है। भारत महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का पक्षकार है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1979 का महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अनुबंध (CEDAW) है। CEDAW के हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्य देश हैं और भारत सरकार द्वारा इसे 1993 में अपनाया गया था। परिणामस्वरूप, सम्मेलन के

प्रावधान भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलायी जा रही नीतियों, कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों में परिलक्षित होते हैं। यह जानकर निराशा होती है कि भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा सम्मेलनों, कानूनों और पहलों के अस्तित्व के बावजूद, जब भारत में महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों पर लक्षित और उपयुक्त कवरेज की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए, आयोग के पास महिलाओं पर एक कोर ग्रुप है।

7.3.2 दिनांक 5 सितम्बर 2022 को 'महिला स्वास्थ्य, जीवन रक्षा और पोषण स्थिति: चुनौतियां और भविष्य की राह' विषय पर महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया था। सत्र की अध्यक्षता एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने की; तथा बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों, महिलाओं पर कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के उद्देश्यों में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तक पहुंच में मुद्दों/चुनौतियों की पहचान करना और भारत में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, अस्तित्व और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़ना शामिल था। उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित सिफारिशें सामने आईं:

- बेहतर कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ की गई पहलों के अभिसरण की आवश्यकता है।
- विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है।
- महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में लड़कियों और उनकी संतानों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
- स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए सरकार द्वारा सीएसआर फंड की उपलब्धता पर भी विचार किया जा सकता है।

7.3.3 आयोग ने दिनांक 11 मार्च 2023 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुंबई के सहयोग से "जेंडर और कामुकता: कलंक भेदभाव और बहिष्करण" पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन उन्नत महिला अध्ययन केंद्र, टीआईएसएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले तीन सम्मेलनों की श्रृंखला में से पहला था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर कलंक और भेदभाव के निहितार्थ को समझना था तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जाति, वर्ग, विकलांगता, जेंडर, लिंग अभिविन्यास, वैवाहिक स्थिति और उम्र के संदर्भ में बहिष्करण प्रथाओं से बचने के लिए रणनीतियों का पता लगाना। मुख्य विषयों में जेंडर और कामुकता के आधार पर हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली रूढ़िवादिता और अधिक हिंसा शामिल है, जिनमें विशेष रूप से दिव्यांगजन भी शामिल हैं। जिन अन्य विषयों पर चर्चा की गई उनमें समलैंगिक महिलाओं, ट्रांसपर्सन और दलित, बहुजन और आदिवासी समुदायों की महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और हिंसा शामिल है, जिसके साथ यह सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता निकाला गया कि इन समुदायों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सके।

7.3.4 दृष्टांत मामले

1.) यूपी के एटा में एक महिला की उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या कर दी और उसके शव को घर के बाहर छोड़ दिया

(केस नंबर: 23231/24/22/2020-डब्ल्यूसी)

आयोग को शिकायत मिली कि दहेज के अभाव में पीड़िता को उसके पति और ससुराल वालों ने मार डाला। आगे यह भी कहा गया कि दिनांक 29 अगस्त 2020 को उन्हें उनकी बेटी का फोन आया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वह उसे उसके ससुराल वालों से बचा लें अन्यथा वे उसे मार डालेंगे। अगले दिन उन्हें फोन आया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गयी है। यह भी कहा गया कि हत्या के बाद उसके शव को उसकी दो साल की बेटी के साथ बंद घर के बाहर छोड़ दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना रिजोर में आईपीसी की धारा 498ए/304बी, 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा अपराध संख्या 149/2020 दर्ज किया गया था, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे थे और मामले में समझौता करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने मामले की उचित जांच और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया।

आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, एएसपी/नोडल अधिकारी, एटा द्वारा क्षेत्राधिकारी की जांच रिपोर्ट संलग्न करते हुए बताया गया कि शिकायत पर

पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आयोग के आगे के निर्देशों अनुपालन में, डीएम, एटा ने बताया कि जिला संचालन समिति, एटा ने "रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015" के खंड 2 के तहत मृतक पीड़िता के बच्चे को 3,00,000/- रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया है तथा लाभार्थियों को भुगतान हेतु जिला संचालन समिति, एटा का आदेश विहित प्राधिकारी, रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष योजना, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

उपरोक्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने आवेदक के साथ-साथ विशेष सचिव/विहित प्राधिकारी, रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक पीड़िता के बच्चों को रु. 3,00,000/- की स्वीकृत राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी करने हेतु निर्देश देते हुए मामले को बंद कर दिया। आयोग ने रिपोर्टों पर विचार किया और तदनुसार दिनांक 29 नवम्बर 2022 को मामला बंद कर दिया।

2.) महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा एसटी लड़कियों का यौन उत्पीड़न और हत्या

(केस नंबर: 308/13/8/2017)

यह मामला पिछले एक दशक में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित सरकारी आश्रम स्कूलों में 500 से अधिक अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संदिग्ध परिस्थिति में कथित मौत से संबंधित है। यह मामला दिनांक 14 जनवरी 2017 को अखबार डीएनए के मुंबई संस्करण में प्रकाशित हुआ था। यह भी बताया गया कि आदिवासी लड़कियाँ स्कूल में यौन शोषण का शिकार भी हुई हैं।

आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी 2017 के माध्यम से उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार की एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें मामले में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपाय प्रस्तुत किए गए थे। यौन शोषण की शिकार हुई आदिवासी लड़की के मामले के संबंध में बताया गया कि पीड़िता एक निजी तौर पर संचालित संस्था से थी। निर्देशानुसार, पुलिस सहित महिला अधिकारियों की एक जिला स्तरीय समिति ने सभी आश्रम विद्यालयों का निरीक्षण किया और छात्राओं से बातचीत की और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिन मामलों में यौन उत्पीड़न की शिकायतें आईं, उनमें आरोपियों के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई की गई। सभी आश्रम विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन घंटी, महिला अधीक्षक की नियुक्ति, परिसर की दीवारों का निर्माण, सुरक्षा गार्ड की तैनाती, किशोर लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था करने, महिला वार्डन द्वारा स्वास्थ्य देखभाल/मासिक चक्र की निगरानी, आदिवासी छात्राओं के मूत्र परीक्षण की नियमित आवधिक जांच और महिला छात्रों को स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, दिनांक 15 फरवरी 2019 के संचार के माध्यम से, उप सचिव, जनजातीय विकास, महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तुत किया कि 502 आश्रम विद्यालयों में से 285 विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और नासिक जिले के 30 सरकारी आश्रम विद्यालयों को केंद्रीय सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के माध्यम से जोड़ने के लिए एक पायलट परियोजना चल रही है। परिसर की दीवारों के निर्माण के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि, 502 स्कूलों में से, 363 स्कूलों में परिसर की दीवारों का निर्माण किया गया है। रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था और भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और यह आश्वासन दिया गया था कि फरवरी 2019 तक सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। इसके बाद, आयोग ने उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करते हुए, दिनांक 17 जून 2019 की अपनी कार्यवाही के तहत, सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार से एक और स्थिति रिपोर्ट मांगी।

उपरोक्त निर्देशों के जवाब में, उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 05 दिसम्बर 2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि, 497 आश्रम स्कूलों में से, 285 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। नासिक पीओ में 26 आदिवासी प्रतिष्ठानों में एक पायलट परियोजना शुरू होने की भी उल्लेख किया गया था। इसमें चार आश्रम विद्यालय, 21 छात्रावास और एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शामिल हैं। 497 में से 417 आश्रम विद्यालयों में परिसर की दीवारों का भी निर्माण किया गया। आश्रम विद्यालयों में विभिन्न रिक्तियों को भरने के संबंध में, यह बताया गया कि 1,392 शिक्षकों के पदों में से 1,036 के लिए कार्यभार ग्रहण आदेश जारी किए गए थे और उनमें से 961 ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आश्रम स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए परियोजना अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं। आयोग ने उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार किया और तत्काल मामला दिनांक 26 अप्रैल 2022 को बंद कर दिया गया।

3.) झारखंड के साहिबगंज में एक नाबालिग लड़की का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या

(केस नंबर: 1285/34/17/202)

आयोग को एक नाबालिग लड़की के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की शिकायत मिली थी। मृत्यु से पहले मृतका के शरीर पर हिंसक यौन हमला किया गया था। मामला दर्ज किया गया लेकिन तब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई।

एसपी साहिबगंज से रिपोर्ट मंगाने पर बताया गया कि पांच आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई, जिसने मौत का

कारण लिगेचर से गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया। हालांकि, विसरा सुरक्षित रख लिया गया है और उपर्युक्त सैम्पल को अधिक जानकारी के लिए मंगा लिया गया था। मृत्यु से पहले मृतका के शरीर पर हिंसक यौन हमला किया गया था। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप सही पाए गए। बाद में, दिनांक 25 फरवरी 2022 की एक अन्य रिपोर्ट में, उक्त एसपी ने दिनांक 07 फरवरी 2022 की एसडीपीओ की रिपोर्ट के साथ पुष्टि की कि पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आरोप पत्र अदालत में दायर किया गया था। आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। पीड़िता के परिजन को मुआवजा देने की अनुशंसा भेज दी गयी है। डीसी, साहेबगंज, झारखंड की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि पीड़िता के निकटतम रिश्तेदार/पिता को 10,00,000/- रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया गया था। आयोग ने दिनांक 12 जुलाई 2022 को मामला बंद कर दिया।

4.) उत्तर प्रदेश के मथुरा में दुखद एसिड हमला: एक की मौत, दो घायल

(केस नंबर: 32558/24/52/2016)

आयोग को दिनांक 22 अगस्त 2016 को एक सूचना मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने दिनांक 14 जुलाई 2016 को पीड़ितों, दो बहनों और उनकी मां पर तेजाब फेंका था। पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं और शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को भी इसी तरह के परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। एसपी (अपराध/नोडल अधिकारी एचआर), जिला मथुरा से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाकी आरोपियों ने अदालत में सरेंडर कर दिया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिया गया था। आयोग ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद, एसपी (अपराध/नोडल अधिकारी एचआर), जिला मथुरा को उच्चतम न्यायालय द्वारा एसिड हमले के मामलों में मुआवजे के संबंध लक्ष्मी मामले (2015) 5 एससीसी 77 में दिए गए में दिशानिर्देशों पर विचार करने और चार सप्ताह के भीतर सीआरपीसी की धारा 357ए के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुआवजा प्राप्त करने में मृतका के परिजनों की सहायता करने के लिए निर्देशित किया था।

जवाब में, एसएसपी (अपराध/नोडल अधिकारी एचआर), जिला मथुरा ने आयोग को सूचित किया था कि मृतका के माता-पिता को 10 लाख रुपये का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है, और 3 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। हालाँकि, केवल दो प्रतिशत एसिड अटैक के कारण एक बहन को कोई मुआवजा नहीं दिया जा सका।

आयोग ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार किया था और नोट किया था कि, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, एसिड हमले की पीड़िता के लिए न्यूनतम मुआवजा 3 लाख रुपये था। इस्तेमाल किया गया शब्द "एसिड अटैक पीड़िता" था, और एसिड अटैक की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं था। इसलिए, केवल दो प्रतिशत चोट के बावजूद, वह मुआवजे की हकदार थी।

आयोग के फिर जारी निर्देशों के अनुपालन में, एसएसपी मथुरा, उत्तर प्रदेश ने सीओ सिटी, मथुरा की रिपोर्ट संलग्नकों के साथ प्रस्तुत की थी, जिसमें पता चला था कि मृतका के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा घायलों के पक्ष में 3,00,000/- रुपये का अतिरिक्त मुआवजा स्वीकृत किया गया था। इन निर्देशों के साथ, मामला दिनांक 30 सितम्बर 2022 को बंद कर दिया गया।

7.4 बाल अधिकार

7.4.1 भारत में बाल संरक्षण, जीवकोपार्जन, विकास, भागीदारी और सशक्तिकरण हेतु बने संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद उनके अधिकारों का भेदभाव और उल्लंघन जारी है। एनएचआरसी बाल अधिकार संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और अपने काम और कार्यप्रणाली में इस विषयगत क्षेत्र को महत्व देता है।

7.4.2 आयोग ने 2-3 मार्च 2023 को बाल यौन शोषण सामग्री (सीसैम) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य हितधारकों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद नीति निर्माताओं, कंटेंट होस्ट सहित मध्यस्थों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों आदि के लिए संस्तुतियां/कार्रवाई योग्य बिंदु तैयार करना था। संगोष्ठी में सरकार, राज्य पुलिस और साइबर सेल इकाइयों, संयुक्त राष्ट्र भारत, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी), संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) आदि अंतरराष्ट्रीय निकायों सहित, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी), डोमेन विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थों ने भाग लिया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने संबोधित किया, जबकि समापन सत्र को श्री राजीव चंद्रशेखर, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता, भारत सरकार ने संबोधित किया। संगोष्ठी में पांच तकनीकी सत्रों के दौरान वक्ताओं द्वारा पैनल चर्चा और विषयगत प्रजेंटेशन, सीसैम प्रकृति, विस्तार और उभरते मुद्दों को समझना; सीसैम से संबंधित कानूनी प्रावधान: अंतराल को पाटना; सीसैम की रोकथाम, पता लगाने और

जांच में प्रौद्योगिकी और मध्यस्थों की भूमिका; सीसैम से लड़ने में अंतरराष्ट्रीय रुझान; और सीसैम का पता लगाने, जांच और निगरानी में प्रवर्तन एजेंसियों और साइबर फोरेंसिक की भूमिका: चुनौतियां और समाधान शामिल थे। संगोष्ठी में हुए विचार-विमर्श के आधार पर, बाल यौन शोषण सामग्री (सीसैम) के उत्पादन, वितरण और उपभोग के संदर्भ में बाल अधिकार संरक्षण के संदर्भ में परामर्शी का मसौदा तैयार किया गया था।

7.4.3 दृष्टांत मामला

1) वाग्जी फलिया, झाबुआ, मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने के पश्चात् बच्चे हुए बीमार।

केस नंबर: 913/12/23/2020

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद प्राथमिक विद्यालय के 29 बच्चे बीमार पड़ गए। उन 29 बच्चों में से कुछ की हालत बहुत गंभीर है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना संबंधित अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण हुई।

आयोग ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाया कि 29 स्कूली बच्चे और पाँच आंगनवाड़ी बच्चे भोजन खाने के बाद बीमार हो गए और उनका इलाज किया गया। प्राथमिक शिक्षा शिक्षक के खिलाफ की गई कार्रवाई/निलंबन से यह तथ्य सामने आया है कि मिड डे मील तैयार करने और परोसने में लापरवाही बरती गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 34 बच्चों की हालत गंभीर हो गई और उनमें से एक लड़की की हालत इतनी नाज़ुक थी कि उसे इलाज के लिए बेहतर संसाधन वाले स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में रेफर किया गया। हालांकि, इस मामले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह सभी 34 पीड़ित बच्चों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है और परिणामस्वरूप, सभी अपने शारीरिक कष्ट और पीड़ा एवं मानसिक पीड़ा और संताप के लिए मुआवजे के हकदार हैं। इसलिए, आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को पीएचआरए की धारा 18 के तहत मध्य प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि आयोग 33 बच्चों (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ की 30 नवंबर 2019 की जांच रिपोर्ट में सूचीबद्ध) में प्रत्येक को 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) के मुआवजे की संस्तुति क्यों न करे। नाज़ुक हालत वाली बच्ची 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) के मुआवजे की हकदार होगी क्योंकि उसकी हालत बिगड़ गई थी और उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया था जहां वह लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही।

जवाब में बताया गया कि दोषी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है और मिड-डे मील की जांच/देखरेख के लिए नया प्रबंधन नियुक्त किया गया है और मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि आयोग द्वारा अनुशंसित मुआवजा राशि सभी 34 पीड़ित बच्चों को दे दी गई है। आयोग ने 14 नवंबर 2022 को केस बंद कर दिया।

7.5 एलजीबीटीक्यूआई के अधिकार

7.5.1 ट्रांसजेंडर समुदाय देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहे समुदायों में से एक है, क्योंकि उन्हें जेंडर, यानी 'पुरुष' या 'महिला' में नहीं गिना जाता हैं। परिणामस्वरुप, उन्हें सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा की कमी, सुविधाओं, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी आदि जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में भारत की संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण एवं उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों हेतु अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 16 (ई) में एक प्रतिनिधि को जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव के ओदे से नीचे का नहीं का अधिकारी न हो, को परिषद के पदेन सदस्य के रूप में रखने का प्रावधान है।

7.5.2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 28 सितंबर 2022 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार के लिए नीति तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। ट्रांसजेंडर परिषद की राष्ट्रीय परिषद की पदेन सदस्य होने के नाते, श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी ने उक्त बैठक में भाग लिया और आयोग की ओर से इस मामले पर अपने इनपुट साझा किए।

7.5.3 एनएचआरसी ने 24 मार्च 2023 को हाइब्रिड मोड में एलजीबीटीआई मुद्दों पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने की।

7.6 वृद्धजनों के अधिकार

7.6.1 वृद्धजनों के सामने आने वाली समस्याओं को स्वीकार करते हुए, एनएचआरसी वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह वृद्धजनों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की नियमित रूप से जांच करता है, मौजूदा विधायी ढांचे और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, उनसे संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें करता है और वृद्धजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संस्तुतियां करने हेतु शोध प्रोजेक्ट सौंपता है। इसके अलावा, आयोग वृद्धजनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए

नियमित रूप से पुस्तिकाएं, मैनुअल और जर्नल आदि प्रकाशित करता है।

7.6.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 01 अप्रैल 2022 को वृद्धजनों पर एक कोर ग्रुप का गठन किया। इससे पहले, वृद्धजनों के मुद्दों को दिव्यांगता पर कोर ग्रुप द्वारा निपटाया जाता था। अब, समय की मांग को देखते हुए और मानव अधिकार के प्रत्येक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उक्त कोर ग्रुप को विभाजित कर दिया गया और दो अलग-अलग कोर ग्रुप, यानी दिव्यांगता पर कोर ग्रुप और वृद्धजनों पर कोर ग्रुप का गठन किया गया।

7.6.3 एनएचआरसी ने 28 फरवरी 2023 को वृद्धजनों पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की, जिसमें उनके स्वास्थ्य के अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक सुरक्षा तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एनएचआरसी के सदस्य डॉ. डी.एम. मुले ने की। बैठक के दौरान सामने आई कुछ संस्तुतियां इस प्रकार हैं:

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये प्रति माह की दर से दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की आवश्यकता है और उनके जीवन स्तर को गरिमामयी बनाए रखने के लिए इसे संशोधित कर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए।

- वृद्धजनों के मानव अधिकारों और वृद्धजनों की डिजिटल साक्षरता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में जेरिएट्रिक मेडिसिन का एक विभाग होना अनिवार्य करना चाहिए।

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवा तक आसान और समान पहुँच मिल सके।

- वृद्धजनों के कल्याण और उनकी बढ़ती हुई उम्र के प्रति सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच बनाया जाना चाहिए।

- वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाली देखभाल के मानक के आकलन के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया जा सकता है और उसे शुरू किया जा सकता है।

- वृद्धजनों के लिए एक अलग वार्ड/जेल बनाने के लिए दिशा-निर्देश या परामर्शी का एक संकलन होना चाहिए क्योंकि अधिक संवेदनशील होने के कारण उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।

7.6.4 दृष्टांत मामला

1.) दिल्ली में वृद्धजनों की देखभाल से इनकार और पीड़िता के साथ घरेलू हिंसा

(केस नंबर: 3962/30/0/2020)

शिकायतकर्ता ने अपने भाई द्वारा अपनी मां की उचित देखभाल न करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता बेटी है जिसने कहा कि उसके भाई ने अपनी बुजुर्ग मां को उसके पास देखभाल के लिए छोड़ दिया और उसकी जरूरतों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने मामले के बारे में पुलिस से संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके भाई द्वारा उसकी मां के साथ घरेलू हिंसा भी की गई थी।

आयोग ने 28 सितंबर 2020 की कार्यवाही के माध्यम से शिकायत की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली को भेजने का निर्देश दिया, ताकि वे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 22 सहित प्रचलित कानून और व्यवहार के अनुसार मामले की जांच कर सकें।

रजिस्ट्री को जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली को पीएचआरए की धारा 13 के तहत सशर्त समन जारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वे अपेक्षित रिपोर्ट के साथ 19 अप्रैल 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित हों। हालांकि, यदि जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली वैध कारण बताए बिना आयोग के आदेश का पालन करने में विफल रहे, तो जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 10 और नियम 12 में निर्धारित गैर-उपस्थिति के परिणामों के अधीन किया जा सकता है और आयोग को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 175/176 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और कानून के तहत अन्य उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विधिवत सुनवाई की गई है और मामला माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और

कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत पंजीकृत किया गया है, और वर्तमान में न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। आयोग ने 26 जुलाई 2022 को मामले को बंद कर दिया।

7.7 दिव्यांगजनों के अधिकार (PwD)

7.7.1 भारत ने दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 को लागू करके दिव्यांगता को चिकित्सा मॉडल से अधिकार-आधारित मॉडल में बदल दिया है। नया अधिनियम अब दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता देता है।

7.7.2 आयोग इस तथ्य में विश्वास करता है कि दिव्यांगजनों को अन्य लोगों की तरह समान आधार पर सभी मानव अधिकारों का आनंद लेना चाहिए। इस दिशा में, आयोग ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें यह नियमित रूप से मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच करता है, मौजूदा विधायी ढाँचे और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, उनसे संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संस्तुतियां करने के लिए शोध प्रोजेक्ट सौंपता है। इसके अलावा, आयोग दिव्यांगता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से पुस्तिकाएँ, मैनुअल, पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने दिव्यांगजनों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियाँ कीं।

7.7.3 एनएचआरसी ने 13 अप्रैल 2022 को डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग के प्रतिनिधि, विभिन्न संस्थानों और सीएसओ के डोमेन विशेषज्ञ/विशेष आमंत्रित और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का एजेंडा "दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों तक पहुंच प्रदान करने में सरकारी संस्थानों/ संगठनों द्वारा अनुपालन" पर चर्चा करना था। एनएचआरसी भवन (मानव अधिकार भवन) में पहुंच से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को देखने के लिए अध्यक्ष द्वारा कोर ग्रुप के सदस्यों और एनएचआरसी अधिकारियों के साथ एक निरीक्षण दौरा भी किया गया। बैठक में कुछ संस्तुतियां की गईं, जो निम्न प्रकार हैं:

- सभी सरकारी विभाग आरपीडी अधिनियम की धारा 45 (2) के अनुपालन में एक कार्य योजना तैयार करें और प्रकाशित करें, जिसमें आरपीडी अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों (अल्पकालिक, मध्यावधि, दीर्घावधि) को निर्दिष्ट किया जाए।

- सभी मंत्रालय/विभाग कार्य योजना का पालन करने, संगठन के भीतर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और आवश्यकतानुसार अपने भवनों, वेबसाइटों, सेवाओं और बुनियादी ढांचे की एक्सेस ऑडिट करवाने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक्सेस समन्वय समिति का गठन करें।

- राज्यों को अपने विकास नियंत्रण नियमों और सामान्य भवन आवश्यकताओं को राष्ट्रीय भवन संहिता 2016/ सुगम्यता के लिए समन्वित दिशा-निर्देशों के साथ तुरंत ध्यान में लाना चाहिए। सभी शहरी स्थानीय निकायों को जिम्मेदार और प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति करने/या पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्व-जांच और स्व-घोषणा के लिए तंत्र बनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जो यह प्रमाणित करेगा कि भवन योजना के चरण यानि भवन की रूपरेखा तैयार करने और उसके बनकर तैयार होने दोनों तक पहुंच के अनुरूप है।

- शहरी परिवहन सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी बसें लो फ्लोर होनी चाहिए और उनमें सुगम्यता संबंधी विशेषताएं होनी चाहिए। राज्यों को अपनी क्रय शक्ति का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि निवेशक कम लागत पर सुगम्य परिवहन समाधान प्रदान करें। बीआरटी मार्गों को छोड़कर, जहां संबंधित बोर्डिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सुनिश्चित है, हाई फ्लोर बसों शहरी स्थानीय परिवहन में सार्वजनिक संचालन से को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाना चाहिए।

- एजेंसियों/ संस्थानों को एनआईसी में बनाए गए विशेष सेल द्वारा तत्काल आधार पर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि सभी वेबसाइट विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो सकें और सभी वेबसाइट वेब सामग्री एक्सेसिबिलिटी दिशा-निर्देशों (WCAG) का अनुपालन करते हुए सुलभ हो सकें। इसी तरह, निजी संस्थानों को भी निर्देशित करने की आवश्यकता है और उनके संचालन के लाइसेंस को एक्सेस जनादेश का पालन करने से जोड़ा जाना चाहिए।

- प्रशिक्षित और संवेदनशील अधिकारियों और दिव्यांगजनों के साथ जिला दिव्यांगता समितियाँ बनाई जा सकती हैं।

- सभी राज्यों को सभी राज्यों/जिलों में विशेष अदालतों और विशेष अभियोजकों का विवरण और इन अदालतों द्वारा हल किए गए मामलों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता है। इन अदालतों को भौतिक रूप से सुलभ करने की आवश्यकता है और उनमें हाइब्रिड मोड में मामले दर्ज करने और सुनवाई करने आदि की सुविधा होनी चाहिए।

- जेलों, भिखारियों के घरों, मानसिक अस्पतालों आदि जैसे हिरासत केंद्रों में पहुंच और उचित आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा आरपीडी अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करने के लिए जेल मैनुअल को अद्यतन किया जाना चाहिए।

- दिव्यांगजनों द्वारा शिकायत करने के लिए एनएचआरसी टोल-फ्री नंबर भी सुलभ बनाया जाना चाहिए।

7.7.4 एनएचआरसी ने 26 जुलाई 2022 को दिव्यांगता पर कोर ग्रुप की एक और बैठक आयोजित की। बैठक का एजेंडा दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी के सदस्य डॉ. डी. एम. मुले ने की। बैठक में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे का एक संक्षिप्त विवरण और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर सामान्य टिप्पणियों को शामिल करते हुए एक प्रजेंटेशन दिया गया। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया, जिससे कई खामियां और सुझाव सामने आए। आयोग ने उक्त नीति पर सिफारिशें करने का फैसला किया और प्रासंगिक दस्तावेज पेश किए। इस बैठक के बाद, आयोग ने 31 अगस्त 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग को "दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा" पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। नीति में आवश्यक संशोधन करने के लिए आयोग की कुछ प्रमुख टिप्पणियाँ/निर्देश निम्नानुसार हैं:

- नीति में 'दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) तक न्याय की पहुंच' पर एक अध्याय शामिल हो सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडी अधिनियम 2017) की धारा-12 और दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) के अनुच्छेद 13 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उचित उपाय शामिल होंगे।

- 'दिव्यांग' और 'भिन्न रूप से सक्षम' जैसे शब्दों की तुलना में अधिक सम्मानजनक शब्द 'विशेष रूप से सक्षम' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए स्थापित कई संस्थाएं और संगठन, जैसे कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम और राज्य दिव्यांग विकास निगम, आदि; इनके नाम/पदनाम में अभी भी 'विकलांग' शब्द शामिल है। इसलिए नीति में ऐसे सभी संस्थानों/संगठनों का नाम बदलने का प्रावधान किया जा सकता है, जिसमें "विकलांग" और "दिव्यांग" शब्दों के स्थान पर "विशेष रूप से सक्षम" शब्द रखा जा सकता है।

- ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, बच्चे और वृद्धजन विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति अधिक असुरक्षित हैं। नीति में प्रावधान किया जा सकता है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऐसे असुरक्षित दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।

- दिव्यांगता प्रमाणन: पैरा 4.5 के नौवें बिन्दु में संदर्भित "यूडीआईडी को सभी सेवा वितरण योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा" शब्द के बाद, "किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नए प्रमाणन के जारी करने पर जोर नहीं दिया जाएगा" शब्द रखा जा सकता है।

- शिक्षा संबंधी अध्याय में राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान (आरएसएसए) और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) द्वारा बनाए गए ड्रॉपआउट दरों का दिव्यांगता के अनुसार विभाजन प्रदान किया जा सकता है। अध्याय में दिव्यांग लड़कियों को स्कूलों में सुलभ शौचालय और अन्य मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक अवसंरचना में संशोधन का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि, विशेष रूप से सक्षम लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी सुनिश्चित की जा सके।

- स्वास्थ्य संबंधी अध्याय में दिव्यांगजनों को प्रीमियम की दर पर स्वास्थ्य बीमा कवर देने तथा दिव्यांगता से मुक्त व्यक्तियों के लिए लागू नियमों और शर्तों के समान अन्य नियम व शर्तें लागू करने का प्रावधान हो सकता है। अध्याय में यह भी प्रावधान हो सकता है कि किसी भी विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता के कारण बीमा कवर देने से मना नहीं किया जाएगा।

- पुनर्वास पेशेवरों, जैसे व्यावसायिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट, विशेष शिक्षक, बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता और मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अध्याय में देश में इन व्यवसायों में पर्याप्त संख्या में सीटों वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने सहित उपायों का प्रावधान किया जा सकता है।

- कौशल विकास और रोजगार संबंधी अध्याय में कार्यस्थलों पर दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल और सुलभ आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संगठनात्मक पदानुक्रम में दिव्यांगजनों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संगठनों में दिव्यांगजनों की गैर-भेदभावपूर्ण पदोन्नति सुनिश्चित करने का प्रावधान हो सकता है। अध्याय में यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र का प्रावधान हो सकता है कि निजी संस्थान आरपीडी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं, जैसे संपर्क अधिकारी की नियुक्ति, उचित आवास का प्रावधान और समान अवसर नीति का कार्यान्वयन।

7.7.5 दृष्टांत मामले

1.) वृद्ध महिला को उस दौरान लकवा मार गया जब उसे उसके दो बेटों और बहुओं द्वारा परेशान किया जा रहा था

(केस नंबर: 245/22/53/2020)

29 जनवरी 2020 को आयोग ने तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की एक निवासी द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे हाल ही में लकवा मार गया था और उसके दो बेटों और बहुओं द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने उसे नुकसान पहुँचाया और घर से बाहर निकाल दिया और उसके पास खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं था। आयोग ने महानिदेशक (अन्वेषण) को टेलीफोन पर तथ्य एकत्र करने, उनकी जाँच करने और मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

03 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट आयोग को सौंपी गई, जिसमें कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता ठीक है और उसके रिश्तेदार उसकी देखभाल कर रहे हैं। यह अनुरोध किया गया कि जिला कलेक्टर/डीएम, वेल्लोर और पुलिस अधीक्षक, वेल्लोर से रिपोर्ट मंगवाई जाए। 18 फरवरी 2020 को, आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर पाया कि, कलेक्टर/डीएम, वेल्लोर और पुलिस अधीक्षक, वेल्लोर, तमिलनाडु से छह सप्ताह के भीतर मामले में रिपोर्ट मांगी।

चूंकि आयोग को निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आयोग ने 15 जुलाई 2021 को जिला कलेक्टर/डीएम, वेल्लोर और पुलिस अधीक्षक, वेल्लोर, तमिलनाडु को छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक भेजा। इसके बाद, चूंकि आयोग को निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आयोग ने 20 मई 2022 को जिला कलेक्टर/डीएम, वेल्लोर और पुलिस अधीक्षक, वेल्लोर, तमिलनाडु को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अनुस्मारक भेजा।

आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, आयोग को 14 जून 2022 को पुलिस अधीक्षक, वेल्लोर, तमिलनाडु से दिनांक 02 जून 2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जांच 07 मई 2020 को की गई थी और शिकायतकर्ता और उसके दोनों बेटों को जांच के लिए बुलाया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बेटे उसकी और उसकी सभी जरूरतों का ख्याल रख रहे थे; हालाँकि, उसकी बेटियाँ उसकी संपत्ति हड़पना चाहती हैं और उसकी एक बेटी शिकायतकर्ता के नाम से अलग-अलग जगहों पर इस प्रकार की शिकायतें भेज रही है और उसका नाम खराब कर रही है। उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है और कोई उसके नाम से झूठी शिकायतें भेज रहा है, और उसने इन झूठी शिकायतों के आधार पर कोई कार्रवाई न करने का अनुरोध किया। साथ ही, बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि उसके दो बेटे उसकी देखभाल कर रहे हैं और वह अपने दोनों बेटों की सुरक्षित देखभाल और संरक्षण में है।

आयोग ने जांच रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया और पाया कि शिकायतकर्ता की उसके बेटों द्वारा उचित देखभाल की जा रही थी और उसने वर्तमान शिकायत उसके द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी। इसलिए आयोग के किसी अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। केस बंद किया जाता है।

2.) मानसिक रूप से मंद लड़की के लिए दिव्यांगता पेंशन

(केस नंबर: 23079/24/14/2020)

शिकायतकर्ता, जो सेना का भूतपूर्व सैनिक है, ने प्रस्तुत किया कि उसकी बेटी 87 प्रतिशत मानसिक रूप से मंद है तथा उसके भरण-पोषण के लिए दिव्यांगता पेंशन की आवश्यकता है। हालांकि, ग्राम छितौनिया की ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव तथा पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के बावजूद बहेड़ी के तहसील अधिकारियों ने उसके पक्ष में शून्य आय प्रमाण-पत्र जारी करने से इनकार कर दिया, जो दिव्यांगता पेंशन के लिए आवश्यक शर्त है। उन्होंने शून्य/कोई आय प्रमाण-पत्र जारी करने तथा दिव्यांग लड़की को दिव्यांगता पेंशन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

10 नवंबर 2020 की कार्यवाही के माध्यम से आयोग ने मामले में संज्ञान लिया तथा शिकायत की एक प्रति डीएम, बरेली, उत्तर प्रदेश को ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित करने का निर्देश दिया, तथा मामले में चार सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी।

डीएम, बरेली, उत्तर प्रदेश को सशर्त समन जारी करने के पश्चात कार्यवाही दिनांक 14 जून 2022 के माध्यम से डीएम, बरेली द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 669/1-1-9-2-14- 11(2)/2011 दिनांक 24 जुलाई

2014 के अन्तर्गत दिये गये निर्देश के अनुसार उन आश्रित परिवार के सदस्यों को शून्य आय प्रमाण पत्र या स्वतंत्र आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, जो परिवार के साथ रहने वाले अविवाहित वयस्क बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता की पुत्री, 21 वर्ष, जो 87 प्रतिशत दिव्यांग है, अविवाहित वयस्क संतान है तथा पूर्णतः अपने पिता (शिकायतकर्ता) पर आश्रित है तथा उनके साथ रहती है, अतः शासन के आदेशानुसार उसे शून्य आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह तथ्य जिला अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2021 को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया गया है। रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता पूर्व सैन्य पेंशनर है, इसलिए बीपीएल श्रेणी में नहीं आ सकता। साथ ही उसकी अविवाहित पुत्री जो 21 वर्ष की है, जो 87 प्रतिशत दिव्यांग है, शिकायतकर्ता के साथ रहने वाली आश्रित पारिवारिक सदस्य है। डीएम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 669/1-1-9-2-14-11(2)/2011 दिनांक 24 जुलाई 2014 के अन्तर्गत उन आश्रित पारिवारिक सदस्यों को शून्य आय प्रमाण पत्र या स्वतंत्र आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता, जो परिवार के साथ रहने वाले अविवाहित वयस्क बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार जिला अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता की पुत्री को शून्य आय प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करना राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुरूप था। शिकायतकर्ता को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राज्य कानूनों के नियामक प्रावधानों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया था, फिर भी उसने उसी वाद के साथ आयोग से संपर्क किया। आयोग को हस्तक्षेप करने का कोई और कारण नहीं मिला, और केस बंद कर दिया गया।

3.) कोविड-19 के कारण दिव्यांगों की भेद्यता और उच्च मृत्यु दर (2106/90/0/2021)

आयोग को 21 मई 2021 को जयपुर, राजस्थान के एक निवासी से शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में दिव्यांगजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप लगाया गया कि दिव्यांगजनों के वायरस से संक्रमित होने की संभावना अधिक है, क्योंकि वे सामाजिक दूरी जैसे उपायों का पालन करने में असमर्थ हैं, उन्हें और भी अधिक गंभीर लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है और अन्य व्यक्तियों की तुलना में कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु दर अधिक है। 18-44 आयु वर्ग के लिए वॉक-इन टीकाकरण की अनुमति नहीं थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि सरकारी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से वैक्सीन अपॉइंटमेंट बुक करना भी अक्सर खराब अनुभव रहता है, इसलिए दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीन के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

आयोग ने 26 जून 2021 को शिकायत का संज्ञान लिया और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आयोग ने 11 नवंबर 2021 की अपनी कार्यवाही के तहत सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को अपेक्षित रिपोर्ट के साथ 27 दिसंबर 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। यदि अपेक्षित रिपोर्ट 22 दिसंबर 2021 को या उससे पहले प्राप्त हो जाती है, तो उपरोक्त अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।

आयोग को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के टीकाकरण प्रभाग के उप निदेशक से दिनांक 08 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है और भारत सरकार हमेशा से वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के टीकाकरण की सुविधा के मुद्दे पर सचेत रही है और मई 2021 में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए घर के नजदीक कोविड टीकाकरण केंद्रों की रणनीति तैयार की गई थी। 29 मार्च 2022 की अपनी कार्यवाही के तहत आयोग ने मामले पर विचार किया, टिप्पणी की और निर्देश दिया कि "रजिस्ट्री को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के टीकाकरण प्रभाग के उप निदेशक से प्राप्त दिनांक 08 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को प्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें चार सप्ताह के भीतर उनकी टिप्पणी/उत्तर की मांग की है। यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो मामले का निर्णय मामले के गुण-दोष और प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा।"

इसके अनुसरण में, आयोग को शिकायतकर्ता से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि शिकायतकर्ता के पास इस मामले में आग्रह करने के लिए और कुछ नहीं है। 03 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने कोविड-19 टीकों की पहली डोज़ के साथ पात्र लाभार्थियों को 100% कवरेज और दूसरी डोज़के साथ देय लाभार्थियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए "हर घर दस्तक अभियान" अभियान शुरू किया। इसलिए, रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जाता है और केस बंद कर दिया जाता है।

4.) असम के तिनसुकिया जिले में एनएससीएन उग्रवादियों के साथ कथित सांठगांठ के आरोप में अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा पीड़ित को यातना

(केस नंबर: 235/3/17/2021-पीएफ)

आयोग को 26 जुलाई 2021 को इंडिजिनस लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 25 जुलाई 2021 को असम के तिनसुकिया जिले के लेडो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जगुन में हिरासत में भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स के जवानों द्वारा एनएससीएन उग्रवादियों के साथ कथित सांठगांठ के आरोप में 45 वर्षीय विशेष रूप से सक्षम आदिवासी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया। मामले में आयोग द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। आयोग के निर्देशों के जवाब में, शिकायतकर्ता ने 03 फरवरी 2022 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि पीड़ित की पत्नी ने अपने पति के लापता होते ही लेडो पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता को कुछ अपराधियों द्वारा यातना, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा था।

असम पुलिस ने आपराधिक केस दर्ज किया और एसटी समुदाय के एक विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति के खिलाफ अपराध से संबंधित सबूत मिले। मार्गेरिटा थाना केस नंबर 300/2021 यू/एस 365/325 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 92(बी) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 और धारा 3(2) (वी) एससी/एसटी अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है।

आयोग ने असम राज्य सरकार को पीड़ित को पांच लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा प्रदान करने और आयोग द्वारा अन्य उचित उपाय करने का निर्देश दिया। 16 दिसंबर 2021 को गुवाहाटी, असम में आयोग की कैंप सिटिंग के दौरान भी इस मामले को उठाया गया, जिसमें एसपी, तिनसुकिया, असम ने 13 दिसंबर 2021 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पीड़ित जो वहां मौजूद था, ने एनएससीएन उग्रवादियों के साथ अपने संबंधों से इनकार किया। एसपी, तिनसुकिया, असम की दिनांक 13 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट की एक प्रति, पीड़ित, रंगन हकुन और शिकायतकर्ता को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए भेजने का निर्देश दिया गया शिकायतकर्ता ने दिनांक 03 फरवरी 2022 के पत्र के माध्यम से टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं।

पुलिस अधीक्षक, तिनसुकिया, असम ने दिनांक 18 नवंबर 2022 के संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि जांच पूरी होने के बाद केस नंबर300/2021 यू/एस 365/325 आईपीसी आर/डब्ल्यू सेक्शन 92(बी) पीएस मार्गेरिटा को अपर्याप्त साक्ष्य के रूप में एफआर संख्या 127/22 दिनांक 13 सितंबर 2022 के माध्यम से एफआर में वापस कर दिया गया था। एसपी, तिनसुकिया, असम की उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करते हुए, कि वर्तमान मामले में केस नंबर300/2021 पीएस मार्गेरिटा की जांच के बाद, अपर्याप्त साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट संख्या 127/22 दिनांक 13 सितंबर 2022 दायर की गई थी, मामले में आयोग के किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और कोई भी प्रश्न उठाने के लिए, शिकायतकर्ता सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष ऐसा करने के लिए स्वतंत्र था। आयोग ने 23 जनवरी 2023 को मामले को बंद कर दिया।

7.8 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार

7.8.1 जलवायु परिवर्तन हमारी पीढ़ी के मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, जो दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों के जीवन, स्वास्थ्य, भोजन और पर्याप्त जीवन स्तर के मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने 2023 में नवीनतम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) में महत्वपूर्ण प्रगति की है, भारत के उल्लेखनीय प्रदर्शन का श्रेय इसकी महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों और प्रतिबद्धताओं को जाता है, जैसे कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प और 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य। एनएचआरसी ने भी हमेशा मानव अधिकारों को बनाए रखने और देश के भीतर स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

7.8.2 एनएचआरसी ने केंद्र और राज्य सरकारों को 'मानव अधिकारों पर पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण के प्रभावों को रोकने, कम और न्यून करने' के लिए एक परामर्शी जारी की। परामर्शी में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें शामिल हैं, प्रदूषण फैलाने वालों और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना; वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम और कम करना; विभिन्न पर्यावरण कानूनों द्वारा अनिवार्य मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्तावों पर सूचना, पारदर्शी और गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई करना; पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण को रोकने, कम और न्यून करने तथा स्थानीय निकायों को सुदृढ बनाने और क्षमता निर्माण के लिए लागत प्रभावी अभिनव उपायों के विकास, प्रचार, प्रसार और प्रतिकृति के लिए आवश्यक उपाय। विस्तृत परामर्शी आयोग की वेबसाइट यानी www.nhrc.nic.in पर देखी जा सकती है।

7.8.3 पर्यावरणविद् श्री सुंदरम वर्मा ने जल-बचत विधि "ड्राईलैंड एग्रोफॉरेस्ट्री" के नाम से जाना जाता है, शुरू की है, जो एक पेड़ को उसके पूरे जीवनकाल में सिर्फ एक लीटर पानी का उपयोग करके विकसित करने में सक्षम बनाती है। इस अभिनव दृष्टिकोण में देश के एक बड़े हिस्से में शुष्क और बंजर भू-भाग पर पुन: वनरोपण करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए,

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने इस तकनीक को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और प्रसारित करने की संस्तुति की। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आयोग ने सभी राज्यों को इस पद्धति के विवरण से संबंधित प्रजेंटेशन, जिसमें उनसे मानसून के मौसम के दौरान कम से कम 20 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली पायलट परियोजनाएँ शुरू करने का आग्रह किया गया।

7.8.4 दृष्टांत मामले

1.) हिंडोलाखाल में तटबंध ढहने से तीन लोगों की मौत

(केस नंबर: 677/35/11/2020)

आयोग को 07 अगस्त 2020 को देहरादून, उत्तराखंड के निवासी से एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत 31 जुलाई 2020 को हुई एक दुखद घटना से संबंधित थी। ऋषिकेश-गंगोत्री राजमार्ग पर हिंडोलाखाल में ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण स्थल पर एक तटबंध एक घर पर गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की जान चली गई। घर के मालिक को चोटें आईं, और पीड़ितों में उसका 8 वर्षीय बेटा, उसकी 25 वर्षीय बेटी और उसकी 18 वर्षीय भतीजी शामिल थीं। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और निर्माण कंपनी के समक्ष तटबंध के खतरे के बारे में चिंता जताई थी, लेकिन कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए। आयोग ने 25 अगस्त 2020 को मामले का संज्ञान लिया। जवाब में, उन्होंने तुरंत नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष और उत्तराखंड के टिहरी-गढ़वाल के जिला मजिस्ट्रेट को चार सप्ताह के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

21 सितंबर 2020 को आयोग को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के सहायक अधिशासी अभियंता से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में एनएच-94 के ऋषिकेश-धरसौ खंड पर होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं के बारे में बात की गई, जो मुख्य रूप से भूस्खलन और भारी वर्षा के कारण हुई थीं। आयोग ने उत्तराखंड की कमजोर भूविज्ञान और स्थलाकृति पर बात की, जिसने इस क्षेत्र को भूस्खलन, चट्टान गिरने, ढलान टूटने, भूमि धंसने, अचानक बाढ़, बादल फटने और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रवण बना दिया। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, कंसल्टेंसी फर्मों ने भूस्खलन-प्रवण स्थानों की पहचान की थी, जिन्हें बाद में चारधाम कार्यक्रम के तहत मरम्मत के लिए लक्षित किया गया था। यह भी पता चला कि चारधाम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नए भूस्खलन हुए थे। इसके जवाब में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की, जिसमें स्वयं मंत्रालय, राज्य पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण शामिल थे। इस समिति को उत्तराखंड में भूस्खलन को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा, हिमालय के कमज़ोर भूविज्ञान को देखते हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को, चारधाम कार्यक्रम के तहत विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों की भूस्खलन संवेदनशीलता का मानचित्रण करने के लिए लगाया गया था, जिसमें एनएच-94 का ऋषिकेश-धरासू खंड भी शामिल है।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसी आपदाएँ राष्ट्रीय राजमार्गों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि टेक्टोनिक गतिविधि, लिथोलॉजिकल विविधताओं, संरचनात्मक कारकों, पारिस्थितिक स्थितियों, स्थलाकृति और बदलते परिदृश्यों के कारण राज्यव्यापी मुद्दा थीं। यह भी उल्लेख किया गया कि भारी मूसलाधार बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावित परिवारों को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मुआवजा मिला। इसके अलावा, चारधाम कार्यक्रम में शामिल ईपीसी ठेकेदारों ने ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए पूरे परियोजना खंड के लिए बीमा कवरेज प्राप्त किया था। इन बीमा दावों का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करना था।

20 सितंबर 2021 की कार्यवाही में आयोग ने मामले पर विचार किया और रजिस्ट्री को सहायक कार्यकारी अभियंता, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता के साथ साझा करने का निर्देश दिया, जिसमें चार सप्ताह के भीतर उनकी टिप्पणियों और उत्तर देने का अनुरोध किया गया। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो मामले का निर्धारण उसके गुण-दोष और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

इसके बाद, आयोग को शिकायतकर्ता से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। यह मान लिया गया कि शिकायतकर्ता के पास मामले में अन्य कोई इनपुट नहीं था। उत्तराखंड में ऐसी आपदाओं की व्यापक प्रकृति और मौजूद मुआवज़ा प्रक्रिया पर ज़ोर देने वाली व्यापक रिपोर्ट को देखते हुए, आयोग ने 17 अक्टूबर 2022 को केस बंद कर दिया।

2.) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रदूषण मानदंडों का पालन न करने वाली पेपर मिल द्वारा प्रदूषण

(केस नंबर: 27652/24/64/2022)

शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि टपरी नागल रोड पर स्थित वन स्टार पेपर मिल क्षेत्र को प्रदूषित कर रही थी और सहारनपुर जिले के निवासियों के जीवन के सर्वनाश का कारक थी। आरोप लगाया गया था कि सेल मिल द्वारा प्रदूषण मानदंडों और विनियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, इसमें जीर्ण-शीर्ण स्थिति वाली मशीनरी और भवन का उपयोग भी किया जा रहा था, जो कि जोखिमभरा था और श्रमिकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रहा था। आयोग ने मामले में संज्ञान लिया और उक्त जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी।

आयोग ने प्राप्त रिपोर्ट में पाया कि मेसर्स स्टार पेपर्स मिल्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और पर्यावरण मुआवजे के संबंध में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के तहत कार्यवाही की संस्तुति की गई थी। यूपीपीसीबी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि लुगदी और कागज उद्योगों में रंग, जल चार्टर और प्रदूषण रोकथाम की मात्रा सभी अनुमेय सीमा से कहीं अधिक पाई गई। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्टार पेपर मिल, टपरी नगर रोड, सहारनपुर, प्रदूषण में लिप्त है, जिससे क्षेत्र के निवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

आयोग ने पाया कि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चला है कि मिल द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने तक मेसर्स स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, सहारनपुर के खिलाफ 03 अगस्त 2022 से प्रतिदिन 30,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देने की संस्तुति की गई थी। 24 अगस्त 2022, 17 सितंबर 2022, 09 नवंबर 2022 और 19 नवंबर 2022 को किए गए बाद के निरीक्षणों से पता चला कि रंग, पानी, हवा, लुगदी और कागज की मात्रा अनुमेय सीमा के भीतर पाई गई। दस दिन बंद होने के बाद मिल शुरू होने पर प्रदूषण में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर की दिनांक 06 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट से पता चला कि मिल द्वारा छोड़े गए हानिकारक प्रदूषकों और आस-पास के निवासियों की बीमारी के बीच कोई संबंध नहीं है। आयोग ने 01 जून 2023 को मामले को बंद कर दिया।

3.) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्वच्छ पेयजल सुविधाओं का अभाव

(केस नंबर: 3521/24/55/2022)

एक गैर सरकारी संगठन - भारतीय विकास संस्थान - की ओर से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के आदिवासी इलाकों और गांवों को 75 साल पहले आजादी मिलने के बावजूद अभी तक स्वच्छ पेयजल सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही, कहा गया है कि इन इलाकों के निवासियों को नदियों से अस्वच्छ पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिला प्रशासन के समक्ष मामला उठाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायत को हल करने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, मामले में आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

आयोग ने 07 फरवरी 2022 की अपनी कार्यवाही में जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश और जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश को वर्तमान मामले में अपेक्षित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग को तत्काल मामले में उनके द्वारा लिए गए संज्ञान की तारीख, यदि कोई हो, के बारे में आयोग को सूचित करने के लिए कहा गया था।

उत्तर प्रदेश जल बोर्ड (ग्रामीण), मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश और जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश द्वारा 30 मार्च 2022 के पत्र के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के गांवों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत अन्य गांवों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का काम प्रगति पर है। हालांकि, आयोग के निर्देश और काफी समय और अवसर बीत जाने के बाद भी जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। उत्तर प्रदेश जल बोर्ड (ग्रामीण), मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के अधिशासी अभियंता की 28 मार्च 2022 की रिपोर्ट शिकायतकर्ता को टिप्पणी के लिए प्रेषित की गई। अपेक्षित रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी थी, जिसके प्रस्तुत न किए जाने पर आयोग को धारा 13 पीएचआरए के तहत बलपूर्वक प्रक्रिया जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, आयोग के निर्देश के बावजूद और काफी समय और अवसर बीत जाने के बाद भी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे। आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र (यूपी) को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत पेश होने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया।

डीएम, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पेयजल के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण दिया गया और आरोपों से इनकार किया गया। आयोग ने 20 दिसंबर 2022 को मामले को बंद कर दिया।

4.) ऑयल इंडिया लिमिटेड, भगजन गांव, तिनसुकिया जिला, असम से तेल का रिसाव और विस्फोट के बाद किए गए उपाय

(केस नंबर: 93/3/17/2020)

आयोग को शिकायतकर्ता, यूथ फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से दिनांक 12 जून 2020 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड, भगजन गांव, तिनसुकिया जिला, असम द्वारा किए गए तेल रिसाव, जो मानव, पशु, जैव-विविधता, वनस्पतियों और जीवों आदि के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था, के प्रभाव पर तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

आयोग ने दिनांक 07 जुलाई 2020 की कार्यवाही के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक अनुस्मारक जारी किया गया था। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में,

असम सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी है। रिपोर्ट में भगजन ऑयल फील्ड की पृष्ठभूमि, विस्फोट की घटना का संक्षिप्त विवरण, विस्फोट के बाद किए गए उपाय, रोकथाम के उपाय, कुएं को ढंकने की योजना, कुएं की चबूतरे से सभी उपकरणों और मलबे को हटाने, बाढ़ के पानी की आपूर्ति, राहत और पुनर्वास, क्षति का आकलन, पर्यावरण की देखभाल, घटना के बाद के प्रयास, वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, शोर के स्तर और गैस की उपस्थिति आदि की नियमित निगरानी के बारे में भी विवरण शामिल थे। आयोग ने शिकायतकर्ता को छह सप्ताह के भीतर उनकी टिप्पणियों के लिए रिपोर्ट की प्रति भेजने का निर्देश दिया।

5.) ओडिशा में हीराकुंड बांध परियोजना पुनर्वास में चुनौतियां।

(केस नंबर: 1846/18/13/2017)

आयोग को ओडिशा में हीराकुंड बांध परियोजना के निर्माण के कारण विस्थापित किए गए 26,561 परिवारों के पुनर्वास के संबंध में 06 मार्च 2017 को एक शिकायत मिली। इन परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला था, और शिकायत में विस्थापित पीड़ितों के सामने आने वाली कठिनाइयों का खुलासा किया गया था।

आयोग ने शिकायत का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देश के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग के अवर सचिव ने चार प्रभावित जिलों: सरगुजा, रायगढ़, जशपुर और सूरजपुर में किए गए कार्यों का विवरण देते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल टावरों, पेयजल सुविधाओं और सड़क अवसंरचना की उपलब्धता के बारे में जानकारी शामिल थी। आयोग के आगे के निर्देशों के जवाब में, ओडिशा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव ने दावेदारों को वासभूमि भूमि के आवंटन, अधिग्रहित भूमि को छोड़ने की चुनौती, अनुग्रह मुआवजा भुगतान, डीसी पट्टा धारकों, सीमांकन अनुरोधों और जलाशय के पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों सहित विभिन्न पहलुओं का समाधान करते हुए जवाब प्रस्तुत किया।

आयोग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकारों की रिपोर्टों की समीक्षा की और पाया कि प्रभावित जिलों में सड़कों, मोबाइल टावरों, बैंकिंग सेवाओं और पेयजल सुविधाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए पर्याप्त निर्माण कार्य किए गए थे। यह भी देखा गया कि ओडिशा सरकार ने विस्थापित परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि, जल संसाधन विभाग ने जलाशय के पानी के प्रदूषण और सर्वेक्षण रहित गांवों के सर्वेक्षण के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए, आयोग ने जलाशय के पानी को औद्योगिक अपशिष्टों से बचाने के प्रयासों पर अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट और सर्वेक्षण रहित गांवों के सर्वेक्षण और निपटान प्रक्रिया पर एक अद्यतन रिपोर्ट मांगी।

2 जून 2022 की अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, शिकायतकर्ता को एक प्रति प्रदान की गई और चार सप्ताह के भीतर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने पिछली रिपोर्ट में कथित अपर्याप्तताओं के कारण एक विशेष प्रतिवेदक की नियुक्ति का अनुरोध करते हुए जवाब दिया। जवाब में, आयोग ने शिकायतकर्ता की टिप्पणियों को ओडिशा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव को कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश के साथ प्रेषित कर दिया। शिकायतकर्ता को सलाह दी गई कि यदि उनकी शिकायतों का समाधान संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है तो वे कानूनी सहारा लें। इसके बाद, केस बंद कर दिया गया।

7.9 भोजन और पोषण का अधिकार

7.9.1 एनएचआरसी भारत के नागरिकों के लिए पौष्टिक भोजन के अधिकार की रक्षा के लिए अपने अभियान में प्रतिबद्ध है। भोजन और पोषण के अधिकार पर इसका कोर एडवाइजरी ग्रुप सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करने के बाद इस क्षेत्र में मुद्दों, चुनौतियों और समाधानों को संबोधित करता है। इसके अलावा, आयोग खाद्य सुरक्षा और भूखमरी उन्मूलन से संबंधित कानून पर भी नजर रखता है। एनएचआरसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रमुख योजनाओं, अर्थात् पीडीएस, आईसीडीएस और एमडीएमएस के उचित कार्यान्वयन पर जोर दे रहा है। यह अपने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों के माध्यम से जमीनी हकीकत का पता करता है, जो क्षेत्र का दौरा करते हैं और राज्यों में इन योजनाओं के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

7.9.2 दृष्टांत मामला

1.) बिहार में कोविड-19 महामारी के दौरान मिड-डे मील योजना में व्यवधान

(केस नंबर: 1708/4/5/2020-सीएल)

आयोग ने 06 जून 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था "स्कूल बंद, मिड-डे मील नहीं, स्कूल बंद होने पर बिहार के गांव में बच्चे कबाड़ बेचने के काम पर वापस

लौटे"। आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव और बिहार सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा।

प्रस्तुत रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और विभिन्न सेवाओं के निलंबन के कारण, केंद्र और राज्य सरकारों ने कम से कम 31 जुलाई 2020 तक स्कूलों को बंद रखा है। स्कूलों के बंद होने से मिड-डे मील भोजन योजना रुक गई, जिससे गरीब बच्चे, जो पहले इस भोजन पर निर्भर थे, जीविका कमाने के लिए छोटे-मोटे काम करने को मजबूर हो गए। बिहार के भागलपुर जिले में, रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि बच्चे, जो पहले रोटी, चावल, सब्ज़ियाँ, दाल, सोया और अंडे से बने मिड-डे मील के लाभार्थी थे, अब भुखमरी का सामना कर रहे हैं और अनुपयुक्त श्रम करने के लिए मजबूर हैं। इन क्षेत्रों के निवासी, जो गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से हैं, वे कचरा संग्रह, भीख माँगने या ठेकेदारों के लिए मज़दूरी करने का सहारा लेते हैं, और सुविधाओं के अभाव में उनके बच्चे कुपोषित और वंचित रह जाते हैं।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मिड-डे मील योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्ट प्रदान की। जबकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पात्र बच्चों को भोजन, सूखा राशन और खाना पकाने की लागत वितरित की, अन्य ने उनके बैंक खातों में नकद राशि हस्तांतरित की।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अवर सचिव ने 12 अप्रैल 2021 को लिखे पत्र में पुष्टि की कि मिड-डे मील योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित पहल है जो सरकारी सहायता प्राप्त और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, जिनको केन्द्रीय सहायता मिलती है, में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को कवर करती है। बच्चों को पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपने-अपने क्षेत्रों में मिड-डे मील योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट भेजी। आयोग ने प्रस्तुत विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की और राज्य सरकारों द्वारा वंचित बच्चों को मिड-डे मील का शीघ्र और कुशल वितरण सुनिश्चित करने के सर्वोपरि महत्व पर ध्यान दिया। बच्चों को बिना किसी वंचितता के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के अधिकार की रक्षा के लिए यह आश्वासन आवश्यक था। इन विचारों के आलोक में, आयोग ने मामले को पूर्ण माना और परिणामस्वरूप 27 मार्च 2023 को मामले को बंद कर दिया।

7.10 शिक्षा का अधिकार

7.10.1 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जो 01 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। इसके तहत सभी निजी स्कूलों को वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यह सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को संचालित करने से भी रोकता है और प्रवेश के लिए कोई दान या कैपिटेशन शुल्क और बच्चे या माता-पिता का कोई साक्षात्कार नहीं लेने का प्रावधान करता है।

7.10.2 साक्षरता दर और स्कूली शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण लाभ के बावजूद, राज्यों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अभी भी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं के संबंध में, जैसे कि स्कूलों के लिए उचित कक्षाएँ, शौचालय और चारदीवारी, पीने के पानी की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों और संघर्ष क्षेत्रों के कई बच्चों के लिए आरटीई भ्रामक है। इसके अलावा, सभी राज्यों में आरटीई के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आवश्यक बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं हैं। इसलिए, पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का निवेश करने के अलावा, इस अधिकार को सार्थक और पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। आयोग भारत में बच्चों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों से चिंतित है।

7.10.3 दृष्टांत मामले

1.) कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा असमानताओं पर आयोग की प्रतिक्रिया

(केस नंबर: 1370/90/0/2020)

आयोग को 22 सितंबर 2020 की एक शिकायत मिली, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों की शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। शिकायत में शिक्षा के अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त सरकारी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया था, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव ने मामले में अपेक्षित रिपोर्ट सौंपी। उल्लेखनीय है कि आयोग ने महामारी के दौरान शिक्षा से संबंधित विभिन्न उपाय किए। इसने महामारी से उत्पन्न असाधारण चुनौतियों को स्वीकार किया और इस अवधि के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सुरक्षा के लिए परामर्शी जारी की। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 'स्कूली बच्चों पर वर्चुअल शिक्षा का प्रभाव' शीर्षक पर एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें वर्चुअल शिक्षा के निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों, अधिकारियों, नागरिक समाज के सदस्यों और हितधारकों को शामिल किया गया। आयोग ने इन पहलों की संस्तुतियों और कार्यवाही को शिक्षा, महिला और बाल विकास, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, एनसीईआरटी और नीति आयोग सहित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ साझा किया। इन संस्थाओं को संस्तुतियों को लागू करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करने का काम सौंपा गया था।

जवाब में, शिक्षा मंत्रालय ने आयोग की संस्तुतियों का उल्लेख करते हुए एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की। गहन समीक्षा के बाद, आयोग ने 10 जून 2021 को मामले की फाइल को अपने अनुसंधान प्रभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य बच्चों पर आयोग के कोर ग्रुप के तत्वाधान में बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट का विश्लेषण करना और परामर्शी दिशा- निर्देश तैयार करना था।

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की जांच करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत सरकार ने उसकी संस्तुतियों के आधार पर कई उपाय किए गए, जिनका लक्ष्य व्यापक बाल विकास और डिजिटल अंतराल को पाटना है। ये उपाय तकनीकी प्रगति के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों और संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। अहम बात यह है कि आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का अधिकार, जो अब अनुच्छेद 21ए के तहत एक मौलिक अधिकार है, जीवन के अधिकार से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, तकनीकी प्रगति से प्रेरित होकर, संपूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व सर्वोपरि है।

यूडीएचआर का हवाला देते हुए आयोग ने मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और ज्ञान व कौशल को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख किया। यूडीएचआर के निर्माण और अनुसमर्थन में भारत की भागीदारी को देखते हुए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 26 का कार्यान्वयन अनिवार्य था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकारों के साथ जुड़े संवैधानिक अधिकारों को सभी के लिए शिक्षा की गारंटी देनी चाहिए। तमिलनाडु राज्य बनाम के श्यामसुंदर (2011) 8 एससीसी 737 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का हवाला दिया गया, जिसमें जोर दिया गया कि शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए) संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अनुरूप होना चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में समानता सुनिश्चित हो सके। इसमें न केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बल्कि सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी शामिल है।

इन विचारों से प्रेरित होकर, आयोग ने एक समान शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया, जो असमानताओं और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणों को समाप्त करती है, तथा एक समतावादी समाज को बढ़ावा देती है। ऐसा दृष्टिकोण मूल्यों, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, तथा जाति, संस्कृति, धर्म और जेंडर जैसे कारकों की परवाह किए बिना संवैधानिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देगा। परिणामस्वरूप, आयोग ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और सलाहों के दिशा-निर्देशों को लागू करने का आग्रह किया। इन उपायों का उद्देश्य पूरे देश में विद्यार्थियों के लिए सुसंगत, उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे सामाजिक अंतर को कम किया जा सके। केंद्र सरकार को कोविड-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तैयार रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

अंत में, आयोग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों द्वारा किए गए सक्रिय उपायों की संस्तुति की। ये उपाय डिजिटल और भौतिक दोनों स्वरूपों में शिक्षा की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। डिजिटल विभाजन को खत्म करने के लिए, वंचित और हाशिए पर पड़े बच्चों को शामिल करते हुए, एक प्रबुद्ध समाज को बढ़ावा देने हेतु सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता थी। इन टिप्पणियों के साथ, 27 मार्च 2023 को मामले का निपटान किया जा चुका है।

2.) कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न करना और विद्यार्थियों को परेशान करना

केस नंबर: 966/25/8/2020

शिकायतकर्ता/पीड़ित सरोज मोहन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिग्री डिवीजन, गुप्तीपारा, हुगली, पश्चिम बंगाल के छात्र हैं और वे अपने संस्थान में व्याप्त दयनीय स्थिति को संज्ञान में लाना चाहते थे। कॉलेज प्रबंधन उनसे फीस ले रहा था, लेकिन पिछले छह महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहा था, जिसके कारण शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं नहीं दे रहे हैं। वे सभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रभारी निरीक्षक से कई बार संपर्क कर चुके हैं। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का वादा किया, लेकिन अभी तक उनकी बातों पर अमल नहीं हुआ है। उन्होंने हुगली के जिला मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी कोई सार्थक समाधान नहीं मिला। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति से भी फोन पर संपर्क किया। उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया,

लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस परेशानी को और बढ़ाते हुए उन्होंने धमकी भरा नोटिस भेजा कि वे अपनी फीस जमा करें, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा।

शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। उसी के अनुसरण में, हुगली के पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 27 जनवरी 2021 के माध्यम से हुगली ग्रामीण जिले के डिप्टी एसपी (अपराध) की रिपोर्ट अग्रेषित की। रिपोर्ट में कहा गया कि जांच के दौरान पता चला कि पिछले आठ महीनों से प्रबंधन और संकायों के बीच गलतफहमी थी, जो महामारी की स्थिति के दौरान और बढ़ गई। उस समय, संकायों को संस्थान से अपना वेतन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्या का समाधान करते हुए उन्हें वेतन का भुगतान किया गया। उसी के अनुसरण में, आयोग को शिकायतकर्ताओं से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं। आयोग द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने लायक कुछ भी नहीं था। इसलिए, रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जाता है और केस बंद किया जाता है।

3.) मंत्रालय द्वारा न्यूनतम अंक मानदंड में छूट से सेवारत शिक्षकों की शिकायत का समाधान, जिससे आरटीई अधिनियम के तहत नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हुई

(केस नंबर: 1576/90/0/2020)

आयोग को 25 अगस्त 2020 को एक सूचना मिली, जिसमें कहा गया था कि निर्दिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) द्वारा मार्क्स सर्टिफिकेट (डीएमसी) जारी करने के मानदंडों में बदलाव का आरोप लगाया गया था। इस बदलाव ने शिकायतकर्ताओं और अन्य शिक्षकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, परिणामस्वरूप शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कारण अप्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, संबंधित अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एनआईओएस ने कहा कि न्यूनतम पात्रता मानदंड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित किए गए थे और डीएलएड कार्यक्रम पूरा करने से पहले आवश्यक अंक प्राप्त करने के अधीन अनंतिम प्रवेश के लिए छूट प्रदान की गई थी। स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए मानदंडों में छूट देने का मुद्दा शिक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाया गया।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि 2017 में जब उन्होंने डी.एल.एड कार्यक्रम में दाखिला लिया था, तब पात्रता मानदंड अलग थे। एनआईओएस ने स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए कक्षा 12वीं में 50% अंकों की आवश्यकता को निर्दिष्ट किए बिना डिप्लोमा शुरू किया था। आयोग ने अधिकारियों को पात्रता मानदंडों के संबंध में हो रहे विरोधाभास को स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

शिक्षा मंत्रालय ने मामले की समीक्षा करने के बाद, समय-सीमा के भीतर डी.एल.एड कार्यक्रम पूरा करने वाले सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम अंक मानदंड में छूट देने का फैसला किया। एनआईओएस को तदनुसार अपने मान्यता आदेश में संशोधन करने का निर्देश दिया गया। आयोग ने आरटीई अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और आजीविका और जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाने में मंत्रालय के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई छूट ने नौकरी खोने का सामना कर रहे लगभग दो लाख सेवारत शिक्षकों के मुद्दे को हल कर दिया। आयोग शिकायत को दूर करने में मंत्रालय और एनसीटीई द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है, और मामले में आगे हस्तक्षेप को अनावश्यक मानता है। केस 12 अगस्त 2022 को बंद कर दिया गया।

4.) गाजियाबाद के डासना स्थित आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा दो वर्षों तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने तथा पूरी फीस वसूली के आरोपों पर आयोग का जवाब।

(केस नंबर: 28810/24/31/2021)

आयोग को 15 अगस्त 2021 को शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना में स्थित आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले दो वर्षों से केवल ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित कर रहा था। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि इस ऑनलाइन शिक्षण प्रारूप ने विद्यार्थियों की प्रभावी ढंग से अध्ययन करने की क्षमता को प्रभावित किया है। शिकायत में यह भी कहा गया कि कॉलेज ट्यूशन फीस के साथ-साथ छात्रावास शुल्क की पूरी राशि वसूल रहा था, जिसे शिकायतकर्ता के अनुसार नहीं लिया जाना चाहिए था। शिकायतकर्ता की याचिका इस धारणा पर केंद्रित थी कि कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे वित्तीय तनाव ने कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित किया है। इसके मद्देनजर, शिकायतकर्ता ने भुगतान की गई फीस की आंशिक वापसी की मांग की।

मामले की समीक्षा करने पर, आयोग ने इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन माना, जो शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों द्वारा किए गए शोषण को दर्शाता है। आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से मांगी गई रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी गई। एटीआर में, यह विस्तृत रूप से बताया गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए, संस्थान अपने कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देने में कार्यरत रहा है। इसके अलावा, इसने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय दोनों के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया, साथ ही, स्थापित दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया। इसके अलावा, जिन विद्यार्थियों ने छात्रावास की सुविधा का उपयोग किया था, उन्हें वर्ष 2019-

20 के लिए 10,000/- रुपये और वर्ष 2020-21 के लिए 22,500/- रुपये तुरंत वापस कर दिए गए। संस्थान ने महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण वित्तीय परिस्थितियों को पहचानते हुए छात्रों को किश्तों में अपनी फीस का भुगतान करने की अनुमति दी।

इस तथ्य के मद्देनजर कि शिकायत में उल्लिखित आरोपों को सौंपे गए साक्ष्यों से पुष्ट नहीं किया गया था, आयोग ने 14 जुलाई 2022 को शिकायत को बंद कर दिया। हालांकि, शिकायतकर्ता को सलाह दी गई कि यदि वे अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो वे उचित कानूनी चैनलों, जैसे कि अदालत या न्यायाधिकरण के माध्यम से मामले में आगे कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।

7.11 बंधुआ, बाल और अन्य श्रमिकों के अधिकार

7.11.1 सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 3922/1985 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य में 11 नवंबर 1997 के अपने आदेश और 1997 (7) स्केल (एसपी) 17 की रिपोर्ट के माध्यम से एनएचआरसी को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने निर्देशों के साथ-साथ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसएए), 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। आयोग अपने सदस्यों और विशेष प्रतिवेदकों के माध्यम से बीएलएसएए-1976 और केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), 2016 के कार्यान्वयन की गति और प्रगति के संबंध में प्रमुख बंधुआ मजदूरी प्रवण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य को रिकॉर्ड और मूल्यांकन करता है। समीक्षा से पहले और समीक्षा के दौरान राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया है, और समीक्षा होने से पहले तक समीक्षा करने में भागीदारी दी गई; राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएँ पहले से ही प्रसारित विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त की गई हैं।

7.11.2 न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी ने प्रवासी श्रमिकों पर दो शोध प्रोजेक्ट्स, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के डॉ आर कासिलिंगम द्वारा "मानव अधिकार मुद्दों और समस्याओं की पहचान करना और प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए नीति ढांचा विकसित करना" और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉ शैजी अहमद द्वारा " ख़ामोशी से बढ़ते बहुमत की अनसुनी आवाजें: राजस्थान की महिला प्रवासी श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन" पर चर्चा करने के लिए 03 अगस्त 2022 को हाइब्रिड मोड में एक ओपन-हाउस चर्चा की अध्यक्षता की।

7.11.3 दृष्टांत मामला

1.) पलवल, हरियाणा के ईंट भट्टे पर बंधुआ मजदूरी और दुर्व्यवहार के आरोप

(केस नंबर: 1083/7/22/2021-बीएल)

आयोग को 15 मार्च 2021 को एक विधवा से शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे और कई अन्य मजदूरों को भारत उद्यम उद्योग, अंधरोला मोडमका, हथीन कोट रोड, तहसील हथीन, जिला पलवल, हरियाणा में कादी, कजल खान और राशिद खान के स्वामित्व वाले ईंट भट्टे पर बंधुआ बनाकर रखा गया था। आरोप गंभीर थे, जिनमें मजदूरी का भुगतान न करना, जाति आधारित उत्पीड़न, शारीरिक और यौन उत्पीड़न और अन्य जघन्य कृत्य शामिल थे।

आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को मामले पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जवाब में, आयोग को पलवल के उपायुक्त से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि भारत ईंट भट्टे के निरीक्षण के दौरान, नायब तहसीलदार और उनकी टीम को कोई बंधुआ मजदूर नहीं मिला। इसके अलावा, वर्तमान में भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों द्वारा मालिक से अपनी मजदूरी या भुगतान के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी। रिपोर्ट में महिलाओं के बीच झगड़े का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद, सभी मजदूरों को पुलिस की मौजूदगी में उनके सभी बकाया का निपटान करने के बाद उनके गांव वापस भेज दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर यह मत दिया गया कि मजदूरों को "बंधुआ मजदूर" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह पता चला कि मालिक भट्टा चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस के बिना ईंट भट्टा चला रहा था और उसने अन्य श्रम कानूनों का उल्लंघन किया था। राजस्थान के अलवर के जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि पीड़ित पुलिस सुरक्षा के तहत अपने घर लौट आए थे। जांच करने पर, पीड़ितों ने खुलासा किया कि उन्हें केवल उनके भोजन के खर्च का भुगतान किया गया था और उन्हें उनकी मजदूरी नहीं दी गई थी।

आयोग ने हरियाणा के पलवल के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अपूर्ण पाया। इसने पाया कि अधिनियम के तहत जांच करने के बजाय, नायब तहसीलदार ने पीड़ितों को उनके वेतन का भुगतान सुनिश्चित किए बिना पुलिस एस्कॉर्ट के साथ घर भेज दिया। रिपोर्ट में जिला मजिस्ट्रेट, पलवल और उनके अधीनस्थों द्वारा अपने अधिकारियों की लापरवाही और कमियों को छिपाने के प्रयास के बारे में उल्लेख किया गया। अलवर के जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि पीड़ितों को उनका वेतन नहीं मिला था और उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई या राहत प्रदान किए बिना राजस्थान में उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया गया था। रिपोर्ट में बंधुआ मजदूरी के मुद्दे का समाधान नहीं

किया गया। ऐसे मामलों में जहां ईंट भट्ठा मालिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के अनुसार आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहे, वहां सुप्रीम कोर्ट के बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले के अनुसार बंधुआ मजदूरी की धारणा स्थापित की जानी चाहिए थी। हालांकि, जांच करने वाले अधिकारियों ने इस धारणा को नजरअंदाज कर दिया।

आयोग ने यह भी नोट किया कि रिपोर्ट में रिहा किए गए दलित बंधुआ मजदूरों को पिछले वेतन के भुगतान का समाधान नहीं किया गया है और उन्हें भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत तत्काल अंतरिम राहत भी नहीं मिली है। रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास करने में राज्य अधिकारियों की निष्क्रियता स्पष्ट थी। इस मामले से यह स्पष्ट हुआ कि कैसे सामाजिक कल्याण कानून के उद्देश्यों को कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कानूनों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लंघन करके पराजित किया जा रहा है। आयोग ने पाया कि यह एक अकेला मामला नहीं था और हरियाणा राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी बंधुआ मजदूर से संबंधित मामले आए, जिनमें से अधिकतम अनुसूचित जातियों के थे।

आयोग ने एनएचआरसी केस फाइल नंबर 396/7/3/2018-बीएल की समीक्षा की संस्तुति की, जिसमें कहा गया कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना भारतीय कानूनों का खंडन करती है और इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। आयोग ने 2016 और 2021 की केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं और उनके उद्देश्यों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। आयोग ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 पर चर्चा की, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के समक्ष अपराधों की सुनवाई से संबंधित है। हालांकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने पहले माना था कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। उन्होंने निर्धारित किया कि अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमे उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं रखे जा सकते। यह निर्णय एक डिवीजन बेंच के फैसले का परिणाम था, जिसमें अधिनियम के तहत आरोपित कृषकों ने अपने मामलों को निष्पक्ष सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांग की थी और अधिनियम, 1976 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। साथ ही, राम देव चौहान बनाम बानी कांता दास [(2010) 14 एससीसी 209] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा जारी आदेशों में संशोधन या टिप्पणी करने के लिए समानांतर न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप, आयोग ने आगे हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया और संस्तुति की कि शिकायतकर्ता यदि इच्छुक हो तो कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकता है। केस 07 सितंबर 2022 को बंद कर दिया गया।

7.12 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला ढोने के मुद्दे

7.12.1 अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक और हाशिए के लोग भारत में सबसे वंचित समूहों में से हैं। उनकी भेद्यता और हाशिए पर होने के कारण उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य जीवन के अवसरों जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुँचने में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है।

7.12.2 एनएचआरसी नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के प्रति राज्य के पालन की निगरानी में सक्रिय रहा है। आयोग ने भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ दंडात्मक उपायों की भी दृढ़ता से संस्तुति की है। इसके अलावा, आयोग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष से भी इनपुट मिलते हैं। हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, धारा 2 (जी) में 'हाथ से मैला ढोने वालों' की विस्तृत परिभाषा देता है, "इस अधिनियम के प्रारंभ में या उसके बाद किसी भी समय, किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी या ठेकेदार द्वारा, अस्वच्छ शौचालय में या किसी खुले नाले या गड्ढे में जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से आने वाले मानव मल का निपटान किया जाता है, या रेलवे ट्रैक पर या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है, मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरह से संभालने के लिए नियुक्त या नियोजित व्यक्ति, मल को पूरी तरह से विघटित होने से पहले, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा।"

7.12.3 एनएचआरसी कुछ समुदायों द्वारा किए जाने वाले बहिष्कार को मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा मानता है। यह संगठन अस्वच्छ शौचालयों या खुले नाले, गड्ढों, रेलवे ट्रैक, निजी घरों और नगर निगमों द्वारा बनाए गए शौचालयों आदि में मानव मल को हाथ से संभालने या हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरह से ढोने के लिए व्यक्ति को नियोजित करने की अमानवीय और अपमानजनक प्रथा के बारे में चिंतित है। यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर समूहों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में काम करने और हाथ से मैला ढोने की अमानवीय और अपमानजनक प्रथा से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

7.12.4 दृष्टांत मामले

1.) दिल्ली के शाहदरा जिले में जाति के आधार पर अत्याचार

(केस नंबर: 2863/30/2/2019)

आयोग को एक शिकायतकर्ता से शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पति को उसके नियोक्ता द्वारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था, जो उसके पति की बचत की 4,80,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने में विफल रहा। पुलिस को मामले की सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 01 नवंबर 2019 को शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई। इसमें कहा गया कि मामले की जांच की गई और कथित सुसाइड नोट को 04 फरवरी 2019 को एफएसएल, रोहिणी को भेजा गया। रिपोर्ट में एपीपी के साथ चर्चा का उल्लेख किया गया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए। जाति-संवेदनशील शब्दों और वित्तीय विवादों के आरोपों को निराधार माना गया। इसके अलावा, जांच अधिकारी एएसआई को एफएसएल के समक्ष स्वीकृत हस्ताक्षर प्रस्तुत करने में देरी के लिए सवालों का सामना करना पड़ा, तथा एसएचओ, गीता कॉलोनी पी.एस. को एफएसएल की राय के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

आयोग ने देरी के लिए पुलिस अधिकारी एएसआई नादिर खान द्वारा हुई लापरवाही को स्वीकार किया और पीएचआरए की धारा 18(ए)(आई) को लागू करते हुए, पुलिस की लापरवाही के कारण मानव अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए मृतक की पत्नी को दो लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की।

जवाब में, डीसीपी, शाहदरा जिला, दिल्ली ने 25 अक्टूबर 2021 को बताया कि एफएसएल, रोहिणी को दस्तावेज भेजने में कथित देरी शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई लिखावट उपलब्ध कराने में विफल रहने के कारण हुई थी। परिवार और नियोक्ता से लिखावट प्राप्त करने के प्रयास किए गए। सुसाइड नोट, दस्तावेजों के साथ, अंततः 02 अप्रैल 2019 को एफएसएल को भेजा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि आईओ/एएसआई की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई और एनएचआरसी के कारण बताओ नोटिस का जवाब विधिवत भेजा गया। आईओ/एएसआई ने बताया कि मृतक के कपड़े जब्त कर लिए गए थे और मालखाने में जमा होने के कारण उन्हें वापस नहीं किया गया। बाद में शिकायतकर्ता ने समझौते की पुष्टि की, अपनी शिकायत वापस ले ली और एनएचआरसी को इस बारे में सूचित किया। पुलिस रिपोर्ट में सभी आरोपों का खंडन किया गया और कहा गया कि शिकायतकर्ता ने फैक्ट्री मालिक के साथ तीन लाख रुपये में समझौता कर लिया और केस बंद कर दिया। आयोग ने 13 अप्रैल 2022 को मामले को बंद कर दिया।

2.) जिला अजमेर, राजस्थान में एक नाबालिग अनुसूचित जाति की लड़की के साथ बलात्कार

(केस नंबर: 1738/20/1/2020- डब्ल्यूसी)

शिकायतकर्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति की 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ उसके चाचा सहित कई आरोपियों ने बलात्कार किया। पीड़ित लड़की के स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी स्कूल में उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। आरोपी लंबे समय तक लड़की के साथ बलात्कार करते रहे और आखिरकार जब लड़की की मां को पता चला, तो मई, 2020 के महीने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और वे पक्षपातपूर्ण जांच कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों के स्थानीय राजनेताओं के साथ संपर्क थे।

अपर पुलिस अधीक्षक, सीबी-सीआईडी, रेंज सेल, अजमेर, राजस्थान की दिनांक 17 फरवरी 2022 की एक रिपोर्ट, पुलिस उप महानिरीक्षक (एएचटी), सीबी-सीआईडी, जयपुर, राजस्थान द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2022 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई। बताया गया कि वर्तमान केस एफआईआर संख्या 133/2020 से संबंधित है, जो पीएस जवाजा, अजमेर में धारा 323/341/504/376/376(2)(एन)/376डी आईपीसी और धारा 3/4/16/17 पॉक्सो एक्ट के साथ धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र संख्या 02/2021 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीड़िता को मुआवजे के रूप में भुगतान के लिए एक लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज कराए गए केस नंबर 91/2021, 332/353/504/506/34 आईपीसी और सेक्शन 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट की धारा के तहत जांच के दौरान पाया गया कि पीड़ित के रिश्तेदारों द्वारा उक्त प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट की गई थी और उक्त प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाने के लिए शिकायतकर्ता के पिता द्वारा तत्काल शिकायत दर्ज कराई गई थी। अभियुक्त को एफआईआर नंबर 328/2020 वाले मामले में भी आरोपी बनाया गया था, मामले का आरोपी और पीड़ित वही है जो एफआईआर नंबर 133/2020 में है। एफआईआर नंबर 328/2020 वाले मामले में चार्जशीट भी पेश की गई थी।

आयोग ने इस मामले में प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया। चूंकि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323/341/504/376/376 (2)(एन)/376डी और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4/16/17 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) के तहत अपराध करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसलिए पुलिस अधीक्षक, अजमेर, राजस्थान और जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर, राजस्थान को राज्य की पीड़ित मुआवजा योजना, एससी/एसटी एक्ट और राज्य के डीएलएसए के

अनुसार मामले की पीड़िता को मुआवजा देने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

न तो शिकायतकर्ता की टिप्पणी और न ही पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की रिपोर्ट प्राप्त हुई। न्याय के हित में, पहले से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को उसकी टिप्पणी, यदि कोई हो, के लिए चार सप्ताह के भीतर एक बार फिर प्रेषित की गई। इस बीच, मुआवजे के भुगतान के संबंध में फिर से पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर, राजस्थान से अपेक्षित रिपोर्ट मांगी गई।

शिकायतकर्ता ने 03 सितंबर 2021 को एक पत्र के माध्यम से आयोग से संपर्क किया और कहा कि स्थानीय पुलिस ने तत्काल सामूहिक बलात्कार मामले में मुख्य आरोपियों में से एक के साथ कथित रूप से रिश्वत लेकर मिलीभगत की और उसे आरोप पत्र में क्लीन चिट दे दी। साथ ही, कहा गया है कि पुलिस ने पीड़िता के पिता को झूठे मामले में फंसाया और उन्हें लगभग 10 दिनों के लिए जेल भेज दिया, ताकि जांच के दौरान मुख्य आरोपी/स्कूल प्रधानाध्यापक को आरोपी के रूप में शामिल न करने के लिए उन पर दबाव डाला जा सके। यह भी कहा गया है कि पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वैधानिक मौद्रिक मुआवजा जारी करने के उद्देश्य से पीड़िता की एफआईआर को जानबूझकर पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रही और इस कारण पीड़िता को वर्तमान मामले में अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

उपरोक्त के आलोक में, आयोग ने डीजीपी, राजस्थान को शिकायतकर्ता के आरोपों के मद्देनजर मामले में आगे की जांच करने और धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सीबी-सीआईडी के माध्यम से मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया। यह पाया गया कि शिकायतकर्ता से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। आयोग ने इस मामले में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया। चूंकि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323/341/504/376/376(2)(एन)/376डी और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4/16/17 के साथ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) के तहत अपराध करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और आयोग के निर्देश के अनुसार, एफआईआर संख्या 133/2020 वाले मामले के पीड़ित को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था और 16 मार्च 2020 की कार्यवाही के तहत एफआईआर में पीड़ित को 2,06,250/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया था, आयोग ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया और एसएसपी, फिरोजाबाद को मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण, दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का विवरण और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई, एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत पीड़ित को अनिवार्य मौद्रिक राहत का विवरण और पीड़ितों को प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण भेजने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देश और आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2021 की कार्यवाही के माध्यम से जारी सशर्त सम्मन के अनुसरण में, आयोग को पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद से दिनांक 31 जनवरी 2020 की एक पुरानी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2020 की कार्यवाही संख्या 238/2020 के माध्यम से पहले ही विचार किया जा चुका था। आयोग द्वारा 29 अगस्त 2022 को केस बंद कर दिया गया।

3.) पूर्वी दिल्ली के कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो लोगों की दुखद मौत।

(केस नंबर: 2231/30/2/2022)

आयोग को 31 मार्च 2022 के टाइम्स ऑफ इंडिया से एक दुखद समाचार रिपोर्ट प्राप्त हुई। "कोंडली में सीवेज प्लांट के गड्ढे से दो शव बरामद " शीर्षक वाली रिपोर्ट में 30 मार्च 2022 को हुई एक घटना का विवरण था। मोटर की मरम्मत करते समय कोंडली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के गड्ढे में गिरने से उनकी जान चली गई। अग्निशमन अधिकारियों ने आपातकालीन स्थिति का सामना किया, लेकिन फिर भी पीड़ितों को बचाया नहीं जा सका और उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

इस मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने तुरंत संबंधित अधिकारियों से सम्बंधित रिपोर्ट मांगी। प्रस्तुत रिपोर्टों की व्यापक समीक्षा के बाद, 07 सितंबर 2022 को आयोग ने कार्रवाई की। इसने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित विभाग के सरकारी अधिकारियों को मानव अधिकार संरक्षण की धारा 18 के तहत नोटिस जारी किया। इस नोटिस में इस बारे में जवाब मांगा गया था कि आयोग को लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलाना चाहिए। प्राथमिक चिंता 29 अप्रैल 2021 को जारी आयोग के लोक सेवकों के खिलाफ सलाह में निर्धारित सुरक्षा उपकरण प्रदान करने में विफलता थी।

इस नोटिस के जवाब में, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अभियंता (एसडीडब्ल्यू) ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि पीईएमएसआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों या आयोग द्वारा जारी परामर्शी को लागू करने में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है। नतीजतन, उन्होंने आयोग से दिल्ली जल बोर्ड या उसके अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू न करने का आग्रह किया।

फिर भी, मामले पर आयोग के विचार-विमर्श के दौरान, एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। यह पाया गया कि जबकि एक अनुदेशात्मक आदेश जारी किया

गया था, जिसमें नियोक्ताओं को हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 और पुनर्वास नियम, 2013 के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था, तथा नियोक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के बीच वास्तविक संविदात्मक विवरण का उल्लेख नहीं था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि श्रमिकों को सुरक्षा गियर प्रदान करने की जिम्मेदारी केवल एक अनुबंध के आधार पर काम पर रखने वाली एजेंसी को नहीं दी जा सकती थी। नतीजतन, आयोग ने सीवेज में जोखिमभरे सफाई कार्य के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस्तेमाल किए गए मानक अनुबंध की जांच का अनुरोध किया। इसके अलावा, आयोग ने उल्लेख किया कि दिल्ली जल बोर्ड का जवाब मृतक कर्मचारियों, जिन्हें एक ठेकेदार द्वारा नियोजित किया गया था, को सुरक्षा गियर प्रदान करने में लापरवाही के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जारी किए गए नोटिस को संबोधित करने में विफल रहा। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

इन निर्देशों के जवाब में दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अभियंता (एसडीडब्ल्यू) ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि किया गया कार्य विशेष रूप से कोंडली में 45 एमजीडी एसटीपी चरण- IV के संचालन के लिए था और इसमें कोई जोखिमभरी सफाई या मैला ढोने की गतिविधि शामिल नहीं थी। सभी विद्युत और यांत्रिक उपकरणों का रखरखाव विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्य की प्रकृति के आधार पर अनुबंध की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं। क्षेत्र की जोखिमभरी प्रकृति के कारण विभाग ने ठेकेदार को एकमुश्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए थे। ठेकेदार ने इन सुरक्षा उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की जिम्मेदारी उठाई और विभागीय अधिकारियों ने नियमित रूप से साइट का निरीक्षण किया। विभाग ने इस बात पर भी जोर दिया कि घटना के दिन कोई पूर्व निर्धारित रखरखाव कार्य नहीं था। यह एक अप्रत्याशित दुर्घटना थी और विभागीय कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त, एक आंतरिक जांच की गई, जिससे ज्ञात हुआ कि घटना वास्तव में आकस्मिक थी। मृतक के परिजनों को दस लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के अलावा, दिल्ली जल बोर्ड ने मृतक के परिवार के सदस्यों को उनकी दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिपूरक आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश भी की।

उक्त कार्रवाइयों के जवाब में, आयोग ने रिपोर्ट की समीक्षा की और दिल्ली जल बोर्ड से आयोग द्वारा 24 सितंबर 2021 को जारी परामर्शी में निर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। यह परामर्शी जोखिमभरे सफाई कार्य में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित थी। इन निर्देशों और कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए, मामले को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया।

4.) मैनहोल की सफाई करते समय दो सफाई कर्मचारियों की जहरीली गैसों के संपर्क में आने कारण मौत और मुआवजे का भुगतान

केस नंबर: 119/10/1/2020

आयोग को सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक से एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि तीन सफाई कर्मचारियों को बेंगलुरु के इन्फैंट्री रोड पर श्री एसएसबीएस जैन संघ ट्रस्ट के परिसर में एक चैंबर/मैनहोल की सफाई के लिए बुलाया गया था। उन्हें मैनहोल के अंदर जाने के लिए कहा गया। सफाई के दौरान, उनमें से दो ने जहरीली गैसों के संपर्क में आने से दम तोड़ दिया और 25 जनवरी 2020 को उनकी जान चली गई।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु शहर ने 08 अक्टूबर 2020 के एक पत्र के माध्यम से डीसीपी ईस्ट डिवीजन, बेंगलुरु शहर की रिपोर्ट और एसीपी पुलकेशी नगर सब-डिवीजन, बेंगलुरु शहर की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पता चला कि दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उनमे से एक अनुसूचित जाति का था। पुलिस ने केस अपराध संख्या 13/2020 धारा 304/338 आर/डब्ल्यू 34 आईपीसी और 3(1)(जे) एससी/एसटी एक्ट और धारा 7/8/9 हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत एफआईआर दर्ज की। जांच के दौरान, मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 7/8/9 को साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण छोड़ दिया गया और किशोर न्याय अधिनियम-2015 की धारा 87/88 को सम्बद्ध किया गया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। मुआवजे की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एफआईआर की एक प्रति, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज समाज कल्याण विभाग को सौंप दिए गए थे।

16 जनवरी 2021 की कार्यवाही के अनुसार, आयोग ने डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु, कर्नाटक को चार सप्ताह के भीतर मुआवज़े के भुगतान का सबूत पेश करने का निर्देश जारी किया। इस बीच, आयोग को संयुक्त श्रम आयुक्त से 21 सितंबर 2020 की कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मामले के तथ्यों की जानकारी दी गई और प्रस्तुत किया गया कि मुआवज़े के संबंध में श्रम कार्यालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

आयोग द्वारा 02 फरवरी 2022 को जारी निर्देशों के अनुसरण में, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बेंगलुरु शहरी जिला, दिनांक 08 मार्च 2022 का एक पत्र सचिव, कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, बेंगलुरु की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक कागजात के साथ प्राप्त हुआ। रिपोर्ट से पता चलता है कि आश्रित को मुआवजा राशि का भुगतान जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया। इस

प्रकार, रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, यह स्पष्ट था कि आयोग द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन किया गया था और मृतक के निकटतम सम्बन्धी को मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया था। प्राधिकरण द्वारा भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। मामले में आगे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। रिपोर्ट को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए मामला बंद कर दिया गया।

5.) दिल्ली के करावल नगर में सरकारी अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण जानलेवा गटर में गिराने से युवा छात्र की मौत

(केस नंबर: 2649/30/5/2020)

08 जून 2020 को आयोग को एक अधिसूचना प्राप्त हुई, जिसमें 6 जून 2020 को दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले एक युवा छात्र की मौत का आरोप लगाया गया था। जिसमे कहा गया कि उसकी मौत गटर में गिरने के कारण हुई, जो गटर के चारों ओर दीवार बनाने के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग अधिकारीयों की लापरवाही का परिणाम थी।

इस सूचना के मिलने पर आयोग ने जांच शुरू की और पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्व, दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के आयुक्त को कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जवाब में, एनएचआरसी के अन्वेष प्रभाग ने यह पता लगाने के लिए एक टीम गठित की कि क्या यह मौत सरकारी अधिकारियों की ओर बरती गयी लापरवाही का नतीजा थी।

घटना स्थल जांच के दौरान, टीम ने मृतक लड़के के परिवार के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। टीम ने परिवार के सदस्यों के बयान लिए। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, आयोग ने निर्णय लिया कि नाले की सुरक्षात्मक दीवार बनाने के लिए जिम्मेदार विभाग द्वारा लापरवाही बरतने के फलस्वरुप नाले में गिरने और डूबने से छोटे लड़के की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने के कारण दम घुटने को मौत का कारण बताया। सरकारी अधिकारियों की ओर से हुई लापरवाही को देखते हुए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आयोग को मृतक के परिजनों को 3,00,000/- रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऐसे नालों के पास रहने वाले निवासियों/लोगों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया गया। निर्देश में भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं या घटनाओं का समाधान करने और रोकने के लिए विभिन्न नागरिक एजेंसियों को शामिल करते हुए एक अंतर-विभागीय पैनल का गठन भी शामिल था। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सचिव को नहर के दोनों ओर दीवारों की मरम्मत या निर्माण करने, नहर की सफाई के लिए प्रावधान करने तथा ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए गए।

जवाब में, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, शास्त्री नगर, दिल्ली के कार्यकारी अभियंता (सीडी-IV) के कार्यालय ने बताया कि विभाग की एक टीम ने फील्ड अधिकारियों के साथ उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां घटना हुई थी। उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार, आवासीय आवास नाले से 20 मीटर की दूरी पर स्थित थे, इनके एक ओर सड़क और दूसरी ओर नाला था। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुल की रेलिंग पर वायर मेस जाली लगाई गई थी। कभी-कभी दीवार टूटने का कारण वाहनों का टकराना या कूड़ा/मलबा फेंकने वाले उपद्रवी थे, जबकि विभाग ने कूड़ा फेकने के लिए निर्दिष्ट स्थान उपलब्ध कराए थे। यह कहते हुए कि छोटे बच्चे से जुड़ी दुखद घटना के लिए विभाग दोषी नहीं है, विभाग ने परिवार को हुई अपूरणीय क्षति को देखते हुए मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। संबंधित अधिकारियों ने पुष्टि की कि आयोग के निर्देशों के अनुसार मृतक के परिजनों को 3,00,000/- रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है। इसके बाद 14 जून 2022 को केस बंद कर दिया गया।

6.) झारखंड में जादू-टोना करने के संदेह में एक आदिवासी महिला की नृशंस हत्या, जिसमें मुआवजे का प्रस्ताव पेश किया गया।

(केस नंबर: 1059/34/18/2022)

3 जुलाई 2022 को ग्राम गंगीमुंडी, थाना-मंझरी, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड में जादू-टोना करने के संदेह में एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला की नृशंस हत्या के आरोप के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। आरोप लगाया गया कि झारखंड राज्य में डायन प्रथा निवारण अधिनियम 2001 लागू होने के बावजूद राज्य में डायन प्रथा को रोकने में राज्य सरकार की विफलता स्पष्ट होती है। शिकायतकर्ता ने 45 वर्षीय आदिवासी महिला की नृशंस हत्या की स्वतंत्र जांच, संबंधित दंड प्रावधानों के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा और राज्य में जादू-टोना/डायन प्रथा की रोकथाम के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के लिए आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

आयोग ने 30 नवंबर 2022 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से शिकायतकर्ता को तत्काल मामले में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर टिप्पणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 03 सितंबर 2022 की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड से प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मामले की जांच की जा रही थी। मुआवजे का प्रस्ताव पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से दिनांक 17 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और

मुआवजे का प्रस्ताव पेश किया गया था। सीएमआईएस रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। उपरोक्त रिपोर्टों के मद्देनजर, तथा शिकायतकर्ता से कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त न होने पर, मामले में आगे कार्यवाही नहीं की गयी। मामला बंद कर दिया गया।

7.13 खेल और मानव अधिकार

7.13.1 खेल मानव सभ्यता का अभिन्न अंग है। गैर-भेदभाव और समावेशिता किसी भी खेल की मुख्य विशेषताएं हैं। खेल और इसके सम्मान और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के माध्यम से, हम सीमाओं के पार लोगों को एकजुट कर सकते हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन को पाट सकते हैं। हालाँकि, खेलों में मानव अधिकारों के हनन ने भारत में एक स्वस्थ खेल संस्कृति के विकास को हमेशा प्रभावित किया है, जो विभिन्न मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है, जैसे संस्कृति का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आदि और इस प्रकार समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

7.13.2 इस संबंध में, आयोग नीतिगत अंतराल की पहचान करके, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करके, यह सुनिश्चित करके कि जाति और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी को न्याय प्रदान करके मानव अधिकारोंकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

7.13.3 01 नवंबर 2022 को खेल और मानव अधिकारों पर एक ओपन हाउस चर्चा का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एनएचआरसी के सदस्य डॉ. डी.एम. मुले ने की। युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि तथा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के अन्य विशेषज्ञ भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का एजेंडा खेल उद्योगों में मानव अधिकारों के मुद्दों और उनके समाधानों की जांच करना; अवसंरचनात्मक और संरचनात्मक चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना; तथा खेल महासंघों में मानव अधिकारोंके लिए उपचार, जवाबदेही और सम्मान को समाहित करना था। उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित संस्तुतियां की गईं:

- खेल क्षेत्र में सुरक्षित खेल, गोपनीयता और आवाज उठाने के अधिकार के सिद्धांतों का हर समय पालन किया जाना चाहिए।
- सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा 'भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता' और 'मानव अधिकार रणनीतिक ढांचे' का आकलन करने के लिए एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा समय-समय पर ऑडिट किया जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी जानी चाहिए।
- खेल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपाय शुरू किए जाने चाहिए, जैसे कि बुनियादी वर्णमाला खेल पुस्तिकाओं का विकास और प्रचार, स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों के मॉड्यूल को शामिल करना आदि।
- स्थानीय भाषाओं में "खेलों में मानव अधिकारों पर पुस्तिका" तैयार की जा सकती है।
- नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और उसके केंद्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और राज्य स्तरीय संस्थानों में प्रशिक्षकों के लिए चलाए जाने वाले एक जैसे पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए "खेलों में मानव अधिकारों " पर एक मॉड्यूल विकसित किया जा सकता है। एनएचआरसी, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में , इन मॉड्यूल पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) का आयोजन कर सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्थापित मानव अधिकार ढांचे के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
- खिलाड़ियों की शिकायतों पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर खेल निकायों में संस्थागत लोकपाल और नैतिक अधिकारी की नियुक्ति की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकता है।
- खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम दस प्रतिशत (10%) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि निर्धारित करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकता है।

7.14 भारतीय नाविकों के मानव अधिकार

7.14.1 अन्य देशों के नाविकों की तरह भारतीय नाविकों के भी कुछ मानव अधिकार हैं, जिन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, उन्हें अपने काम में कुछ खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नाविकों का परित्याग, विदेशों में कारावास, दुर्व्यवहार, कम वेतन, वेतन का भुगतान न होना, काम करने की खराब स्थिति, महिला नाविकों के प्रति संवेदनशीलता की कमी

और अपर्याप्त प्रशिक्षण कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका वे सामना करते हैं। उन्हें अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

7.14.2 22 फरवरी 2023 को भारतीय नाविकों के मानव अधिकारों पर एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी के माननीय सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर एम. मुले ने की और डीजी शिपिंग और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विदेशी रोजगार और प्रवासियों के महासंरक्षण, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों और सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के अन्य डोमेन विशेषज्ञों ने उक्त बैठक में भाग लिया। बैठक का एजेंडा, भारतीय नाविकों का परित्याग और कारावास: नाविकों के अधिकारों की रक्षा में मंत्रालय, भारत सरकार और जहाज मालिकों की भूमिका; तथा समुद्र में महिलाओं का जीवन; और नाविकों का मानसिक स्वास्थ्य, पर केन्द्रित था। चर्चा के दौरान निम्नलिखित सुझाव सामने आए:

- समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता और अभियान कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इसके अलावा, जहाजों पर महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दों को खत्म करने के लिए नाविकों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।

- सभी नाविकों के बीच, नाविकों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता प्रसारित की जानी चाहिए और नाविकों द्वारा नौकायन के दौरान सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रत्येक भर्ती एजेंसी में एक निष्ठावान कल्याण अधिकारी होना चाहिए।

- प्रवासी सुरक्षा महानिदेशालय (पीजीई) द्वारा सभी दूतावासों को उच्च समुद्र में नाविकों की मृत्यु के मामले में शवों को संभालने के बारे में दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया जा सकता है।

- नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन के सदस्यों के लिए डीजी शिपिंग, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और पीजीई कार्यालय के सहयोग से दिशा-निर्देशों का एक सेट या परामर्शी तैयार की जा सकती है।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लिंग संवेदनशीलता पर पाठ्यक्रम मॉड्यूल को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

- नाविकों के अधिकारों के लिए एक व्यापक पुस्तिका विकसित की जा सकती है, जिसे भर्ती एजेंसियों/कंपनियों द्वारा भारत से प्रस्थान करने से पहले सभी नाविकों को वितरित किया जा सकता है।

7.15 संस्कृति और मानव अधिकार

7.15.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के संयुक्त तत्वाधान में 30 जून और 01 जुलाई 2022 को भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानव अधिकारों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी का उद्घाटन माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष; आयोग के माननीय सदस्य; आयोग के महासचिव; और श्री राम बहादुर राय, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, आईजीएनसीए की उपस्थिति में किया।

7.15.2 दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानव अधिकारों की अवधारणा पर चर्चा की गई ताकि भारतीय दर्शन और मूल्यों के आधार पर मानव अधिकारोंकी एक नई कथा और निर्माण विकसित किया जा सके और एक प्रबल भावना को प्रेरित किया जा सके कि कला, संस्कृति और दर्शन की समृद्ध भारतीय विरासत का अध्ययन, समझ और चर्चा करने के लिए इस तरह के संवादों की एक श्रृंखला आयोजित करना आवश्यक है, जो मानवता का पोषण करती है, वैश्विक सभ्यता में इसके योगदान को उजागर करती है और बदलते समय की वास्तविकताओं के साथ उन प्रथाओं को बनाए रखती है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी ने एक ऐसे विमर्श की शुरुआत की, जिसने मानव अधिकारों की स्थायी अवधारणा और वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन के लिए भारतीय कला, संस्कृति और दर्शन की समृद्ध परंपराओं को समझने, आत्मसात करने और आगे बढ़ाने के लिए एक विचार प्रक्रिया को प्रज्वलित किया।

7.16 व्यापार और मानव अधिकार

7.16.1 आयोग का मानना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएँ (एनएचआरआई) कॉर्पोरेट क्षेत्र में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में योगदान दे सकती हैं, अन्य बातों के अलावा, व्यापार क्षेत्र में मानव अधिकारों के हनन की निगरानी और रिपोर्टिंग, कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की सुविधा प्रदान करना, और सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता निर्माण करना ताकि वे क्रमशः मानव अधिकारों की रक्षा और सम्मान कर सकें। यूएनजीपी-बीएचआर के संदर्भ में, एनएचआरसी देश में संबंधित पहलों के लिए

संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से कार्यरत है। इस भूमिका को प्रमुख रूपरेखाओं और पहलों – गनहरी, व्यापार और मानव अधिकारों पर कार्य समूह और बीएचआर में जवाबदेही और उपचार तक पहुँच में सुधार पर 2018 संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में नोट किया गया था।

7.16.2 आयोग ने भारत में वाणिज्यिक ट्रक ड्राइवरों के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए 19 अप्रैल 2022 को व्यापार और मानव अधिकारों पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की। इसका उद्देश्य कुछ कार्रवाई योग्य बिंदु प्राप्त करना था, जिन्हें आगे लागू किया जा सके। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। एनएचआरसी कोर ग्रुप के सदस्य, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार मामले मंत्रालयों के प्रतिनिधि; अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर कल्याण संघ, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, निमहंस और सेव लाइफ फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। बैठक को शोषण से सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक कल्याण ढांचा; और वाणिज्यिक ट्रक चालकों की शारीरिक एवं मानसिक कल्याण सहित तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था। चर्चा के दौरान सामने आये कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:

- ट्रक चालकों को अनिवार्य स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा;
- सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ट्रक-स्टॉप और विश्राम स्थलों का प्रावधान, जिसमें विश्राम, स्वच्छ भोजन, पीने योग्य पानी और स्वच्छ स्वच्छता की सुविधाएं हों;
- जीवन बीमा, भविष्य निधि आदि सहित अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ औपचारिक पारिश्रमिक संरचना;
- भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतों के पंजीकरण के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन की स्थापना, और
- वाणिज्यिक ट्रक चालकों की गतिहीन और अनम्य तथा अत्यधिक तनावपूर्ण जीवनशैली से राहत के रूप में बुनियादी मनोवैज्ञानिक कल्याण प्रदान करने का प्रयास।

7.16.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को वाणिज्यिक ट्रक चालकों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक परामर्शी जारी की है। परामर्शी में चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें शामिल हैं: शोषण से सुरक्षा, चालकों को सुविधाओं का प्रावधान, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान और वाणिज्यिक ट्रक चालकों का शारीरिक और मानसिक कल्याण। विस्तृत परामर्शी आयोग की वेबसाइट यानी www.nhrc.nic.in पर देखी जा सकती है।

7.17 मानव दुर्व्यापार

7.17.1 महिलाओं और बच्चों के विषयों के साथ गंभीरता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा दुर्व्यापार का है, जो एक संगठित अपराध है। महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। मानव दुर्व्यापार का शिकार व्यक्ति, दुर्व्यापार के सभी चरणों में निरंतर और कई अपराधों का शिकार होता है। भारतीय कानूनी प्रणाली में, मान्यता प्राप्त शब्द 'मानव दुर्व्यापार' या 'मानव तस्करी' है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत निषिद्ध है।

7.17.2 दृष्टांत मामले

1.) बच्चों और महिलाओं का दुर्व्यापार और मणिपुर पुलिस द्वारा उनका बचाव

(केस नंबर: 20/14/0/2020)

आयोग को सूचित किया गया कि मणिपुर पुलिस ने मणिपुर के विभिन्न स्थानों से 179 नेपाली नागरिकों (147 महिलाओं और 32 पुरुषों) को बचाया, क्योंकि वे सीमा पार करने की योजना बना रहे थे और जहाँ से उनमें से अधिकांश इराक, कुवैत, दुबई और ओमान, कजाकिस्तान और लेबनान जैसे कुछ अन्य देशों के लिए हवाई उड़ान भरने वाले थे। तदनुसार, आयोग ने विशेष मॉनिटर को मणिपुर राज्य का दौरा करने और विभिन्न देशों में बच्चों और महिलाओं का दुर्व्यापार के बारे में पूछताछ करने का निर्देश दिया।

आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और विशेष मॉनिटर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया। आयोग ने मणिपुर राज्य, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को मामलों को हस्तांतरित किये गये मामलों सहित संस्तुतियों पर कार्रवाई रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया।

आयोग के आगे के निर्देश के अनुसरण में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा प्रभाग के उप सचिव (पीआर और एटीसी) ने 06 मई 2022 के पत्र के माध्यम से डीआईजी (नीति), एनआईए की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि एनएचआरसी द्वारा जारी भारत में व्यक्तियों के दुर्व्यापार से निपटने के लिए एसओपी को संलग्न करते हुए 17 दिसंबर 2020 के गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा प्रभाग के पत्र की एक प्रति पहले ही एनआईए के

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मानव दुर्व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए साझा की गई थी। इसके अलावा, मानव दुर्व्यापार से संबंधित सूचना/खुफिया जानकारी को एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी जैसी अन्य सहयोगी एजेंसियों के साथ संपर्क बनाने के लिए इंफाल, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ स्थित एनआईए शाखा कार्यालयों के संबंधित शाखा प्रमुखों को भी निर्देश जारी किए गए। साथ ही यह भी प्रस्तुत किया गया कि सभी चार एफआईआर (मानव दुर्व्यापार रैकेट से संबंधित, मणिपुर राज्य में पंजीकृत) यानी एफआईआर संख्या 7 (2) 2019 दिनांक 01 दिसंबर 2019, एफआईआर संख्या 14 (2) 2019 दिनांक 01 फरवरी 2019, एफआईआर संख्या 26 (2) 2019 दिनांक 01 फरवरी 2019 और एफआईआर संख्या 25 (2) 2019 दिनांक 02 फरवरी 2019 को एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था और सभी चार मामले जांच के अधीन थे।

इसके अलावा, आयोग के निर्देश और मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव को सशर्त सम्मन के अनुसरण में, मणिपुर सरकार के अवर सचिव, गृह ने 31 मार्च 2022 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि भारत में व्यक्तियों के दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए जिलों के एसपी सहित संबंधित विभागों को 07 मार्च 2022 का एसओपी भेजा गया था। यह भी कहा गया कि मामलों में शामिल गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत की गई है। पुनर्वास, आश्रय और वित्तीय सहायता के माध्यम से मानव दुर्व्यापार के पुरुष पीड़ितों के संबंध में, यह कहा गया कि अब तक, पुरुष पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान नहीं था और मणिपुर सरकार पुरुष पीड़ितों के लिए आश्रय गृह स्थापित करने के तरीकों का पता लगाएगी।

आयोग ने रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार किया। मणिपुर पुलिस द्वारा मणिपुर के विभिन्न स्थानों से 179 नेपाली नागरिकों (147 महिलाएं और 32 पुरुष) की मानव दुर्व्यापार के संबंध में सभी चार एफआईआर दर्ज की गईं, जिन्हें मध्य-पूर्व के देशों में हवाई उड़ान भरनी थी। महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया कि सभी चार एफआईआर एनआईए को हस्तांतरित कर दी गई हैं और सभी चार मामलों की जांच चल रही है। चूंकि कानूनी कार्यवाही की जा चुकी थी, इसलिए आयोग द्वारा आगे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। मामला बंद कर दिया गया था।

2.) जिला तिरुवरुर, तमिलनाडु में मानव अंग व्यापार और मानव दुर्व्यापार की अवैध गतिविधियाँ

(केस नंबर: 2200/22/51/2021)

आयोग को 29 जून 2021 को जिला तिरुवरुर, तमिलनाडु के एक निवासी से स्थानीय भाषा में शिकायत मिली, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा क्षेत्र में मानव अंग व्यापार और जापान में मानव दुर्व्यापार की अवैध गतिविधियों के बारे में बताया गया था। मामले में आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक डॉक्टर विभिन्न स्थानों पर ये गतिविधियाँ करवा रहा था और अवैध अंग व्यापार रैकेट की मदद कर रहा था तथा विदेशों में आँखों और किडनी सम्बन्धी दुर्व्यापार कर रहा था साथ ही युवाओं का ब्रेनवॉश भी कर रहा था।

आयोग ने पाया कि मामले के तथ्य चिंताजनक थे। शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे, जिसमें मानव दुर्व्यापार और मानव अंगों के व्यापार का अंतरराष्ट्रीय संबंध था। इसलिए इस मामले में पीड़ितों और उनके परिवारों के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन शामिल था। आयोग ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है। इन परिस्थितियों में, स्वतंत्र जांच और कार्रवाई रिपोर्ट के लिए तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस भेजा गया था।

आयोग ने अपेक्षित रिपोर्ट दाखिल न करने के लिए पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु के गैर-जिम्मेदार रवैये को गंभीरता से लिया। ऐसी स्थिति में, पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु के नाम पर 28 अप्रैल 2022 को सुबह 11:00 बजे अपेक्षित रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ माननीय आयोग के समक्ष उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया था। यदि अपेक्षित रिपोर्ट 21 अप्रैल 2022 को या उससे पहले प्राप्त हो जाती है, तो उपरोक्त अधिकारी उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग को तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले के पुलिस अधीक्षक से 14 अप्रैल 2022 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि शिकायतकर्ता मानसिक रोग से पीड़ित था, आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता के पति सहित विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा उनके बयान लिखित रूप में दर्ज किए गए, इन तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता मानसिक रूप से ग्रस्त है तथा शिकायत झूठी है और बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है। आगे कहा गया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता की याचिका बंद कर दी गई।

आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए दी गई नियत तिथि से अधिक समय बीत गया तथा उनकी टिप्पणी अभी भी प्रतीक्षित है। रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी तथा परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, वह किसी मानसिक बीमारी से भी पीड़ित थी। रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को प्रेषित की गई, जिसने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आयोग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट का खंडन नहीं किया। इन परिस्थितियों में, मामले में आयोग द्वारा आगे कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। आयोग ने इस प्रकार मामले को 24 फरवरी 2023 को बंद कर दिया।

3.) जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में चिकित्सा लापरवाही और अंगों का दुर्व्यापार

(केस नंबर: 962/25/9/2020)

शिकायतकर्ता ने कहा कि 15 अप्रैल 2020 को दोपहर 12:30 बजे, उन्होंने अपनी गर्भवती बेटी को प्रसव के लिए उलुबेरिया एसडी अस्पताल में भर्ती कराया। पहले, अस्पताल के अधिकारियों ने कोरोना टेस्ट के लिए कहा, मरीज को संजीवन अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ अधिकारियों ने कहा कि माँ और बच्चा स्वस्थ हैं। शिकायतकर्ता को अपनी बेटी और पोते से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और बाद में उनसे मिलने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता ने राजनीतिक सहायता के माध्यम से, वार्ड मास्टर से 01 मई 2020 को अपनी बेटी और पोते से मिलने के बारे में पूछा, उन्हें 20 अप्रैल 2020 को उनकी बेटी की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शिकायतकर्ता ने मरीज के परिवार को सूचित न करने पर अस्पताल अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उसे शव की पहचान किए बिना ही मृत्यु पावती पर्ची पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जब उन्होंने पोते के बारे में पूछा तो अस्पताल अधिकारियों ने इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने कुछ ऑपरेशन के निशान देखे हैं और उन्हें किडनी, लिवर आदि अंगों के दुर्व्यापार का संदेह है। शिकायतकर्ता ने अस्पताल अधिकारियों से 15 दिनों की चिकित्सकीय लापरवाही और मरीज की मौत और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में सूचित नहीं करने के बारे में सवाल किया। पुलिस ने कोई शिकायत प्रति उपलब्ध नहीं कराई और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि अस्पताल बाल और मानव अंगों की अनैतिक दुर्व्यापार में शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने मरीज का हेल्थ कार्ड और अस्पताल का एडमिट कार्ड संलग्न किया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (जनरल), हावड़ा से 15 मार्च 2021 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, साथ ही सीएमओ, स्वास्थ्य से प्राप्त पत्र की एक प्रति भी मिली, जिसमें कहा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका 583 (डब्ल्यू) 2020 दायर की गई थी। जहाँ आर. जी मेडिकल अस्पताल कोलकाता में हुए डीएनए परीक्षणऔर दूसरे पोस्टमार्टम के सम्बंध में माननीय डिवीजनल बैच द्वारा 23 दिसम्बर 2023 को आदेश जारी किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका भी लंबित है। आगे कहा गया कि मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है।

इस तथ्य को देखते हुए कि मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता की ओर से कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है, आयोग की राय है कि वर्तमान मामले में आयोग के आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7.18 मानव अधिकार संरक्षक

7.18.1 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(i) के तहत मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का अधिकार है। इसलिए, जब से आयोग की स्थापना हुई है, तब से इसने मानव अधिकार संरक्षकों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ देश में मानव अधिकारों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई संगठनों और व्यक्तियों, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों के साथ मिलकर काम किया है। इसने मानव अधिकार संरक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का पालन किया है और इसके परिणामस्वरूप देश भर में मानव अधिकार संरक्षकों के लिए सुरक्षात्मक तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में, यह गैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों; राष्ट्रीय और राज्य आयोगों सहित राज्य मानव अधिकार आयोगों और अन्य प्रमुख अभिनेताओं के साथ मिलकर मानव अधिकार संरक्षकों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है।

7.18.2 मानव अधिकार संरक्षकों के लिए आयोग में एक फोकल प्वाइंट बनाया गया है, जो लोक प्राधिकारियों द्वारा या उनके निर्देश पर मानव अधिकार संरक्षकों के उत्पीड़न से सम्बंधित शिकायतों के निपटान निपटने के लिए है। फोकल प्वाइंट पर नामित संपर्क व्यक्ति श्री इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि) हैं। फोकल प्वाइंट मानव अधिकार संरक्षकों के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है: (i) मोबाइल नंबर 9999393570, (ii) फैक्स नंबर 24651334, और (iii) ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in। फोकल प्वाइंट यह सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकार संरक्षकों के कथित उत्पीड़न के हर मामले में आयोग के निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर पालन किया जाए और संबंधित मानव अधिकार संरक्षक को भी सूचित किया जाए। मानव अधिकार संरक्षकों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों का अद्यतन विवरण आयोग की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाता है। मानव अधिकारों के लिए फोकल पॉइंट ने जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की स्थिति को समझने के लिए गैर सरकारी संगठनों/ग्रामीणों/मानव संसाधन विकास विभाग/राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संवाद/चर्चा की है।

7.18.3 इस अवधि के दौरान, आयोग को मानव अधिकार संरक्षकों के कथित उत्पीड़न से संबंधित 99 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित तीन मामलों को अंततः निर्देश के साथ बंद कर दिया गया। मानव अधिकार संरक्षकों से संबंधित पांच मामलों का निर्देश के साथ निपटान किया गया।

7.18.4 दृष्टांत मामले

1.) आयोग मानव अधिकार संरक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है

(केस नंबर: 907/18/18/2022)

आयोग को एक अधिवक्ता और मानव अधिकार संरक्षक से शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके और उनके वृद्ध माता-पिता, जो उनके पैतृक स्थान, यानी ओडिशा के भद्रक जिले में रह रहे हैं, पर कुछ बदमाशों द्वारा हमला किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और राज्य अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आयोग ने मामले में संज्ञान लिया और राज्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। मामले पर प्राप्त रिपोर्ट पर आयोग ने विचार किया। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता और उसके परिवार को धमकी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पुनर्मतदान के दिन वह और उसका परिवार अपना वोट नहीं डाल सके। आयोग ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि राज्य तंत्र की विफलता और पुलिस द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा था और उसकी सुरक्षा दांव पर लगी थी।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, राज्य अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट शिकायतकर्ता को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके वृद्ध माता-पिता पैतृक गांव में रह रहे हैं और अनकही पीड़ाओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आयोग ने उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा नहीं की, तो वे निरंतर भय और आशंका के साये में रहने को मजबूर होंगे। शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले में सरकार की विफलता सामने आई और दोषियों को "विधिसम्मत" शासन ने नियमों का सामना करना पड़ा, इसके चलते शिकायतकर्ता व् उसके परिवारजनों के जीवन का खतरा ओर बढ़ गया है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि वे सचिव, गृह, राज्य के डीजीपी और भद्रक के जिला प्रशासन को उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दें।

आयोग ने मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया, जिसमें शिकायत, प्राप्त रिपोर्ट और रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता की टिप्पणियां शामिल हैं। आयोग ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की कथित निष्क्रियता के कारण मानव अधिकार संरक्षक और उनके परिवार के जीवन को खतरा आयोग के लिए चिंता का विषय है। इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, ओडिशा को निर्देश दिया कि वे संबंधित अधिकारी को उचित निर्देश दें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी आवश्यक हो, शिकायतकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय पर प्रभावी कदम उठाए जाएं। इन निर्देशों के साथ, मामला बंद कर दिया गया।

2.) आयोग ने मानव संसाधन विकास मामलों पर जांच पूरी करने के निर्देश जारी किए

(केस नंबर: 1609/25/11/2022)

आयोग ने पश्चिम बंगाल के एक मानव अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस स्टेशन इंग्लिश बाजार के पुलिस अधिकारी लोगों को परेशान करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि एक मानव अधिकार कार्यकर्ता को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्यों की मिलीभगत से पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है।

आयोग ने राज्य के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, मामले पर रिपोर्ट प्राप्त हुई। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और यह पता चला कि वर्तमान में मामला जांच के अधीन है। संबंधित अदालत मामले की योग्यता और पुलिस द्वारा की गई जांच के आधार पर कानून के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी। आयोग ने शिकायतकर्ता को संबंधित अदालत के समक्ष अपनी शिकायत करने की स्वतंत्रता के साथ मामले को बंद कर दिया और पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

अध्याय 8

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

8.1 एनएचआरसी, भारत पेरिस सिद्धांतों का पूर्णतः अनुपालन करता है तथा क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों ही मंचों सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसका प्रमुख स्थान है। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है, जो विश्व में सबसे बड़े मानव अधिकार नेटवर्क में से एक है, जो 110 से अधिक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) का प्रतिनिधित्व करता है। एनएचआरसी भारत को पेरिस सिद्धांतों के पूर्ण अनुपालन के लिए गनहरी की मान्यता संबंधी उप समिति (एससीए) द्वारा "A" दर्जा दिया गया है तथा यह 1998 से इसे बरकरार रखे हुए है। एनएचआरसी भारत के महासचिव गनहरी वित्त समिति के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। एनएचआरसी एशिया प्रशांत फोरम (एपीएफ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के एनएचआरआई का एक क्षेत्रीय गठबंधन है तथा एपीएफ को प्रति वर्ष 1,50,000 यूएसडी की राशि का योगदान देता है। एनएचआरसी के अध्यक्ष, एपीएफ गवर्नेंस समिति के सदस्य हैं।

8.2 एनएचआरसी गनहरी , एपीएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे मानव अधिकार परिषद (एचआरसी), संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर), संधि निकायों आदि के साथ अपने जुड़ाव और बातचीत में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आयोग पूरे वर्ष विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और साथ ही मसौदा प्रस्तावों, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों की प्रश्नावली और अन्य रिपोर्टों, दस्तावेजों को इनपुट उपलब्ध कर रहा है। कोविड-19 और इसकी बाधाओं के बावजूद, आयोग ने अपने अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध को मजबूत किया है और मानव अधिकारों के मुद्दों पर विभिन्न मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

8.3 **एनएचआरआई के एपीएफ के साथ सहयोग:** एनएचआरआई का एपीएफ एशिया प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्रीय मानव अधिकार संगठन है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। यह एक सदस्य-आधारित संगठन है जो क्षेत्र में स्वतंत्र एनएचआरआई की स्थापना और मजबूती का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य सदस्य संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।

8.4 **गनहरी के साथ सहयोग:** गनहरी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से की गई है, जो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यह इन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच संयुक्त गतिविधियों और सहयोग के अंतरराष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करके, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करके, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करके तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने में सरकार की सहायता करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत लगातार पाँच वर्षों 1999, 2006, 2011 और 2017 की चौथी अवधि के लिए 'ए' स्थिति मान्यता के साथ गनहरी का सदस्य है।

8.5 अन्य अंतरराष्ट्रीय बैठकों और संगोष्ठियों में एनएचआरसी की सहभागिता

- श्री राजीव जैन, सदस्य, और श्री देवेंद्र कुमार सिंह, महासचिव, 20-24 जून 2022 तक जिनेवा और पेरिस में मानव अधिकार परिषद के 50वें सत्र के संवाद सत्रों में शामिल हुए। श्री जैन ने (i) स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक के साथ संवादात्मक वार्ता पर एचआरसी के 50वें सत्र के दौरान वक्तव्य और (ii) शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक के साथ संवादात्मक वार्ता पर वक्तव्य प्रस्तुत किया।

- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, और डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों, गनहरी प्रतिनिधि, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उप उच्चायुक्त, यूरोपीय संसद, आदि के साथ बैठक के लिए 7-8 जुलाई 2022 तक जिनेवा, ब्रुसेल्स का दौरा किया।

- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, 18-19 अक्टूबर 2022 तक जिनेवा में आयोजित "मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय तंत्रों के बीच सहयोग बढ़ाना" विषय पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

- श्री सुनील कुमार मीना, डीआईजी, 7-11 नवंबर 2022 तक एनएचआरसी कोरिया द्वारा आयोजित "मानव अधिकार अधिकारियों के लिए भागीदारी कार्यक्रम 2022" में शामिल हुए।

- न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, सदस्य और श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, 28-30 नवंबर 2022 तक जिनेवा में आयोजित

"व्यापार और मानव अधिकारों पर यूएन फोरम 2022 " बैठक में शामिल हुए।

- श्री अरुण कुमार तिवारी, अवर सचिव, ने 15-16 जनवरी 2023 तक माले में मालदीव के मानव अधिकार आयोग (एचआरसीएम) के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय के लिए संचालक के रूप में माले, मालदीव का दौरा किया।
- श्रीमती अंजलि सकलानी, सहायक निदेशक (हिंदी), ने 15 से 17 फरवरी 2023 तक नादी, फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया।
- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, ने 21 से 22 फरवरी 2023 तक दोहा, कतर में आयोजित "जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, श्री देवेंद्र कुमार सिंह, महासचिव और श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड का दौरा किया और 14 से 16 मार्च 2023 तक गनहरी वार्षिक बैठक में भाग लिया और 13 से 16 मार्च 2023 तक 52वीं मानव अधिकार परिषद में, 14 मार्च 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के राष्ट्रमंडल मंच (सीएफएनएचआरआई) की वार्षिक बैठक और 13 मार्च 2023 को एपीएफ शासन समिति की बैठक में वक्तव्य दिया।
- श्री इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि), 20 से 22 मार्च 2023 तक काठमांडू, नेपाल में व्यापार और मानव अधिकार विषय पर आयोजित चौथे संयुक्त राष्ट्र मंच में शामिल हुए।

8.6 अंतरराष्ट्रीय वेबिनार

- डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, 03 मई 2022 को कोरियाई एनएचआरसी के साथ साझेदारी में एनएचआरआई के एपीएफ द्वारा आयोजित कोविड-19 के दौरान कमजोर लोगों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका को आगे बढ़ाने पर वर्चुअल संवाद में "दिव्यंगता" शीर्षक पर वक्ता के रूप में शामिल हुए।
- श्री इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि), 12 मई 2022 को यूरोपीय संघ के मानव अधिकार संरक्षकों के दिशानिर्देशों की समीक्षा पर एनएचआरआई के साथ ऑनलाइन परामर्श में शामिल हुए।
- एनएचआरसी, भारत ने 51वीं मानव अधिकार परिषद में दो पूर्व-रिकॉर्ड वक्तव्य दिए - एक 16 सितंबर 2022 को श्री राजीव जैन, सदस्य द्वारा गोपनीयता पर ओएचसीएचआर रिपोर्ट पर पारस्परिक संवाद पर और दूसरा 20 सितंबर 2022 को न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, सदस्य द्वारा वृद्ध व्यक्तियों पर स्वतंत्र विशेषज्ञ के साथ पारस्परिक संवाद पर।
- श्री देवेंद्र कुमार सिंह, महासचिव की अध्यक्षता में की 31 अगस्त 2022 और 06 फरवरी 2023 को गनहरी वित्त समिति की दो वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य गनहरी वित्त पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करना और गनहरी ब्यूरो बैठक की तैयारी करना था।
- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने 05 दिसंबर 2022 को एपीएफ गवर्नेंस कमेटी की बैठक में वर्चुअली भाग लिया।
- श्री निशीथ, अनुभाग अधिकारी, 14 अक्टूबर 2022 से 25 नवंबर 2022 तक 21वें अनौपचारिक एएसईएम सेमिनार मानव अधिकार - जलवायु कार्रवाई पर प्रशिक्षण: अनुकूलन और शमन चुनौतियों के लिए मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण के दो महीने के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए।
- श्री देवेंद्र कुमार सिंह, महासचिव, 27 से 28 अक्टूबर 2022 तक गणहरी ब्यूरो बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।
- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, और श्री एचसी चौधरी, संयुक्त सचिव ने 02 नवंबर 2022 को "2022 वार्षिक त्रिपक्षीय भागीदारी बैठक, पर्यावरण मानव अधिकार संसंरक्षकों की रक्षा और सार्थक जलवायु वार्ता को बढ़ावा देना - एनएचआरआई की भूमिका" विषय पर आधारित वर्चुअली कार्यक्रम में भाग लिया।
- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, ने 10 नवंबर 2022 एपीएफ वर्चुअल डायलॉग सीरीज, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार : राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका पर एक वक्तव्य दिया।
- माननीय सदस्य डॉ.डी.एम. मुले ने 25 नवंबर 2022 को ताइवान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सम्मेलन जो , 'मानव अधिकार आधारित सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन: राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की भूमिका' विषय पर आधारित था, में वर्चुअल रूप से भाग लिया।
- एनएचआरसी के महासचिव श्री देवेंद्र कुमार सिंह ने 5-6 दिसंबर 2022 को वर्चुअल रूप से "मानव अधिकार शिक्षा पर उच्च स्तरीय वैश्विक फोरम" में भाग लिया। एनएचआरसी के महासचिव के उद्बोधन का विषय मानव अधिकार शिक्षा और प्रशिक्षण पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के कार्यान्वयन में एनएचआरआई की भूमिका: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य था।

- मानव अधिकार परिषद के 52वें सत्र के लिए प्रतिलेखों के साथ वीडियो वक्तव्य 1 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय भेजे गए - (i) न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक के साथ पारस्परिक संवाद; (ii) डॉ डी एम मुले, सदस्य, एनएचआरसी द्वारा खाद्य सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक के साथ पारस्परिक संवाद; (iii) श्री राजीव जैन, सदस्य, एनएचआरसी द्वारा कोविड-19 टीकों तक पहुंच पर हाईकोर्ट की रिपोर्ट पर पारस्परिक संवाद; और (iv) श्री देवेंद्र कुमार सिंह, महासचिव द्वारा विशेष प्रतिवेदक: आवास के साथ पारस्परिक संवाद।

8.7 आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

- मानव अधिकारों के लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि श्री इमोन गिलमोर, मानव अधिकारोंके लिए यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि के राजनीतिक सलाहकार श्री विक्टर वेलेक के साथ; भारत, नेपाल, भूटान (ASIAPAC.6 - दक्षिण एशिया), यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा के नीति अधिकारी श्री जान हॉफमोकल; भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत महामहिम श्री उगो एस्टुटो; प्रथम सचिव (राजनीतिक मामले); और द्वितीय सचिव (राजनीतिक मामले) श्री लोरेंजो पारुली ने भारत में मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण में एनएचआरसी के व्यापक कार्य पर चर्चा करने के लिए 27 अप्रैल 2022 को आयोग का दौरा किया।

- मालदीव के मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सुश्री मरियम मुना, उपाध्यक्ष डॉ अहमद अधम अब्दुल्ला, आयुक्त सुश्री मूमीना वहीद, आयुक्त सुश्री अमीनाथ शिफाथ अब्दुल रज्जाक, आयुक्त सुश्री उजा समाउ अहमद नजीब और वरिष्ठ ब्यूरो अधिकारी श्री अली अहमद माणिक शामिल थे, जिन्होंने 23-27 मई 2022 तक भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को आयोग के कामकाज, शिकायत प्रबंधन, मामलों की जांच, फोरेंसिक विश्लेषण आदि के बारे में जानकारी दी गई। एसएचआरसी के कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए प्रतिनिधिमंडल को 26 मई 2022 को गुजरात राज्य मानव अधिकार आयोग भी ले जाया गया।

- जर्मन उप मिशन प्रमुख डॉ स्टीफन ग्रैबर ने भारत में मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 27 मई 2022 को आयोग का दौरा किया। उन्होंने नवंबर 2022 में होने वाली आगामी सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) पर चर्चा करने के लिए 10 नवंबर 2022 को आयोग का दौरा भी किया।

- श्री रोरी मुंगोवेन, एशिया प्रशांत अनुभाग के प्रमुख और सुश्री आइदा मार्टिरस-नेजाद, मानव अधिकार अधिकारी, एशिया-प्रशांत अनुभाग, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने विभिन्न सरकारों और गैर-सरकारी संस्थानों के काम के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु 13 अक्टूबर 2022 को आयोग का दौरा किया, ताकि सम्बन्ध और संभावित सहयोग के क्षेत्रों की तलाश की जा सके।

- यूरोपीय संसद का प्रतिनिधिमंडल (सुश्री अल्वीना अलमेत्सा, यूरोपीय संसद की सदस्य, सुश्री एहलर्ट सारा एंटोनिया, संसदीय सहायक और राजफेल फिसेरा, राजनीतिक सलाहकार के साथ) ने एनएचआरसी के अध्यक्ष, सदस्यों, महानिदेशक (अन्वेषण) और रजिस्ट्रार (विधि) के साथ बैठक के लिए 03 जनवरी 2023 को आयोग का दौरा किया।

- एनएचआरसी-कतर के उपाध्यक्ष महामहिम डॉ. मोहम्मद सैफ अल-कुवारी के नेतृत्व में कतर की राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल, महामहिम श्री सुल्तान बिन हसन अल जमाली, महासचिव और श्री सैफ अल-याफ़ी, महासचिव कार्यालय के निदेशक के साथ, 09 फरवरी 2023 को एनएचआरसी का दौरा किया और आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। चर्चा के दौरान, एनएचआरसी भारत और कतर के कामकाज पर चर्चा की गई और दोनों देशों की मानव अधिकार समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। दोनों एनएचआरआई के बीच आपसी सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों का पता लगाया गया।

- नीदरलैंड किंगडम के मानव अधिकारों के लिए राजदूत श्रीमती बहिया तहज़ीब के नेतृत्व में नीदरलैंड किंगडम का एक प्रतिनिधिमंडल, नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के एशिया विभाग की वरिष्ठ नीति अधिकारी श्रीमती असली सीटिनेल, नीदरलैंड किंगडम दूतावास के मिशन के उप प्रमुख श्री हुइब मिजनारेमड्स, नीदरलैंड के किंगडम के दूतावास के द्वितीय सचिव श्री जोस्ट वैन ओस्टेनब्रुग और नीदरलैंड किंगडम दूतावास के प्रथम सचिव श्री विचर स्लैगटर के साथ 01 मार्च 2023 को माननीय अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक हेतु एनएचआरसी के दौरे पर रहा।

- इथियोपिया के मानव अधिकार आयोग (ईएचआरसी) की उप मुख्य आयुक्त सुश्री राकेब मेसेले अबेरा ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों से संबंधित कार्यों और न्यायपालिका के साथ संबंधों पर अपने अनुभव को साझा करने और मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए 28 मार्च 2023 को एनएचआरसी का दौरा किया।

अध्याय 9

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों को अस्वीकार करना

9.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पीएचआरए 1993 की धारा 18(ए) (i) (ii) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, शिकायतकर्ता या पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों को पीएचआरए 1993 की धारा 18(सी) के तहत मुआवजे या हर्जाने और तत्काल अंतरिम राहत के भुगतान के लिए और/या अभियोजन के लिए कार्यवाही शुरू करने और ऐसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने, जो आयोग संबंधित लोक सेवक के खिलाफ उपयुक्त समझे के लिए संस्तुतियाँ करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कुछ मामलों में मौद्रिक मुआवजे और अंतरिम राहत देने के लिए आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों को माननीय न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी। ऐसे मामलों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका II: एनएचआरसी द्वारा की गई संस्तुतियाँ जिन्हें वर्ष 2022-23 में माननीय न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई हैं या अधिकारियों द्वारा उनके अनुपालन से इनकार कर दिया गया हैं।

क्र. सं.	केस सं.	संस्तुति की तिथि	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियाँ	अस्वीकार्य संस्तुतियाँ	अदालत में चुनौती
1.	347/34/16/ 2018-जेसीडी	19 मई 2022	एसपी जिला जेल गुमला, झारखंड से कैदी चरवा उरांव पुत्र मिकरा उरांव की हिरासत में मौत के संबंध में सूचना।	झारखंड सरकार मृतक कैदी के निकटतम संबंधी को 7.5 लाख रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) की आर्थिक सहायता देगी।	झारखंड राज्य सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है और आयोग से मुआवजे के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है, इस दलील के साथ कि कैदी की मौत इलाज के दौरान हुई थी।	लागू नहीं
2.	506/11/1/2017-पीसीडी	05 मई 2022	यह मामला नूरानाद, अलप्पुझा जिला, केरल, में 07 सितंबर 2017 को हिरासत में मौत से संबंधित है, जब मृतक ने चलती पुलिस गाड़ी से कूदकर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी।	केरल सरकार मृतक कैदी के निकटतम संबंधी को 3,00,000/- (तीन लाख रुपए) की आर्थिक राहत देगी ।	लागू नहीं	केरल सरकार ने एर्नाकुलम स्थित केरल के माननीय उच्च न्यायालय से एस.सी.एन. पर स्थगन प्राप्त किया तथा मृतक के निकटतम संबंधी को आर्थिक मुआवजा देने की संस्तुति की। संदर्भ: डब्ल्यू.पी. (सी) 4694/2023

क्र. सं.	केस सं.	संस्तुति की तिथि	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियाँ	अस्वीकार्य संस्तुतियाँ	अदालत में चुनौती
3.	3799/12/33/2021	22 अगस्त 2022	बिजली विभाग द्वारा लापरवाही बरतने के कारण बिजली का करंट लगने से मौत। वे हाई टेंशन तार को न्यूनतम दूरी पर लगाने में विफल रहे और कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।	मध्य प्रदेश सरकार मृतक पीड़िता के निकटतम संबंधी को 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) की आर्थिक सहायता देगी।	लागू नहीं	मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग के 22 अगस्त 2022 के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में WP4676/2023 के तहत चुनौती दी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
4.	8764/24/34/2021	13 दिसंबर 2022	पुलिस अधिकारी द्वारा वेटर के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला।	उत्तर प्रदेश सरकार पीड़िता को 2,00,000/- (दो लाख रुपये) की आर्थिक राहत देगी।	लागू नहीं	आरोपी पुलिस अधिकारी ने आयोग की संस्तुतियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में WP(C) संख्या 328782022 के तहत चुनौती दी।
5.	77/9/1/2020	16 जनवरी 2023	उप जिला अस्पताल, सीर में भर्ती एक महिला की कथित मौत और बाद में उसे प्रसूति एवं शिशु देखभाल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, डॉक्टरों की चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई और प्रशासन ने पीड़िता की मौत को कोविड से संबंधित बताकर उसे छिपाने की कोशिश की। समय पर उपचार देने में कथित देरी के कारण उसकी मौत हो गई।	जम्मू-कश्मीर की संघ राज्य क्षेत्र सरकार मृतक शकीला के निकटतम संबंधी को 4,00,000/- (केवल चार लाख रुपये) का मुआवजा देगी।	लागू नहीं	जम्मू-कश्मीर की संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने सूचित किया है कि आयोग के आदेश को WP(C) संख्या 891/2023 वाली रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है और श्रीनगर में माननीय उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा पारित 16 जनवरी 2023 के आदेश पर रोक लगा दी है।
6.	1817/4/32/2011	23 जनवरी 2023	यह मामला 18 सितंबर 2010 को छपरा जिले के मानपुर गांव में बिजली का करंट लगने से हुई सात लोगों की मौत से संबंधित है।	बिहार सरकार मृतक के निकटतम संबंधी को 14,00,000/- (दो लाख रुपये प्रत्येक) की आर्थिक सहायता देगी ।	लागू नहीं	आयोग की संस्तुति को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने पटना के माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी संख्या 3640/2014 के तहत चुनौती दी थी।

क्र. सं.	केस सं.	संस्तुति की तिथि	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियाँ	अस्वीकार्य संस्तुतियाँ	अदालत में चुनौती
7.	3273/30/9/2018	23 जनवरी 2023	यह मामला 15 जुलाई 2018 को दिल्ली के तिलक विहार पुलिस स्टेशन के अंदर 17 वर्षीय लड़की, कक्षा-12 की छात्रा की आत्महत्या से संबंधित है	दिल्ली सरकार मृतक के निकटतम संबंधी को 3,00,000/-(तीन लाख रुपये) की आर्थिक सहायता देगी।	लागू नहीं	आयोग की संस्तुति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में WP 17211/2020 दायर किया गया है।
8.	261/12/35/2019	23 जनवरी 2023	यह मामला मध्य प्रदेश के आश्रय गृह में यौन शोषण की शिकार लड़कियों से संबंधित है।	मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित लड़कियों को 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) की आर्थिक सहायता देगी।	लागू नहीं	आयोग की संस्तुतियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में WP 17211/2020 दायर किया गया है।
9.	547/25/7/2015	06 फरवरी 2023	यह मामला 05 जनवरी 2015 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में एसएसबी कर्मियों द्वारा बिना उकसावे के की गई गोलीबारी में हुई एक व्यक्ति की मौत से संबंधित है।	सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने मृतक के निकटतम संबंधी को 5,00,000/-(पांच लाख रुपये) रुपये तथा 04 घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार रुपये) की आर्थिक राहत देने का आदेश दिया है।	गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्तुति के अनुपालन को स्थगित रखा है क्योंकि मामला संख्या 10/15 (एसएसबी के खिलाफ दर्ज) सिलीगुड़ी जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।	लागू नहीं
10.	2230/4/16/2019-जेसीडी	27 फरवरी 2023	यह मामला 21 जुलाई 2019 को जिला कारागार, कटिहार, बिहार की हिरासत में एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु से संबंधित है।	बिहार सरकार मृतक के निकटतम संबंधी को 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) की आर्थिक सहायता देगी	लागू नहीं	आयोग की संस्तुतियों को बिहार सरकार ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर अपील संख्या EC-BRHC01-73739-2022 दिनांक 26 अगस्त 2022 के माध्यम से चुनौती दी है।

क्र. सं.	केस सं.	संस्तुति की तिथि	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियाँ	अस्वीकार्य संस्तुतियाँ	अदालत में चुनौती
11.	29616/24/54/2017-ईडी	09 मार्च 2023	यह मामला 24 सितंबर 2017 को थाना कादरचौक, बदायूं, उत्तर प्रदेश की हिरासत में हुई एक मौत से संबंधित है।	उत्तर प्रदेश सरकार मृतक कैदी के निकटतम संबंधी को 7,50,000/-(सात लाख पचास हजार रुपये) की आर्थिक सहायता देगी।	उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 1095/6-माननीय-01/23-03(97)/2022 दिनांक 15 जून 2023 के माध्यम से मृतक के निकटतम संबंधी को आर्थिक सहायता देने में असहमति जताई है।	लागू नहीं
12.	35109/24/52/2016	27 मार्च 2023	यह मामला घर में सिलेंडर में आग लगने से हुई एक महिला की मौत से संबंधित है।	सीएमडी आईओसीएल और सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय मृतक के निकटतम संबंधी को 2,00,000/-(दो लाख रुपये) का आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया है।	लागू नहीं	शिकायतकर्ता को 2,00,000/- रुपये का मुआवजा देने के आयोग के आदेश के खिलाफ सीजीएम (एलपीजी) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 29 अक्टूबर 2018 को wp no. 8878 दायर की गई है।
13.	3651/4/23/2018-जेसीडी	04 मई 2022	यह मामला 23 नवंबर 2018 को एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में दोषी कैदी की मौत से संबंधित है, जबकि वह सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर की हिरासत में था।	बिहार सरकार मृतक के निकटतम संबंधी को 3,00,000/-(तीन लाख रुपये) की आर्थिक सहायता देगी।	लागू नहीं	आयोग की संस्तुतियों को बिहार सरकार ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
14.	2531/20/14/2018	31 मई 2022	यह मामला अत्याचारों, झूठे आरोपों, जान को खतरा, कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उत्पीड़न और राज्य अधिकारियों द्वारा की गई निष्क्रियता से संबंधित है	राजस्थान सरकार को 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की आर्थिक राहत देनी होगी	लागू नहीं	राजस्थान सरकार ने 10831/2022 नंबर के तहत रिट याचिका दायर की है और माननीय जयपुर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है।

क्र. सं.	केस सं.	संस्तुति की तिथि	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियाँ	अस्वीकार्य संस्तुतियाँ	अदालत में चुनौती
15.	4257/18/1/2016	06 जून 2022	यह मामला ओडिशा के बालासोर जिले के ऊपदा ब्लॉक में सुरक्षित पेयजल के अभाव में डायरिया के कारण सात लोगों की मौत से संबंधित है, जबकि 26 लोग इससे प्रभावित हुए हैं।	ओडिशा सरकार को 04 मृतकों के निकटतम संबंधी को 4,00,000/- (चार लाख रुपये) की आर्थिक राहत देनी होगी (प्रत्येक को 01 लाख रुपये)।	लागू नहीं	17 फरवरी 2020 के आयोग के निर्देशों के खिलाफ ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय में 30 दिसंबर 2020 की wpc 38923 दायर की गई है।
16.	1784/18/17/2020	14 जुलाई 2022	यह मामला बरगढ़ जिले में 11 केवी तार गिरने से करंट लगने से हुई मौत से संबंधित है।	ओडिशा सरकार पीड़ित को 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) की आर्थिक राहत देगी।	लागू नहीं	आयोग की संस्तुति को टीपीडब्ल्यूओडीएल ने wpc 7329/2022 के माध्यम से माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

राज्यवार पंजीकृत मामलों की संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतों की संख्या	स्वत: संज्ञान	हिरासत में होने वाली मौतों और बलात्कारों के बारे में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में प्राप्त सूचना	कुल
				पुलिस हिरासत में मौत/ बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत/ बलात्कार	रक्षा/ अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौतें/बलात्कार		
1.	अखिल भारत	5,475	4	0	0	0	0	5,479
2.	आंध्र प्रदेश	2,569	0	5	34	0	1	2,609
3.	अरुणाचल प्रदेश	47	0	3	6	0	1	57
4.	असम	370	0	11	16	0	16	413
5.	बिहार	5,954	7	16	207	2	1	6,187
6.	गोवा	75	0	2	3	0	0	80
7.	गुजरात	1,920	0	15	90	1	0	2,026
8.	हरियाणा	2,930	5	4	101	0	0	3,040
9.	हिमाचल प्रदेश	192	0	1	3	0	0	196
10.	जम्मू और कश्मीर	326	0	2	8	0	43	379
11.	कर्नाटक	1,278	1	5	6	0	0	1,290
12.	केरल	1,087	2	2	57	0	0	1,148
13.	मध्य प्रदेश	3,707	5	8	137	0	4	3,861
14.	महाराष्ट्र	3,751	5	23	151	0	5	3,935
15.	मणिपुर	21	0	2	3	0	0	26
16.	मेघालय	29	0	0	8	0	3	40
17.	मिजोरम	12	0	0	8	0	0	20
18.	नागालैंड	14	0	0	1	0	0	15
19.	ओडिशा	4,508	2	3	87	0	5	4,605
20.	पंजाब	1,620	2	10	194	0	1	1,827
21.	राजस्थान	4,728	5	4	84	0	0	4,821
22.	सिक्किम	11	0	0	2	0	0	13
23.	तमिलनाडु	4,995	5	7	97	0	0	5,104

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतों की संख्या	स्वत: संज्ञान	हिरासत में होने वाली मौतों और बलात्कारों के बारे में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में प्राप्त सूचना	कुल
				पुलिस हिरासत में मौत/ बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत/ बलात्कार	रक्षा/ अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौतें/बलात्कार		
24.	त्रिपुरा	43	0	1	7	0	1	52
25.	उत्तर प्रदेश	36,844	13	13	528	1	16	37,415
26.	पश्चिम बंगाल	4,914	1	15	235	2	1	5,168
27.	अंडमान और निकोबार	24	0	0	0	0	0	24
28.	चंडीगढ़	132	0	0	10	0	0	142
29.	दादरा और नगर हवेली	13	0	0	0	0	0	13
30.	दमन और दीव	21	0	0	0	0	0	21
31.	दिल्ली	6,773	16	5	81	0	1	6,876
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
33.	पुडुचेरी	194	0	0	0	0	0	194
34.	छत्तीसगढ़	695	2	1	93	0	17	808
35.	झारखंड	1,843	3	5	60	0	9	1,920
36.	उत्तराखंड	1,277	0	4	23	0	0	1,304
37.	तेलंगाना	2,580	2	1	16	0	0	2,599
38.	लद्दाख	5	0	0	0	0	0	5
39.	विदेश	415	1	0	0	0	0	416
	कुल	**1,01,392**	**81**	**168**	**2,356**	**6**	**125**	**1,04,128**

अनुलग्नक II

निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारम्भ में खारिज	निदेशों के साथ निपटाए गए	एसएचआरसी को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निष्कर्ष निकाला गया			कुल
					स्वत: संज्ञान शिकायतों के मामले	हिरासत में मौतें / बलात्कार	मुठभेड़ के मामलों के संबंध में प्राप्त सूचना	
1.	अखिल भारत	5,522	106	0	68	0	0	5,696
2.	आंध्र प्रदेश	1,635	513	380	184	44	2	2,758
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	23	0	17	7	2	62
4.	असम	188	80	44	76	32	16	436
5.	बिहार	3,703	1,404	676	563	284	9	6,639
6.	गोवा	57	13	3	3	4	0	80
7.	गुजरात	1,295	341	252	166	136	0	2,190
8.	हरियाणा	1,717	769	302	416	75	0	3,279
9.	हिमाचल प्रदेश	125	39	15	27	8	0	214
10.	जम्मू और कश्मीर	193	90	0	64	5	2	354
11.	कर्नाटक	915	192	146	98	11	1	1,363
12.	केरल	784	160	120	80	65	1	1,210
13.	मध्य प्रदेश	2,321	831	425	312	153	2	4,044
14.	महाराष्ट्र	2,783	544	358	227	134	7	4,053
15.	मणिपुर	11	3	1	21	2	2	40
16.	मेघालय	13	4	7	7	9	2	42
17.	मिजोरम	1	3	0	5	9	0	18
18.	नागालैंड	11	0	0	3	8	1	23
19.	ओडिशा	1,996	1,223	685	922	103	10	4,939
20.	पंजाब	1,090	351	183	194	147	2	1,967
21.	राजस्थान	3,349	874	352	448	109	2	5,134
22.	सिक्किम	8	3	0	2	4	0	17
23.	तमिलनाडु	3,526	806	615	226	108	4	5,285
24.	त्रिपुरा	21	7	2	13	9	0	52

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारम्भ में खारिज	निदेशों के साथ निपटाए गए	एसएचआरसी को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निष्कर्ष निकाला गया			कुल
					स्वत: संज्ञान शिकायतों के मामले	हिरासत में मौतें / बलात्कार	मुठभेड़ के मामलों के संबंध में प्राप्त सूचना	
25.	उत्तर प्रदेश	21,044	11,017	3,655	3,579	594	25	39,914
26.	पश्चिम बंगाल	2,961	1,173	373	311	204	1	5,023
27.	अंडमान और निकोबार	15	3	0	8	2	1	29
28.	चंडीगढ़	107	30	0	8	1	0	146
29.	दादरा और नगर हवेली	13	0	0	1	0	0	14
30.	दमन और दीव	15	6	0	2	0	0	23
31.	दिल्ली	4,703	1,842	0	616	53	3	7,217
32.	लक्षद्वीप	1	0	0	1	0	0	2
33.	पुडुचेरी	114	65	0	12	1	0	192
34.	छत्तीसगढ़	431	143	82	97	75	57	885
35.	झारखंड	1,006	463	205	281	62	13	2,030
36.	उत्तराखंड	811	278	128	124	34	0	1,375
37.	तेलंगाना	1,729	482	304	190	20	5	2,730
38.	लद्दाख	2	1	0	1	0	0	4
39.	विदेश	393	28	0	9	0	0	430
	कुल	**64,622**	**23,910**	**9,313**	**9,382**	**2,512**	**170**	**1,09,909**

अनुलग्नक III

आयोग द्वारा की गई घटनास्थल जांच

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत का सार
1.	255/24/30/2022	एक 16 वर्षीय लड़के को पुलिस ने झूठे मामले में फंसाकर गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की जिला जेल में बंद कर दिया। बीमार होने के बावजूद जेल अधिकारियों ने उसे उचित चिकित्सा देखभाल और ध्यान नहीं दिया
2.	16848/24/12/2020	एक युवक का शव बरामद किया गया और मामले में पुलिस पर अनुचित जांच के आरोप लगाए गए।
3.	2559/4/32/2020-एडी	जिला जेल, छपरा, बिहार में हिरासत में यातना के कारण एक कैदी की मृत्यु हो गई।
4.	187/34/23/20222	इस मामले में झारखंड की रामगढ़ जेल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जहां कैदियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है और उन्हें भोजन और बिस्तर के लिए भी जेल अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है।
5.	300/34/1/2022-जेसीडी	झारखंड के बोकारो जिला जेल में हिरासत में यातना और चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत
6.	5038/30/3/2021	शिकायतकर्ता ने पुलिस थाना फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली के नामित पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में यातना, झूठे मामले में फंसाने और अत्याचार करने का आरोप लगाया है।
7.	5415/24/31/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि महिला पुलिसकर्मियों सहित कुछ पुलिसकर्मी लाठी और हथियार लेकर जबरन उसके घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और लूटपाट की। वे परिवार के सदस्यों को जबरन ले गए और उनका पता नहीं चल पाया है।
8.	7038/24/49/2022	उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के आरोप, जिसमें शराब के नशे में धुत पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के वाहन के साथ आकस्मिक टक्कर शामिल है, तथा शिकायतकर्ता के पिता और परिवार के सदस्यों को पुलिस थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखने, अपमानित करने और यातना देने के आरोप।
9.	8330/24/46/2022	थाना ग्वारीफंटा के पुलिस अधिकारी द्वारा 2500 रुपए मासिक रिश्वत की मांग और प्रताड़ना के कारण एक ऑटो चालक ने थाने में खुद को आग लगा ली।
10.	825/18/24/2022	ओडिशा के जयपुर जिले के परिकोली पुलिस थाने के अंतर्गत अल्तिरी गांव के 29 वर्षीय आदिवासी युवक की एक पुलिस कांस्टेबल ने हत्या कर दी, जब उसने पुलिस कांस्टेबल का ट्रैक्टर चलाने से इनकार कर दिया।
11.	829/30/2/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वायरल अश्लील वीडियो में उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। उसने एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में, एफआईआर दर्ज की गई और उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने कोई उचित जांच नहीं की।
12.	24853/24/61/2019-एडी	उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के शिवरतनगंज थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के कारण एक व्यक्ति की हिरासत में मृत्यु हो गई।
13.	26596/24/51/2019-डब्ल्यूसी	उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक छात्रा की स्कूल के हॉस्टल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। माता-पिता ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है।
14.	4461/25/17/2021	शिकायत में पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि एक आदिवासी संगठन ने बिना किसी कारण के मोरजंगलपुर गांव के सभी ग्रामीणों का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों को दूसरे गांव में जाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ग्रामीणों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत का सार
15.	214/33/11/2020- डब्ल्यूसी	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पीड़िता से एक लाख रुपये लूट लिए गए और उसके घर पर एसएचओ और दो कांस्टेबलों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिसकर्मियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला वापस लेने को कहा।
16.	11273/24/31/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के संरक्षण में जेल का एक अधिकारी अनियमितताएं, अवैध वसूली, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार कर रहा है।
17.	2835/30/1/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार, जी/ओ एनसीटीडी आश्रय गृह, यानी बेघरों के लिए आश्रय गृह (626) हज मंजिल, तुर्कमान गेट, आसफ अली रोड, दिल्ली को बंद करने पर विचार कर रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने हाल ही में नौ ऐसे आश्रय गृह बंद कर दिए हैं और राज्य के अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
18.	2994/30/9/2022	आयोग ने हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के मुंडका इलाके में हुई भीषण आग की घटना में 27 लोगों की मौत हो गई है। जिस इमारत में यह घटना हुई थी, उसमें कथित तौर पर कोई सेक्शन प्लान नहीं था और फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस के चल रही थी।
19.	10769/24/43/2020	आयोग ने एक प्रेस रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था कानपुर शेल्टर होम में 57 नाबालिग लड़कियां कोविड पॉजिटिव, उनमें से पांच गर्भवती, एक एचआईवी पॉजिटिव।
20.	12244/24/50/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि श्रीनगर पुलिस अधिकारी ग्राम प्रधान के पति के साथ उसके घर आए और उसे थाने ले गए और उसे तब तक कई तरह से प्रताड़ित किया जब तक कि वह मरणासन्न अवस्था में नहीं पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने उसके कानों में लोहे की सुई डाली और उसके शरीर पर गर्म चाय डाली, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और सुनने की शक्ति भी चली गई।
21.	2279/90/0/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम के बावजूद, बोलनगीर मेडिकल कॉलेज, ओडिशा और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, इंदौर, मध्य प्रदेश में दो युवा मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या कर ली।
22.	1901/30/8/2021	शिकायतकर्ता ने अपने पति को झूठे मामले में फंसाने और दिल्ली पुलिस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
23.	3957/30/9/2019-जेसीडी	एनसीआर क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों का दो दिवसीय स्पॉट विजिट और सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण।
24.	36478/24/31/2017- एएफई	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस की एसओजी द्वारा मुठभेड़ में 20 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई।
25.	1210/7/3/2019	आयोग ने हरियाणा के फरीदाबाद के आदर्श नगर थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला की क्रूर पिटाई के संबंध में एक समाचार पत्र (द हिंदू दिनांक 28.05.2019) की रिपोर्ट का संज्ञान लिया।
26.	2152/20/14/2022	शिकायतकर्ता पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति को दिन-प्रतिदिन झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, उसके पति को सार्वजनिक रूप से परेड कराकर अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके पति से मिलने से मना किया जा रहा है, उनके पति के सहकर्मी वकीलों को परेशान किया जा रहा है और झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है तथा राज्य प्राधिकारियों द्वारा अन्य कृत्य किए जा रहे हैं।
27.	14327/24/30/2022	शिकायतकर्ता ने नामजद विरोधियों से अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जान को खतरा बताया है। इससे पहले, केस संख्या 14091/24/30/2018 के तहत आयोग ने एसएसपी जी.बी. नगर को शिकायतकर्ता और उसके परिवार के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
28.	9170/24/63/2020- डब्ल्यूसी	शिकायतकर्ता नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मदनापुर में बदमाशों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और पुलिस अधिकारियों ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की।

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत का सार
29.	5399/30/6/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी और उसके नियोक्ता ने उसे पिछले 20 वर्षों से अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति नहीं दी थी और नियोक्ता ने उसे लंबे समय से देय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया था।
30.	640/25/19/2020- डब्ल्यूसी	शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बहन 2010 से लापता है। आरोपी गिरोह ने उसे कोलकाता में नौकरी का झांसा देकर अगवा कर लिया और दिल्ली ले गया। उसे शक है कि गिरोह वेश्यावृत्ति में लिप्त है।
31.	6395/30/2/2021	शिकायतकर्ता ने दिल्ली स्थित नशा मुक्ति/पुनर्वास केंद्र, अर्थात् शफा सुधार एवं पुनर्वास गृह, रोहिणी, दिल्ली में अत्याचार और उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
32.	3265/20/12/2018	पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत।
33.	22711/24/59/2021	शिकायतकर्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसके बेटे का अपहरण करने, गलत तरीके से गिरफ्तारी करने तथा झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है।
34.	2851/30/3/2022	शिकायतकर्ता ने दिल्ली के लामपुर डिटेंशन सेंटर में विदेशी बंदियों के उत्पीड़न और अनियमितताओं का आरोप लगाया है। बीमार कैदियों को मेडिकल टीम की सलाह के बाद भी अस्पताल नहीं ले जाया जाता। पुलिस अधिकारियों ने उनके पैसे और निजी सामान अपने निजी इस्तेमाल के लिए ले लिए।
35.	1648/1/6/2022	शिकायतकर्ता (एक कैदी) ने जेल में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। जेल अधीक्षक, वार्डर और ठेकेदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 50,000 से एक लाख रुपये तक वसूलते हैं। कैदियों को बाहर से कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती, भले ही इसकी आवश्यकता हो।
36.	6332/30/4/2022	समन्वयक ने गृह से चार लड़कियों (13-16 वर्ष) के भागने के संबंध में सूचना दी।
37.	660/6/23/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई को मकान मालिक और अन्य लोगों ने पीटा। पुलिस ने भी उसे पीटा, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान और सूजन आ गई और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
38.	568/33/2/2022	जिला जेल में कार्यरत शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे उप जेल, पेंड्रा रोड बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त अधीक्षक द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
39.	6352/4/32/2022	आयोग ने बिहार राज्य के जिलों में अवैध शराब के कारण कई लोगों की मौत के संबंध में समाचार रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया था। एनएचआरसी द्वारा बिहार के अवैध शराब त्रासदी प्रभावित जिलों में मौके पर जाकर तथ्यान्वेषण जांच की गई ताकि प्रभावित व्यक्तियों को दिए जाने वाले उपचार और उन्हें प्रदान की जाने वाली अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का पता लगाया जा सके।
40.	7749/30/8/2022- डब्ल्यूसी	आयोग ने समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसका शीर्षक था "आश्रय गृह में प्रताड़ित किया गया, मुझे देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया गया"। समाचार के अनुसार, 23 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि आश्रय गृह, जहां वह रह रही थी, के कर्मचारियों ने उसे देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया तथा जब उसने मना किया तो उसे परेशान किया गया तथा प्रताड़ित किया गया।
41.	4336/30/6/2019-डीएच	दिल्ली के आशा किरण होम में कैदियों की स्थिति/उपचार का आकलन करने के लिए मौके पर जांच की गई।
42.	2/30/9/2023	आयोग ने 30 दिसंबर 2022 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था "दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।"
43.	379/12/37/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके बेटे को उसके घर से उठा लिया और स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गई, जहाँ उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने उसके बेटे को गंभीर और बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत का सार
44.	38253/24/3/2022	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया। उनकी कृषि भूमि और पैतृक संपत्ति भी जब्त कर ली गई।
45.	477/22/42/2023-आरएच	आयोग ने 17 फरवरी 2023 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था "तमिलनाडु में निराश्रितों के लिए भयावह घर में बलात्कार, यातना, पकड़ा गया"। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के विल्लुपुरम में मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए एक घर (आश्रम) में, महिला कैदियों के साथ मालिक द्वारा बलात्कार और यातनाएं दी जा रही थीं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पीड़िताएँ बलात्कार का विरोध करती थीं, तो आरोपी उन्हें पीटते थे और उन पर जंगली बंदर छोड़ देते थे। जब बचाव दल ने उस स्थान का दौरा किया, तो उन्होंने पाया कि महिलाओं को नशीला पदार्थ दिया गया था और उन्हें बाँध दिया गया था। अधिकांश कैदियों को बचा लिया गया है, फिर भी उनमें से 15 लापता हैं।
46.	362/7/5/2023	शिकायतकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति/भूमि की बिक्री से संबंधित विरोधियों द्वारा दर्ज की गई झूठी शिकायत के आधार पर जिला गुरुग्राम, हरियाणा के डीसीपी सहित नामित पुलिस अधिकारियों द्वारा परिवार के सदस्यों को परेशान करने का आरोप लगाया।

अनुलग्नक IV

प्रक्रियाधीन शोध अध्ययन

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र
1.	भोजन के अधिकार पर एक अध्ययन: बिहार और उत्तर प्रदेश में बीपीएल परिवारों के बीच मौजूदा स्थिति	श्री मोहम्मद यूसुफ, कार्यकारी निदेशक, हरियाली-ग्रामीण विकास केंद्र	भोजन और पोषण का अधिकार
2.	विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाएँ विकसित करें	श्री नूर आलम, कार्यकारी निदेशक, मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (एमएआरजी)	
3.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: दिल्ली में सरकारी विभागों/अर्ध-सरकारी/पीएसयू/निजी क्षेत्रों में इसके प्रभाव, कार्यान्वयन के मुद्दों और चिंताओं का आकलन करने के लिए एक अध्ययन	डॉ. रितु गुप्ता, प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली	महिलाओं, बच्चों और LGBTQI+ के अधिकार /मानव दुर्व्यापार
4.	ट्रांसजेंडर के सामाजिक मुद्दों और कानूनी चुनौतियों पर एक अनुभवजन्य अध्ययन: दक्षिण भारतीय राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना) के विशेष संदर्भ में	डॉ. एम. एल. कालीचरण, निदेशक, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, रेवा विश्वविद्यालय	महिलाओं, बच्चों और LGBTQI+ के अधिकार /मानव दुर्व्यापार
5.	ओडिशा राज्य में प्रवासन बंधुआ मजदूरी और दुर्व्यारपार के अंतर्संबंध	डॉ. शशमी नायक, प्रोफेसर, डॉ. अंबेडकर चेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंसेज (एनआईएसडब्ल्यूएएसएस)	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे
6.	हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवरेज जल श्रमिकों की स्थिति - नीति और अभ्यास।	डॉ. मोहन दास के. एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, कर्नाटक	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे
7.	गुजरात केंद्रीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर एक अनुभवजन्य अध्ययन	प्रो. (डॉ.) पूर्वी पोखरियाल, निदेशक, विधि संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	अपराधिक न्याय प्रणाली
8.	बाल देखभाल संस्थानों की भूमिका और सीसीआई में बच्चों का पुनर्वास	डॉ. एस. बारिक, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास (एनआईपीसीसीडी)	महिलाओं, बच्चों और LGBTQI+ के अधिकार /मानव दुर्व्यापार
9.	मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक अध्ययन	डॉ. आनंद अकुंडी, सहायक प्रोफेसर, सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद	व्यापार और मानवाधिकार
10.	दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में घरेलू कामगार: गरिमा और अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से एक स्थितिजन्य विश्लेषण	डॉ. लेखा डी भट्ट, सहायक प्रोफेसर, महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे
11.	महिलाओं और बच्चों की तस्करी - चुनौतियाँ और उपचार	डॉ. अवधेश कुमार सिंह, प्रधान सलाहकार, भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान	महिलाओं, बच्चों और LGBTQI+ के अधिकार/ मानव दुर्व्यापार

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र
12.	जेल और पुलिस हिरासत में मौत के रुझान और पैटर्न का विश्लेषण: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐसी मौतों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. मोहम्मद असलम, सहायक प्रोफेसर, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय	अपराधिक न्याय प्रणाली
13.	स्कूलों में बाल श्रम के मुद्दों को मुख्यधारा में लाना: चुनौतियाँ और विकल्प	डॉ. अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे
14.	भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग में बालिका श्रम की व्यापकता	डॉ. एम. कार्तिक, सहायक प्रोफेसर, सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे
15.	हिरासत में मौत: झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में रुझान और पैटर्न	डॉ. अनवर आलम, प्रतिष्ठित फेलो, पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन	अपराधिक न्याय प्रणाली
16.	मूक बढ़ते बहुमत की अनसुनी आवाज़: राजस्थान की महिला प्रवासी श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन	डॉ. शैज़ी अहमद, सहायक प्रोफेसर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे
17.	मानव अधिकार मुद्दों और समस्याओं की पहचान करना और प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए नीति ढांचा विकसित करना	डॉ. आर. कासिलिंगम, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पांडिचेरी विश्वविद्यालय	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे
18.	एसिड हमले के पीड़ितों का पुनर्एकीकरण और पुनर्वास	प्रो. सरसु एस्थर थॉमस, प्रोफेसर एनएलएसआईयू, बैंगलोर	महिलाओं, बच्चों और LGBTQI+ के अधिकार /मानव दुर्व्यापार
19.	केरल में साइबर शोषण की सीमा और बच्चों की सुरक्षा पर अध्ययन	डॉ. एल्सा मैरी जैकब, सहायक प्रोफेसर, भारत माता स्कूल ऑफ सोशल वर्क, भारत माता कॉलेज	महिलाओं, बच्चों और LGBTQI+ के अधिकार /मानव दुर्व्यापार
20.	भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं की गिरती भागीदारी: कारकों और बाधाओं की जमीनी स्तर की जांच	डॉ. ऋषि कुमार, सहायक प्रोफेसर, बिट्स, पिलानी हैदराबाद कैंपस	महिलाओं, बच्चों और LGBTQI+ के अधिकार /मानव दुर्व्यापार
21.	गुमशुदा बच्चों पर शोध अध्ययन	श्री एस. राघवन, संचार विकास के लिए नया संकल्पना केंद्र	बच्चों के अधिकार
22.	पंजाब में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ	डॉ. किरण कुमारी, सहायक प्रोफेसर, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	दिव्यांगजनों के अधिकार
23.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच खाद्य और पोषण सुरक्षा: तीन भारतीय राज्यों से साक्ष्य	डॉ. अमित कुमार बसंतराय, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	भोजन और पोषण का अधिकार
24.	प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा के अधिकारों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव	प्रो. ज़ुबैर मीनाई, प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	शिक्षा का अधिकार

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र
25.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 - जमीनी हकीकत का आकलन	डॉ. गदाधर महापात्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे
26.	उत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन	डॉ. नीलू मेहरा, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार
27.	वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की जीवन संतुष्टि और जीवन की गुणवत्ता: पश्चिमी भारत और पूर्वोत्तर भारत का एक तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. बी. पी. साहू प्रोफेसर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	वृद्धजनों के अधिकार
28.	मानव तस्करी: एएचटीयू की कार्यप्रणाली का एक मूल्यांकन अध्ययन	प्रो. (डॉ.) सैबल कर, प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता	महिलाओं, बच्चों और LGBTQI+ के अधिकार मानव तस्करी
29.	मध्य भारत (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) के अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों पर स्थित जनजातीय क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में आश्रम स्कूलों (लड़कों और लड़कियों के आवासीय) के कामकाज पर एक अनुभवजन्य अध्ययन	प्रो. (डॉ.) रश्मी सालपेकर, प्रोफेसर और डीन, वीएसएलएलएस, वीआईपीएस-टीसी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे
30.	उपलब्धि अंतराल या अवसर अंतराल (ओ-गैप)? गढ़चिरौली, वारंगल, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम, बस्तर और कोंडेगांव जिले की आदिवासी लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूलों के शैक्षिक स्थानों में समान शैक्षिक अवसरों (ईईओ), समान सीखने के अवसरों (ईएलओ) तक पहुंच और सीखने की गरीबी (एलपी) तक पहुंच का एक सामाजिक-कानूनी अध्ययन	डॉ. उमा माहेश्वरी चिमिराला, सहायक प्रोफेसर, एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, तेलंगाना	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे
31.	मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम के संदर्भ में भारत के पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों में एसटी बच्चों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का प्रभाव	डॉ. रामानंद पांडे, निदेशक, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे
32.	विभिन्न हितधारकों के बीच नैदानिक परीक्षणों के बारे में जागरूकता पर प्रश्नावली सर्वेक्षण का इष्टतम डिजाइन	डॉ. अनामिका, सहायक प्रोफेसर, जेएनयू, दिल्ली	औषधियों के नैदानिक परीक्षण के विशेष संदर्भ में चिकित्सा नैतिकता और कानून
33.	गैर-लकड़ी वन उत्पाद का व्यावसायीकरण: भारत में निर्धारक और आपूर्ति श्रृंखला	डॉ. प्रताप कुमार जेना, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, महाराजा श्रीराम चंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय, ओडिशा	व्यापार और मानवाधिकार
34.	महामारी, मानव अधिकार और आजीविका का भविष्य: भारतीय अर्थव्यवस्था से एक अनुभवजन्य साक्ष्य	डॉ. राहुल सुरेश सपकाल, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे	व्यापार और मानवाधिकार

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र
35.	कोविड-19 के दौरान वन और जनजातीय समुदायों (एफटीसी) के मानव अधिकारों की सुरक्षा में ग्राम पंचायतों की भागीदारी वाली स्थानीय शासन व्यवस्था कितनी प्रभावी है?: महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सुदूर और चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में चुनिंदा ग्राम पंचायतों का एक अध्ययन	डॉ. धनराज ए. पाटिल, प्रोफेसर और प्रमुख, गोंडवाना विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय शासी निकाय
36.	स्थानीय स्वशासन और जनजातीय अधिकारों का संवर्धन: ओडिशा में मलकानगिरी जिले और झारखंड में गुमला जिले का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. उमेश चंद्र साहू, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), गुरुकुल फाउंडेशन, ओडिशा	पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय शासी निकाय
37.	ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से साक्ष्य	डॉ. पुनीत पाठक, सहायक प्रोफेसर, कानून विभाग, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय शासी निकाय
38.	स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों का संवर्धन - भारत के कुड्डालोर जिले की चुनिंदा ग्राम पंचायतों का एक अध्ययन	डॉ. वी. रथिकारानी, सहायक प्रोफेसर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय शासी निकाय
39.	दक्षिण भारत (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल) के आकांक्षी जिलों में बालिका शिक्षा के अधिकार में 4ए की रूपरेखा - सरकारी और निजी स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण	डॉ. डी. प्रिंस अन्नादुरई, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक कार्य विभाग, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, चेन्नई	शिक्षा का अधिकार
40.	महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वधार गृह और उज्ज्वला घरों की स्थिति, कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता पर एक अध्ययन	डॉ. एस. शांताकुमार, कुलपति, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर	महिलाओं के अधिकार
41.	भारत में शरणार्थी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा: पहुंच बढ़ाने के लिए नीति उन्मुख नवाचार और तकनीकी दृष्टिकोण की कल्पना	डॉ. शुवरो प्रोसून सरकार, सहायक प्रोफेसर, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईआईटी, खड़गपुर	शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के अधिकार
42.	भारतीय धर्मग्रंथों और समकालीन संस्कृति में मानव अधिकार लोकाचार का अध्ययन।	डॉ. बलराम त्यागी, प्रोफेसर, लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान, दिल्ली	
43.	ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शिक्षा तक पहुंच में असमानता।	डॉ. थॉमस वर्गीस, अनुसंधान निदेशक, भारतीय सामाजिक संस्थान	शिक्षा का अधिकार
44.	शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका तक पहुंच	श्री संदीप चाचरा, कार्यकारी निदेशक, एक्शनएड एसोसिएशन	शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के अधिकार
45.	आईसीडीएस आंगनबाड़ियों में भाग लेने वाले 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता और संबंधित कारक: उत्तरी भारत का एक अध्ययन	डॉ. अर्चना दस्सी, प्रोफेसर, प्रारंभिक बचपन विकास और अनुसंधान केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया	भोजन और पोषण का अधिकार
46.	भारत में चयनित भौगोलिक क्षेत्रों में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता और कारण	डॉ. रूपा प्रसाद, कार्यकारी निदेशक, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी	भोजन और पोषण का अधिकार

अनुलग्नक V

2022-23 के दौरान बैठकों का विवरण

माह	एफसी		डीबी-I		डीबी-II		डीबी-III	
	बैठकों की संख्या	मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	मामलों की संख्या
अप्रैल 22	1	42	0	0	2	21+47*	0	0
मई 22	00	30	0	0	1	20+61*	1	50
जून 22	0	0	0	19*	1	17+52*	0	7*
जुलाई 22	1	60	1	61+7*	0	79*	0	37
अगस्त 22	0	0	0	0	0	34*	1	60
सितंबर 22	1	50	1	40	0	76*	0	0
अक्टूबर 22	1	57	0	1*	0	15*	0	0
नवंबर 22	3	3	0	0	1	50+69*	1	80
दिसंबर 22	1	1	1	50	1	50+60*	0	0
जनवरी 23	1	80	0	0	0	0	0	0
फरवरी 23	1	1	0	0	1	65	0	0
मार्च 23	2	87	0	0	0	0	01	65
कुल	**12**	**410**	**3**	**177**	**7**	**716**	**4**	**299**

**सर्कुलेशन के आधार पर*

अनुलग्नक VI

2022-23 के दौरान आयोग द्वारा संसाधित मामलों का माहवार विवरण

माह एवं वर्ष	न्यायिक हिरासत में मृत्यु (जेसीडी और गृहों में मृत्यु (डीएच)	पुलिस हिरासत में मृत्यु (पीसीडी) और कथित मृत्यु (एडी)	तथ्यान्वेषण मामले (एफएफसी)	मुठभेड़ में मौत (ईडी)/कथित फर्जी मुठभेड़ (एएफई)/पुलिस गोलीबारी (एएफ)/बाल श्रम (सीएल)/बंधुआ मजदूरी (बीएल)	घटनास्थल जांच के मामले	कुल (2+5)
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल-22	126	26	42	20	4	218
मई-22	144	26	25	28	7	230
जून-22	217	36	16	14	5	288
जुलाई-22	216	34	28	22	1	301
अगस्त-22	191	14	12	19	8	244
सितंबर-22	204	17	14	19	7	261
अक्टूबर-22	246	16	9	11	7	289
नवंबर-22	238	36	11	10	2	297
दिसंबर-22	217	31	18	15	3	284
जनवरी-23	214	40	17	35	4	310
फरवरी-23	203	35	23	33	2	296
मार्च-23	175	52	26	33	4	290
कुल	**2391**	**363**	**241**	**259**	**54**	**3308**

अनुलग्नक VII

एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के दौरों का विवरण

क्र. सं.	नाम	दौरे की तिथि	दौरे का स्थान
1.	डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य	5 मई 2022	सेंट्रल जेल, छपरा, बिहार का दौरा किया
2.	श्री राजीव जैन, सदस्य	12 से 16 मई 2022	पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के लिए कोलकाता का दौरा किया
3.	श्री राजीव जैन, सदस्य	12 से 14 जून 2022	एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में व्याख्यान देने के लिए देहरादून-मसूरी का दौरा किया।
4.	एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल।	12 से 13 जुलाई 2022	"ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के कुशल संचालन के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला" में भाग लेने हेतु ग्वालियर, मध्य प्रदेश का दौरा
5.	श्री राजीव जैन, सदस्य	27 से 29 जुलाई 2022	आगरा में मानसिक अस्पताल की स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा का दौरा किया।
6.	न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, के नेतृत्व में एनएचआरसी, भारत का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें न्यायमूर्ति श्री एम.एम. कुमार, सदस्य; डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य; श्री राजीव जैन, सदस्य; और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।	5 से 7 अगस्त 2022	एसएचआरसी, तमिलनाडु के रजत जयंती समारोह और एनएचआरसी और तमिलनाडु एसएचआरसी द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए चेन्नई का दौरा किया।
7.	न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, के नेतृत्व में एनएचआरसी, भारत का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें न्यायमूर्ति श्री एम.एम. कुमार, सदस्य; डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य; श्री राजीव जैन, सदस्य; और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।	16 अगस्त 202217 से 18 अगस्त 2022	कैंप सिटिंग में भाग लेने के लिए झारखंड राज्य के रांची का दौरा किया रिनपास (रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकियाट्री एंड एलाइड साइंसेज), कांके, रांची, झारखंड का दौरा किया; और रिनपास और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान पर "मुद्दों और चुनौतियों" पर एक दिवसीय कार्यशाला में भी भाग लिया
8.	न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष	30 अगस्त 2022	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), गोविंदपुरी, ग्वालियर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ग्वालियर, मध्य प्रदेश का दौरा किया।
9.	श्री राजीव जैन, सदस्य	7 से 9 सितंबर 2022	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर के सहयोग से एनएचआरसी द्वारा आयोजित हिंदी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए नागपुर का दौरा किया।
10.	श्री राजीव जैन, सदस्य	15 से 16 सितंबर 2022	एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में व्याख्यान देने के लिए देहरादून-मसूरी का दौरा किया।
11.	डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य	13 अक्टूबर 2022	पुणे में मानव अधिकारों पर विद्यार्थियों को संबोधित किया

क्र. सं.	नाम	दौरे की तिथि	दौरे का स्थान
12.	न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष	22 नवंबर 2022.	मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में स्वर्गीय शचीन्द्र द्विवेदी स्मारक पर व्याख्यान दिया
13.	श्री राजीव जैन, सदस्य	21 से 22 दिसंबर 2022	बिहार में अवैध शराब त्रासदी की जांच के लिए बिहार का दौरा किया
14.	एनएचआरसी के प्रतिनिधिमंडल का डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य के नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ श्री राजीव जैन, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं	11 से 13 जनवरी 2023.	मुंबई, महाराष्ट्र में आयोग की शिविर बैठक / जन-सुनवाई में भाग लिया
15.	न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, एवं डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य	30 जनवरी 2023	कटक, ओडिशा में व्याख्यान दिया
16.	न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी	01 फरवरी 2023	अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित 25वें अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान सम्मेलन AIFSC- 2023 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया
17.	श्री राजीव जैन, सदस्य	3 से 4 फरवरी 2023	हैदराबाद का दौरा किया और झुनझुनवाला ऑडिटोरियम, NALSAR, शमीरपेट, हैदराबाद में 'फोरेंसिक विज्ञान के प्रभावी उपयोग' पर राष्ट्रीय परामर्श संगोष्ठी में भाग लिया।
18.	न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी	11-12 फरवरी 2023	मध्य प्रदेश के जबलपुर में एनएचआरसी-डीएनएलयू राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लिया।

अनुलग्नक VIII

प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचार की प्रतीक्षा में मामले				ऐसे लंबित मामले जहां रिपोर्ट या तो प्राप्त हो गई है या प्राधिकारियों से प्रतीक्षित है				कुल योग
		शिकायतें/ स्वत: संज्ञान मामले	हिरासत में मौतें/बला त्कार के मामले	मुठभेड़ में मौतें	कुल	शिकायतें/ स्वत: संज्ञान मामले	हिरासत में मौतें/बला त्कार के मामले	मुठभेड़ में मौतें	कुल	
1.	अखिल भारत	31	0	0	31	39	0	0	39	70
2.	आंध्र प्रदेश	26	0	0	26	136	97	5	238	264
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	19	9	8	36	36
4.	असम	5	0	2	7	69	36	30	135	142
5.	बिहार	46	5	0	51	468	139	9	616	667
6.	गोवा	0	0	0	0	3	8	0	11	11
7.	गुजरात	9	3	0	12	115	75	0	190	202
8.	हरियाणा	36	0	0	36	213	223	7	443	479
9.	हिमाचल प्रदेश	2	0	0	2	19	11	0	30	32
10.	जम्मू और कश्मीर	5	0	0	5	80	33	94	207	212
11.	कर्नाटक	15	0	0	15	78	10	0	88	103
12.	केरल	9	1	0	10	39	36	1	76	86
13.	मध्य प्रदेश	38	1	0	39	303	93	5	401	440
14.	महाराष्ट्र	26	3	0	29	262	341	6	609	638
15.	मणिपुर	1	0	0	1	16	11	4	31	32
16.	मेघालय	0	0	0	0	5	12	4	21	21
17.	मिजोरम	0	0	0	0	11	11	0	22	22
18.	नागालैंड	0	0	0	0	7	8	2	17	17
19.	ओडिशा	38	1	0	39	581	166	12	759	798
20.	पंजाब	10	2	0	12	91	146	4	241	253
21.	राजस्थान	34	1	0	35	276	154	3	433	468
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	2	0	2	2
23.	तमिलनाडु	20	5	0	25	164	170	5	339	364

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचार की प्रतीक्षा में मामले				ऐसे लंबित मामले जहां रिपोर्ट या तो प्राप्त हो गई हैं या प्राधिकारियों से प्रतीक्षित हैं				कुल योग
		शिकायतें/ स्वत: संज्ञान मामले	हिरासत में मौतें/बला त्कार के मामले	मुठभेड़ में मौतें	कुल	शिकायतें/ स्वत: संज्ञान मामले	हिरासत में मौतें/बला त्कार के मामले	मुठभेड़ में मौतें	कुल	
24.	त्रिपुरा	1	0	0	1	21	10	1	32	33
25.	उत्तर प्रदेश	318	7	0	325	1,826	1,063	37	2,926	3,251
26.	पश्चिम बंगाल	66	5	0	71	1,022	456	8	1, 486	1,557
27.	अंडमान और निकोबार	1	0	0	1	5	0	0	5	6
28.	चंडीगढ़	1	0	0	1	7	10	0	17	18
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	2	0	0	2	2
30.	दमन और दीव	0	0	0	0	1	0	0	1	1
31.	दिल्ली	56	0	0	56	644	201	5	850	906
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	2	0	0	2	2
33.	पुडुचेरी	3	0	0	3	17	0	0	17	20
34.	छत्तीसगढ़	12	2	0	14	91	115	60	266	280
35.	झारखंड	20	0	0	20	252	159	27	438	458
36.	उत्तराखंड	20	0	0	20	68	29	0	97	117
37.	तेलंगाना	14	0	0	14	134	43	5	182	196
38.	लद्दाख	0	0	0	0	2	0	0	2	2
39.	विदेशी देश	4	0	0	4	25	0	0	25	29
	कुल	**867**	**36**	**2**	**905**	**7,113**	**3,877**	**342**	**11,332**	**12,237**

अनुलग्नक IX

उन मामलों का विवरण जहां आयोग ने मौद्रिक राहत की सिफारिश की

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सिफारिश की गई	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें सिफारिशों का अनुपालन किया गया है	भुगतान राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामलों की संख्या	अनुपालन हेतु लंबित मामलों में अनुशंसित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	10	51,00,000	4	15,00,000	6	36,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	10,00,000	1	5,00,000	1	5,00,000
3.	असम	6	21,25,000	0	0	6	21,25,000
4.	बिहार	20	1,24,50,000	10	89,00,000	10	35,50,000
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	12	63,50,000	2	12,50,000	10	51,00,000
7.	हरियाणा	12	79,50,000	7	53,50,000	5	26,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	2	12,50,000	0	0	2	12,50,000
9.	जम्मू और कश्मीर	1	4,00,000	0	0	1	4,00,000
10.	कर्नाटक	1	15,00,000	1	15,00,000	0	0
11.	केरल	3	12,50,000	1	3,00,000	2	9,50,000
12.	मध्य प्रदेश	3	10,00,000	1	2,00,000	2	8,00,000
13.	महाराष्ट्र	11	50,55,000	7	28,05,000	4	22,50,000
14.	मणिपुर	6	30,20,000	1	5,00,000	5	25,20,000
15.	मेघालय	1	5,00,000	1	5,00,000	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	1	3,50,000	0	0	1	3,50,000
18.	ओडिशा	24	95,25,000	13	60,00,000	11	35,25, 000
19.	पंजाब	5	19,50,000	4	14,50,000	1	5,00,000
20.	राजस्थान	16	74,88,000	10	47,38,000	6	27,50,000
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	7	31,00,000	5	16,00,000	2	15,00,000
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सिफारिश की गई	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें सिफारिशों का अनुपालन किया गया है	भुगतान राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामलों की संख्या	अनुपालन हेतु लंबित मामलों में अनुशंसित राशि
24.	उत्तर प्रदेश	90	3,71,65,000	32	1,24,00,000	58	2,47,65,000
25.	पश्चिम बंगाल	19	82,25,000	9	40,75,000	10	41,50,000
26.	अंडमान और निकोबार	1	5,00,000	1	5,00,000	0	0
27.	चंडीगढ़	1	5,00,000	0	0	1	5,00,000
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	21	1,53,50,000	9	35,25,000	12	1,18,25,000
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
33.	छत्तीसगढ़	7	18,50,000	7	18,50,000	0	0
34.	झारखंड	17	95,05,000	6	28,80,000	11	66,25,000
35.	उत्तराखंड	1	50,000	1	50,000	0	0
36.	तेलंगाना	1	3,00,000	1	3, 00, 000	0	0
37.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
38.	विदेश	0	0	0	0	0	0
	कुल	**301**	**14,48,08,000**	**134**	**6,26,73,000**	**167**	**8,21,35,000**

अनुलग्नक X

एनएचआरसी की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	संस्तुति की तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	1068/1/17/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,00,000	14 दिसंबर 2022
2.	आंध्र प्रदेश	1348/1/11/2021	811	पुलिस फायरिंग में मौत	10,00,000	14 सितंबर 2022
3.	आंध्र प्रदेश	1579/1/17/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	2,00,000	15 सितंबर 2022
4.	आंध्र प्रदेश	53/1/6/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	09 मार्च 2023
5.	आंध्र प्रदेश	564/1/3/2022-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	24 मार्च 2023
6.	आंध्र प्रदेश	695/1/5/2022	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएँ	7,00,000	25 जनवरी 2023
7.	अरुणाचल प्रदेश	39/2/15/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	25 जुलाई 2022
8.	असम	107/3/23/2020	810	हिरासत में हिंसा	3,00,000	13 जनवरी 2023
9.	असम	110/3/23/2022	809	हिरासत में यातना	25,000	14 सितंबर 2022
10.	असम	15/3/8/2021-पीसीडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	09 मार्च 2023
11.	असम	151/3/22/2020	207	चिकित्सकीय लापरवाही	3,00,000	23 जनवरी 2023
12.	असम	274/3/16/2015-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	14 दिसंबर 2022
13.	असम	53/3/16/2016-पीएफ	1710	मुठभेड़ में मौत	5,00,000	20 सितंबर 2022
14.	बिहार	1238/4/32/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	10 नवंबर 2022
15.	बिहार	1640/4/26/2015-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	11 अक्टूबर 2022
16.	बिहार	1661/4/26/2021-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	23 जनवरी 2023
17.	बिहार	2241/4/11/2021	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	50,000	3 जून 2022
18.	बिहार	2559/4/32/2020-एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासत में मौत	3,00,000	17 फरवरी 2023
19.	बिहार	3238/4/8/2019	106	यौन उत्पीड़न/अप्राकृतिक अपराध	3,00,000	1 जुलाई 2022
20.	बिहार	4421/4/8/2021	123	बच्चों का बलात्कार	2,00,000	27 अप्रैल 2022
21.	बिहार	444/4/5/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	12 दिसंबर 2022

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	संस्तुति की तिथि
22.	बिहार	4507/4/10/2014	203	चिकित्सा पेशेवरों का कुकृत्य	2,00,000	19 दिसंबर 2022
23.	बिहार	802/4/39/2021-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	27 जनवरी 2023
24.	चंडीगढ	13/27/0/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	23 सितंबर 2022
25.	दिल्ली	1236/30/6/2022	804	सत्ता का दुरुपयोग	1,25,000	14 मार्च 2023
26.	दिल्ली	1928/30/0/2019	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	72,50,000	20 जुलाई 2022
27.	दिल्ली	252/30/8/2014	2006	उत्पीड़न	6,00,000	27 मार्च 2023
28.	दिल्ली	2521/30/0/2020-pcr	808	हिरासत में बलात्कार (पुलिस)	5,00,000	17 जुलाई 2022
29.	दिल्ली	3567/30/6/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	19 दिसंबर 2022
30.	दिल्ली	394/30/6/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	20 जून 2023
31.	दिल्ली	4052/30/9/2021-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	2,50,000	27 फरवरी 2023
32.	दिल्ली	4688/30/1/2021-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	5,00,000	23 मार्च 2023
33.	दिल्ली	5095/30/8/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	14 दिसंबर 2022
34.	दिल्ली	5584/30/6/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	07 नवंबर 2022
35.	दिल्ली	594/30/9/2021-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	13 फरवरी 2023
36.	दिल्ली	6850/30/8/2021	804	सत्ता का दुरुपयोग	1,50,000	1 दिसंबर 2022
37.	गुजरात	26/6/1/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	13 अप्रैल 2022
38.	गुजरात	285/6/23/2020	615	उद्योग/कारखाने में दुर्घटना	6,00,000	11 अगस्त 2022
39.	गुजरात	328/6/14/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,50,000	27 जनवरी 2023
40.	गुजरात	414/6/9/2021-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	4 नवंबर 2022
41.	गुजरात	438/6/25/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	12 दिसंबर 2022
42.	गुजरात	585/6/18/2020-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	19 दिसंबर 2022
43.	गुजरात	6/6/5/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	12 जुलाई 2022
44.	गुजरात	602/6/35/2020-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	4,00,000	20 सितंबर 2022
45.	गुजरात	750/6/9/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	12 दिसंबर 2022
46.	गुजरात	969/6/12/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	9 मार्च 2023

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	संस्तुति की तिथि
47.	हरियाणा	1447/7/6/2021-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	19 दिसंबर 2022
48.	हरियाणा	2737/7/7/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	9 मार्च 2023
49.	हरियाणा	296/7/3/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,50,000	31 जनवरी 2023
50.	हरियाणा	3186/7/8/2016-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	14 दिसंबर 2022
51.	हरियाणा	636/7/6/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	11 नवंबर 2022
52.	हिमाचल प्रदेश	144/8/11/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	9 मार्च 2023
53.	हिमाचल प्रदेश	172/8/4/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	11 नवंबर 2022
54.	जम्मू और कश्मीर	77/9/1/2020	207	चिकित्सकीय लापरवाही	4,00,000	16 जनवरी 2023
55.	झारखंड	111/34/11/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	20 मार्च 2023
56.	झारखंड	130/34/12/2021	616	असंगठित क्षेत्र में मौतें/चोटें	14,00,000	27 मार्च 2023
57.	झारखंड	1318/34/20/2019-ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	7,50,000	19 दिसंबर 2022
58.	झारखंड	1351/34/11/2016	811	पुलिस फायरिंग में मौत	8,00,000	21 अप्रैल 2022
59.	झारखंड	1402/34/4/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	3,25,000	16 अगस्त 2022
60.	झारखंड	1641/34/0/2016-ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	4,00,000	6 फरवरी 2023
61.	झारखंड	445/34/16/2016-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	10,00,000	9 मार्च 2023
62.	झारखंड	521/34/5/2020	216	मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल	2,00,000	16 अगस्त 2022
63.	झारखंड	647/34/22/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	50,000	16 अगस्त 2022
64.	झारखंड	682/34/16/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	27 फरवरी 2023
65.	झारखंड	8/34/10/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	7,00,000	27 जनवरी 2023
66.	केरल	295/11/10/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	23 दिसंबर 2022
67.	केरल	517/11/5/2020-एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासत में मौत	4,50,000	6 मार्च 2023
68.	मध्य प्रदेश	3799/12/33/2021	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	5,00,000	22 अगस्त 2022
69.	मध्य प्रदेश	936/12/31/2021	203	चिकित्सा पेशेवरों का कुकृत्य	3,00,000	9 फरवरी 2023
70.	महाराष्ट्र	1655/13/1/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	2 अगस्त 2022
71.	महाराष्ट्र	1826/13/3/2015-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	11 नवंबर 2022
72.	महाराष्ट्र	659/13/23/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	14 नवंबर 2022

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	संस्तुति की तिथि
73.	महाराष्ट्र	940/13/17/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	7 दिसंबर 2022
74.	मणिपुर	10/14/15/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	14 दिसंबर 2022
75.	मणिपुर	14/14/3/2020	810	हिरासत में हिंसा	20,000	1 सितंबर 2022
76.	मणिपुर	25/14/15/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	9 मार्च 2022
77.	मणिपुर	3/14/14/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	27 जनवरी 2023
78.	मणिपुर	43/14/12/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	9 मार्च 2023
79.	नागालैंड	18/17/5/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,50,000	14 अक्टूबर 2022
80.	ओडिशा	1079/18/5/2021-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित	4,50,000	3 जून 2022
81.	ओडिशा	1379/18/30/2020	205	राज्य में समुचित चिकित्सा सुविधाओं का अभाव	50,000	9 मई 2022
82.	ओडिशा	1391/18/31/2020-एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	23 सितंबर 2022
83.	ओडिशा	1397/18/24/2022	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	50,000	22 मार्च 2023
84.	ओडिशा	1538/18/8/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	10,00,000	27 मार्च 2023
85.	ओडिशा	178/18/29/2021-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	23 सितंबर 2022
86.	ओडिशा	2310/18/4/2021	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	1,00,000	7 फरवरी 2023
87.	ओडिशा	3755/18/7/2019-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	11 नवंबर 2022
88.	ओडिशा	589/18/24/2021	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	3,00,000	1 सितंबर 2022
89.	ओडिशा	796/18/6/2022	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	25,000	7 दिसंबर 2022
90.	ओडिशा	937/18/1/2022	830	मीडियाकर्मियों पर अत्याचार	50,000	7 मार्च 2023
91.	पंजाब	561/19/3/2016-ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	19 दिसंबर 2022
92.	राजस्थान	1821/20/6/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	7,50,000	24 मार्च 2023
93.	राजस्थान	2201/20/21/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	7 फरवरी 2023
94.	राजस्थान	248/20/29/2022-डब्ल्यूसी	1316	बलात्कार का प्रयास	3,00,000	28 अक्टूबर 2022
95.	राजस्थान	273/20/10/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	9 मार्च 2023
96.	राजस्थान	394/20/32/2022	817	गैरकानूनी हिरासत	2,00,000	23 मार्च 2023

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	संस्तुति की तिथि
97.	राजस्थान	702/20/10/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	19 दिसंबर 2022
98.	तमिलनाडु	1224/22/45/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	14 दिसंबर 2022
99.	तमिलनाडु	1903/22/7/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	19 दिसंबर 2022
100.	उत्तर प्रदेश	10103/24/7/2020	117	नवजात की मौत	5,00,000	26 सितंबर 2022
101.	उत्तर प्रदेश	10150/24/4/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	7,50,000	10 नवंबर 2022
102.	उत्तर प्रदेश	10389/24/4/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	7,50,000	19 जुलाई 2022
103.	उत्तर प्रदेश	10779/24/38/2020-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	14 दिसंबर 2022
104.	उत्तर प्रदेश	11191/24/52/2019-डब्ल्यूसी	1315	हत्या	50,000	26 अप्रैल 2022
105.	उत्तर प्रदेश	11842/24/24/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	18 जनवरी 2023
106.	उत्तर प्रदेश	11900/24/26/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	16 जून 2022
107.	उत्तर प्रदेश	12662/24/22/2020-एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	12 दिसंबर 2022
108.	उत्तर प्रदेश	12689/24/22/2021	305	कैदियों का उत्पीड़न	25,000	13 जनवरी 2023
109.	उत्तर प्रदेश	142/24/54/2021-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	1,00,000	23 मई 2022
110.	उत्तर प्रदेश	14328/24/26/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	1 अगस्त 2022
111.	उत्तर प्रदेश	14636/24/3/2020-डब्ल्यूसी	1316	बलात्कार का प्रयास	3,00,000	27 अक्टूबर 2022
112.	उत्तर प्रदेश	14727/24/21/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	5,00,000	20 जुलाई 2022
113.	उत्तर प्रदेश	15404/24/37/2020	819	पुलिस प्रेरित घटनाएँ	5,00,000	15 जुलाई 2022
114.	उत्तर प्रदेश	16187/24/3/2021	203	चिकित्सा पेशेवरों का कुकृत्य	5,00,000	9 फरवरी 2023
115.	उत्तर प्रदेश	16723/24/14/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	29 जुलाई 2022
116.	उत्तर प्रदेश	16819/24/41/2020	815	गलत दोषारोपण	3,50,000	16 नवंबर 2022
117.	उत्तर प्रदेश	16938/24/78/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	7 नवंबर 2022
118.	उत्तर प्रदेश	16976/24/28/2020-एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासत में मौत	3,00,000	2 मई 2022
119.	उत्तर प्रदेश	17350/24/39/2020	1904	अनुसूचित जाति का उत्पीड़न	2,00,000	15 दिसंबर 2022
120.	उत्तर प्रदेश	17864/24/14/2021-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	24 जनवरी 2023

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	संस्तुति की तिथि
121.	उत्तर प्रदेश	1817/24/61/2021	804	सत्ता का दुरुपयोग	2,00,000	8 जून 2022
122.	उत्तर प्रदेश	18850/24/23/2020-एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	10 नवंबर 2022
123.	उत्तर प्रदेश	19239/24/30/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	7,00,000	7 नवंबर 2022
124.	उत्तर प्रदेश	23699/24/7/2021-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	28 जुलाई 2022
125.	उत्तर प्रदेश	23887/24/69/2019-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	3 फरवरी 2023
126.	उत्तर प्रदेश	24319/24/3/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	19 दिसंबर 2022
127.	उत्तर प्रदेश	24772/24/34/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	22 मार्च 2023
128.	उत्तर प्रदेश	25366/24/14/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	4 अगस्त 2022
129.	उत्तर प्रदेश	26041/24/25/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	3 जून 2022
130.	उत्तर प्रदेश	26162/24/14/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	10,00,000	24 जनवरी 2023
131.	उत्तर प्रदेश	26169/24/26/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	7,00,000	22 अगस्त 2022
132.	उत्तर प्रदेश	26850/24/4/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	21 फरवरी 2023
133.	उत्तर प्रदेश	27022/24/53/2019-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	20 सितंबर 2022
134.	उत्तर प्रदेश	27372/24/55/2021	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	1,50,000	14 नवंबर 2022
135.	उत्तर प्रदेश	27523/24/31/2021	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	5,00,000	29 मार्च 2023
136.	उत्तर प्रदेश	27626/24/39/2019	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएँ	5,00,000	12 दिसंबर 2022
137.	उत्तर प्रदेश	29616/24/54/2017-ईडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	9 मार्च 2023
138.	उत्तर प्रदेश	30064/24/52/2022	119	किशोर/अन्य गृह में यातना/उत्पीड़न	40,00	20 फरवरी 2023
139.	उत्तर प्रदेश	30100/24/44/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	23 मार्च 2023
140.	उत्तर प्रदेश	31238/24/78/2021-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	14 सितंबर 2022
141.	उत्तर प्रदेश	33437/24/21/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	10,00,000	10 मार्च 2023
142.	उत्तर प्रदेश	35765/24/1/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	7,50,000	9 मार्च 2023
143.	उत्तर प्रदेश	3746/24/10/2022	804	सत्ता का दुरुपयोग	3,00,000	27 दिसंबर 2022

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	संस्तुति की तिथि
144.	उत्तर प्रदेश	37634/24/68/2021	1200	सेवा मामले	2,00,000	17 जनवरी 2023
145.	उत्तर प्रदेश	39592/24/38/2016	1501	लापता होना	5,00,000	19 दिसंबर 2022
146.	उत्तर प्रदेश	4239/24/31/2014	804	सत्ता का दुरुपयोग	5,00,000	19 दिसंबर 2022
147.	उत्तर प्रदेश	4655/24/13/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	08 जून 2022
148.	उत्तर प्रदेश	5279/24/63/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	26 जुलाई 2022
149.	उत्तर प्रदेश	5863/24/53/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	29 मार्च 2023
150.	उत्तर प्रदेश	6077/24/63/2021	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	2,50,000	11 अगस्त 2022
151.	उत्तर प्रदेश	6590/24/7/2020	832	एफआईआर दर्ज न करना	1,00,000	10 नवंबर 2022
152.	उत्तर प्रदेश	7447/24/7/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	25,000	1 जुलाई 2022
153.	उत्तर प्रदेश	7979/24/51/2020	207	चिकित्सकीय लापरवाही	5,00,000	12 मई 2022
154.	उत्तर प्रदेश	8908/24/26/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	11 नवंबर 2022
155.	उत्तर प्रदेश	8919/24/11/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	08 सितंबर 2022
156.	उत्तर प्रदेश	9165/24/31/2021	1518	अवैध शराब के सेवन से मौत	1,00,000	08 जून 2022
157.	उत्तर प्रदेश	9947/24/48/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,75,000	21 जून 2022
158.	पश्चिम बंगाल	1121/25/19/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	08 मार्च 2023
159.	पश्चिम बंगाल	1132/25/8/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	19 दिसंबर 2022
160.	पश्चिम बंगाल	1233/25/14/2019-पीएफ	1704	सत्ता का दुरुपयोग	1,00,000	19 दिसंबर 2022
161.	पश्चिम बंगाल	1234/25/5/2019	804	सत्ता का दुरुपयोग	5,00,000	19 दिसंबर 2022
162.	पश्चिम बंगाल	1316/25/5/2019-एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासत में मौत	5,50,000	06 सितंबर 2022
163.	पश्चिम बंगाल	1573/25/16/2014-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	02 अगस्त 2022
164.	पश्चिम बंगाल	1865/25/19/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,50,000	31 मार्च 2023
165.	पश्चिम बंगाल	582/25/15/2019-पीएफ	1704	सत्ता का दुरुपयोग	4,00,000	01 जुलाई 2022
166.	पश्चिम बंगाल	636/25/17/2022-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	14 फरवरी 2023
167.	पश्चिम बंगाल	662/25/4/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,50,000	19 दिसंबर 2022

अनुलग्नक XI

विशेष प्रतिवेदक

क्र.सं.	नई योजना के अनुसार जोन/क्षेत्र	विशेष प्रतिवेदक का नाम	कार्यकाल
1.	**जोन– I** पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ एवं दिल्ली	श्री महेश सिंगला	05 मई 2022 से 04 मई 2025
2.	**जोन-II** हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख एवं उत्तराखंड	डॉ. अशोक कुमार वर्मा	05 मई 2022 से 04 मई 2025
3.	**जोन-III** उत्तर प्रदेश	श्री रंजन द्विवेदी	05 मई 2022 से 04 मई 2025
4.	**जोन-IV** महाराष्ट्र एवं गोवा	श्री पी. एन. दीक्षित	05 मई 2022 से 04 मई 2025
5.	**जोन-V** राजस्थान	श्री मदन लाल मीना	05 मई 2022 से 04 मई 2025
6.	**जोन-VI** गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव.	डॉ. के. सी. शर्मा	05 मई 2022 से 04 मई 2025
7.	**जोन-VII** मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ.	श्री उमेश कुमार शर्मा	05 मई 2022 से 04 मई 2025
8.	**जोन-VIII** पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा.	डॉ. राजिंदर कुमार मलिक	05 मई 2022 से 04 मई 2025
9.	**जोन-IX** बिहार	सुश्री निर्मल कौर	05 मई 2022 से 04 मई 2025
10.	**जोन-X** झारखंड	सुश्री सुचित्रा सिन्हा	05 मई 2022 से 04 मई 2025
11.	**जोन-XI** तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप	श्री हरि सेना वर्मा	05 मई 2022 से 04 मई 2025
12.	**जोन-XII** आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	श्री एम. मदन गोपाल	05 मई 2022 से 04 मई 2025
13.	**जोन-XIII** कर्नाटक	श्री अशीत मोहन प्रसाद	05 मई 2022 से 04 मई 2025
14.	**जोन-XIV** असम, मेघालय, एवं सिक्किम	श्री उमेश कुमार	05 मई 2022 से 04 मई 2025
15.	**जोन-XV** नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, एवं अरुणाचल प्रदेश	श्री अखिल कुमार शुक्ल	05 मई 2022 से 04 मई 2025

विशेष मॉनिटर

क्र. सं.	नाम	विषयगत क्षेत्र और कवर किए गए विषय	कार्यकाल
1.	श्री वीरेंद्र सिंह रावत उपनाम स्वामी योगानंद	मानव अधिकार समर्थन (एचआर शिक्षा और लैंगिक समानता)	25 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2025
2.	श्री जयन्तो नारायण चौधरी	आपराधिक न्याय प्रणाली (शामिल विषय - जेल, किशोर न्याय और सुधार गृह) और पुलिस और पुलिस सुधार (पुलिस और पुलिस सुधार से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
3.	श्री कुमार राजेश चन्द्र	आतंकवाद {शामिल विषय - शहरी आतंकवाद, विद्रोह विरोधी, सीमा पार आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद (नक्सली विरोधी ऑपरेशन)} और सांप्रदायिक दंगे (सांप्रदायिक दंगों से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
4.	श्री हिमांशु शेखर दास	एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक (शामिल विषय - एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
5.	श्री अहमद जावेद,	बंधुआ मज़दूरी और बाल मज़दूरी (शामिल विषय - बंधुआ मज़दूरी और बाल मज़दूरी से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
6.	श्री रजनी कांत मिश्रा,	मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर स्वास्थ्य और अस्पताल (कवर किए गए विषय - मानसिक स्वास्थ्य, एचआईवी/एड्स, नकली दवाएं, स्वच्छता, सिलिकोसिस, निदान और निदान प्रयोगशालाएं और अस्पताल)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
7.	श्री सुरेंद्र कुमार	जनजातीय कल्याण (विषय शामिल - आदिवासियों और वनवासियों के कल्याण से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
8.	श्री फ़ौज़ान अलवी	पर्यावरण (विषय शामिल - पर्यावरण और जल से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
9.	डॉ. योगेश दुबे	महिलाएं और दिव्यांगगता (शामिल विषय - यौन हिंसा और बलात्कार, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
10.	श्री बालकृष्ण गोयल	बाल अधिकार और बुजुर्ग नागरिक (विषय शामिल - बाल अधिकार और बुजुर्ग नागरिकों से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
11.	सुश्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी	ट्रांसजेंडर (शामिल विषय - ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी अधिकारों से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
12.	सुश्री वृंदा स्वरूप	शिक्षा (कवर किए गए विषय - आरटीई अधिनियम, प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, छात्रावास, अन्य सुविधाएं और मामले, शिक्षण और अन्य कर्मचारी)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
13.	श्री हेमन्त नार्जरी	पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन (शामिल विषय-पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
14.	श्री सुधीर चौधरी	मानव तस्करी (शामिल विषय - मानव तस्करी से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025
15.	श्री प्रेम सिंह बिष्ट	व्यवसाय और मानव अधिकार (विषय शामिल - व्यवसाय और मानव अधिकार से संबंधित सभी मामले)	23 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2025

अनुलग्नक XII

एनएचआरसी द्वारा आयोजित विद्यार्थियों/ प्रशिक्षुओं के दौरों की सूची

क्र. सं.	दौरे की तिथि	संस्था का नाम	विद्यार्थियों/प्रतिभागियों की संख्या
1.	22 अप्रैल 2022	विधि अध्ययन विभाग, राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड	12 छात्र + 1 संकाय सदस्य
2.	05 मई 2022	स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, शारदा विश्वविद्यालय	22 छात्र + 3 संकाय सदस्य
3.	18 मई 2022	मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद	53 छात्र + 2 संकाय सदस्य
4.	02 जून 2022	लॉ सेंटर-II, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय	40 छात्र + 2 संकाय सदस्य
5.	21 जुलाई 2022	बिमल चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	32 छात्र + 3 संकाय / स्टाफ सदस्य
6.	03 अगस्त 2022	सुश्री रेखा शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली	अंडमान एवं निकोबार से 8 छात्राएं
7.	26 अगस्त 2022	सुश्री रेखा शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख से 9 छात्राएं
8.	07 सितंबर 2022	राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गुजरात	19 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी / न्यायाधीश / मजिस्ट्रेट / डिप्टी एसपी / एसीपी
9.	20 सितंबर 2022	यशवंत महाविद्यालय, वर्धा महाराष्ट्र	29 छात्र + 2 संकाय सदस्य
10.	23 सितंबर 2022	जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी, लखनऊ	7 आईआरपीएफएस अधिकारी + 2 संपर्क अधिकारी
11.	29 सितंबर 2022	पीजी सामाजिक कार्य विभाग श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर, तमिलनाडु	17 पीजी छात्र + 2 संकाय सदस्य
12.	15 नवंबर 2022	एमेक्स लॉ कॉलेज, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	एलएलबी और बीएएलएलबी के 68 छात्र + 3 संकाय सदस्य
13.	18 नवंबर 2022	दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, दिल्ली विश्वविद्यालय	पत्रकारिता के 49 छात्र + 2 संकाय सदस्य
14.	23 नवंबर 2022	लॉ कॉलेज दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	60 छात्र + 2 संकाय सदस्य
15.	24 नवंबर 2022	लॉ कॉलेज दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	59 छात्र + 2 संकाय सदस्य
16.	03 फरवरी 2023	यशवंतराव चव्हाण लॉ कॉलेज, पुणे	82 कॉलेज छात्र + 7 स्टाफ सदस्य
17.	08 फरवरी 2023	दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, काजी नजरूल विश्वविद्यालय, आसनसोल, पश्चिम बंगाल	37 अंतिम वर्ष के विधि छात्र + 2 शिक्षक
18.	13 फरवरी 2023	गोखले एजुकेशन सोसाइटी का लॉ कॉलेज, खारघर, नवी मुंबई	30 छात्र + 2 स्टाफ सदस्य
19.	17 फरवरी 2023	जेल और सुधार प्रशासन, वेल्लोर, तमिलनाडु	नौ महीने के बुनियादी पाठ्यक्रम जेल अधिकारियों के 28वें बैच के 22 अधिकारी + 2 टीम लीडर
20.	21 फरवरी 2023	सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई	42 छात्र + 2 संकाय सदस्य

क्र. सं.	दौरे की तिथि	संस्था का नाम	विद्यार्थियों/प्रतिभागियों की संख्या
21.	23 फरवरी 2023	राजनीति विज्ञान विभाग, आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	32 छात्र + 3 शिक्षक
22.	03 मार्च 2023	भगुबाई चंगु ठाकुर कॉलेज ऑफ लॉ, न्यू पनवेल, नवी मुंबई	57 छात्र + 4 प्रोफेसर
23.	03 मार्च 2023	स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक जस्टिस पॉलिसी स्टडीज, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर	18 छात्र + 2 संकाय सदस्य
24.	06 मार्च 2023	एशियन लॉ कॉलेज (एएलसी), नोएडा, यूपी	50 छात्र + 2 शिक्षक
25.	13 मार्च 2023	न्यू लॉ कॉलेज, मुंबई	17 छात्र + 2 शिक्षक
26.	13 मार्च 2023	जेआरएसईटी कॉलेज ऑफ लॉ, कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	60 छात्र + 3 संकाय सदस्य

Note

Note

Note

समानी प्रपा सह वोन्नभागः।
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
अराः नाभिमिवाभितः।।

- अथर्ववेद-संज्ञान सूक्तम्

सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं उनकी प्रतिष्ठा और अधिकार समान हैं उन्हें भगवान ने बुद्धि और अंतरात्मा प्रदान की है और उन्हें एक-दूसरे के प्रति भ्रातृभाव से व्यवहार करना चाहिए, जिस प्रकार रथ के पहिए की तारें चक्र को धुरी से जोड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी को सामरस्यपूर्वक एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए।

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दूरभाष: 91-11-24663296, फैक्स: 91-11-24651329

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC